भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट

2011-12

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
दूरभाष : +91-11-23220534
फैक्स : +91-11-23213036
ई–मेल : ap@trai.gov.in
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की पन्द्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट वर्ष 2011–12 के लिए है। इस रिपोर्ट में वह सूचना सम्मिलित है जो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

इस रिपोर्ट में, अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के विशेष उल्लेख के साथ, दूरसंचार क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण तथा भादूविप्रा द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी इस रिपोर्ट में शामिल है।

(डॉ0 राहुल खुल्लर)
अध्यक्ष

दिनांक : 16 नवम्बर, 2012

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
	परिदृश्य	1-6
भाग–I	नीतियां तथा कार्यक्रम	7-60
	क. दूरसंचार क्षेत्र के सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	ख. नीतियों तथा कार्यक्रम की समीक्षा	
	भाग–I के अनुबंध	
भाग–II	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कामकाज और परिचालन की समीक्षा	61-106
भाग–III	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भादूविप्रा के कार्य	107-120
भाग–IV	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन	
	क. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	121-138
	ख. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2011–2012 के लेखापरीक्षित लेखे	139-167
	ग. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अंशदायी भविष्य निधि 2011–2012 के लेखापरीक्षित लेखे	169-189
	प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची	190-194

परिदृश्य

1. वर्ष 2011–12 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का संकेन्द्रण लाइसेंसिंग के लिए एक नए नीतिगत ढांचे को सुव्यवस्थित करने, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, प्रसारण में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों की ओर प्रवसन तथा उपभोक्ता संरक्षण पर था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विश्व में दूरसंचार विनियामकों में प्राप्त अद्वितीय स्थिति के समनुरूप, प्राधिकरण ने विभिन्न संगत विषयों पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/गोल मेज सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन किया। प्राधिकरण ने विश्व भर के विनियामकों से अनेक शिष्टमंडलों की मेजबानी भी की।

2. वर्ष के दौरान दूरसंचार तथा प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित कार्य निम्नानुसार था :–

क) दूरसंचार क्षेत्र

3. वर्ष के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में निरंतर प्रभावशाली विकास जारी रहा। टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 846.32 मिलियन से बढ़कर 951.34 मिलियन हो गई, इस प्रकार इसमें 12.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वायरलैस उपभोक्ता आधार में 107.58 मिलियन की वृद्धि हुई तथा वायरलाइन उपभोक्ता आधार में 2.56 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई। 919.17 मिलियन कनेक्शनों के कुल आधार के साथ वायरलैस खण्ड निरंतर प्रबल रहा। देश का समग्र टेलीघनत्व 70.89 की तुलना में बढ़कर 78.66 हो गया। ग्रामीण टेलीघनत्व, 33.79 से बढ़कर 39.22 हो गया। शहरी टेलीघनत्व 157.32 से बढ़कर 169.55 हो गया।

4. उपभोक्ता आधार में वृद्धि के परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवाओं का सकल राजस्व 1,71,719 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष के दौरान 1,95,442 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 13.82 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। इसी दौरान, जीएसएम व सीडीएमए के लिए प्रति उपभोक्ता, प्रतिमाह उपयोग के लिए मिनट प्रयोग, मार्च, 2011 के अंत में क्रमशः 349 व 263 की तुलना में घटकर मार्च, 2012 के अंत में क्रमशः 346 और 229 रह गया है। प्रति बहिर्गामी मिनट औसत व्यय में गिरावट दर्ज की गई है तथा यह इस अवधि के दौरान जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए 0.51 रुपए से घटकर 0.49 रुपए (3.08 प्रतिशत की गिरावट) हो गया व सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए 0.47 रुपए पर स्थिर रहा। प्रति उपभोक्ता,

प्रतिमाह औसत आय (एआरपीयू) जो कि मार्च, 2011 के अंत में जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा के मामले में 100/–रुपए थी, घटकर मार्च, 2012 के अंत में 97/–रुपए रह गई। इसी अवधि के दौरान सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए मासिक एआरपीयू 66/–रुपए से बढ़कर 75/–रुपए प्रति माह हो गया। इसके परिणामस्वरूप, दूरसंचार क्षेत्र के लिए वर्ष 2011–12 में ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन के पहले आय (ईबीआईटीडीए) विगत वर्ष में 23,266 करोड़ रुपए की तुलना में 23,221 करोड़ रुपए थी, जो 0.19 प्रतिशत की गिरावट की द्योतक है। वर्ष 2010–11 के दौरान ईबीआईटीडीए के 13.95 प्रतिशत के लाभ की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान, यह लाभ गिरकर 12.91 प्रतिशत रह गया। इस क्षेत्र में नियोजित पूंजी 2010–11 में 3,37,683 करोड़ रुपए से घटकर 2011–12 में 3,21,375 करोड़ रुपए रह गई, जो 4.83 प्रतिशत की गिरावट की द्योतक है।

5. वर्ष के दौरान, इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3.19 मिलियन की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए, 19.67 मिलियन से बढ़कर 22.86 मिलियन हो गई। ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या 11.89 मिलियन से बढ़कर 13.81 मिलियन हो गई। इंटरनेट तथा ब्रॉडबैंड की व्यवस्था प्रमुख रूप से कॉपर पेयरों की तुलना में डिजिटल उपभोक्ता लाइन (डीएसएल) प्रौद्योगिकियों के जरिए जारी रही। वर्ष के दौरान 3जी तथा बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम का प्रयोग करते हुए नेटवर्कों की रोलिंग आऊट (शुरूआत) आरंभ हो गई है।

6. वर्ष के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत सिफारिशें की गईं, जिनमें स्पेक्ट्रम प्रबंधन, लाइसेंसिंग, दूरसंचार अवसंरचना, हरित दूरसंचार तथा दूरसंचार उपकरण विनिर्माण संबंधी सिफारिशें शामिल हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण, शिकायत संसाधन से जुड़े तथा अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषणों को नियंत्रित करने के लिए अनेक विनियम भी अधिसूचित किए।

7. 11 मई, 2010 को जारी ''स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा लाइसेंसिंग रूपरेखा'' संबंधी सिफारिशों तथा दिनांक 8 फरवरी, 2011 की ''1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का 2010 का मूल्य'' के संबंध में सिफारिश के संदर्भ में, दूरसंचार विभाग ने उनमें से कुछ की समीक्षा करने का अनुरोध किया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, अपनी अधिकांश सिफारिशों की पुनरावृत्ति की है। इसके अतिरिक्त, एक प्रोत्साहन के रूप में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विहित रोल आऊट देयताओं की प्राप्ति पर लाइसेंस शुल्क के यूएसओएफ के प्रगामी अपचयन की अनुशंसा की है। विलयन तथा अधिग्रहण मुद्दों पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि परिणामी कंपनी द्वारा स्पेक्ट्रम धारिता (विलयन तथा अधिग्रहण के पश्चात) किसी सेवा क्षेत्र में समनुदेशित स्पेक्ट्रम के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी।

8. इस अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने एकीकृत लाइसेंस/श्रेणी लाइसेंस तथा विद्यमान लाइसेंसों के प्रवसन के लिए व्यापक मसौदा दिशानिर्देश हितधारकों की टिप्पणियों हेतु जारी किए। तदनंतर, इस मुद्दे पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया तथा दूरसंचार लाइसेंसधारकों के लिए ''निकास नीति'' संबंधी परामर्श प्रक्रिया भी वर्ष के दौरान आरंभ की गई।

9. फरवरी, 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, प्राधिकरण ने लाइसेंस प्रदान करने तथा नीलामी द्वारा 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन करने के लिए नवीन सिफारिशें करने हेतु 3 फरवरी, 2012 को एक पूर्व परामर्श पत्र जारी किया। तदनंतर, 7 मार्च, 2012 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया। तदनंतर ''स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर सिफारिशें (अप्रैल–मई, 2012) जारी की गईं।

10. क्षेत्र के लिए एक कुशल, मजबूत तथा लागत प्रभावी अवसंरचना का सृजन करने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, प्राधिकरण ने अवसंरचना के कुशल नियोजन, टावरों के नियोजन, सक्रिय तथा अक्रिय अवसंरचना की साझेदारी, उन्नत अंतःनिर्मित समाधान संवर्धन तथा डिस्ट्रीब्यूटिड एंटीना प्रणाली संवर्धन, मार्गाधिकार नीति, इंटरनेट विनिमय स्थल, आईपीवी6 में प्रवसन, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क प्रचालक (एमवीएनओ) तथा ग्रामीण दूरसंचार के लिए रूपरेखा हेतु एक तंत्र की अनुशंसा की।

11. भारत, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है। वर्तमान में देश में लगभग 4,00,000 दूरसंचार टावर हैं, जिनमें डीजल की उल्लेखनीय खपत होती है। कार्बन उत्सर्जन में अपचयन सुनिश्चित करने के लिए ''हरित दूरसंचार के क्षेत्र में पहल'' के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों में यह प्रावधान किया गया कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत टावर और शहरी क्षेत्रों के 20 प्रतिशत टावरों को वर्ष 2015 तक मिश्रित ऊर्जा (हाईब्रिड पावर) उपलब्ध कराई जानी चाहिए और सभी सेवा प्रदाताओं को आधार वर्ष (2011) के कार्बन उत्सर्जन की तुलना में, वर्ष 2015 तक इसमें न्यूनतम 8 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वर्ष 2015 तक सभी उपस्करों, उत्पाद और सेवाओं का ऊर्जाशक्ति व निष्पादन संबंधी मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

12. देश में दूरसंचार क्षेत्र में हुई अपार वृद्धि के साथ–साथ दुर्भाग्यवश, दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण उद्योग में अनुकूल वृद्धि नहीं हो पाई है। इसके परिणामस्वरूप, जहां एक ओर घरेलू उत्पादन से दूरसंचार उपस्करों की केवल लगभग 12.5 प्रतिशत मांग ही पूरी जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय उत्पाद की हिस्सेदारी कुल मांग की महज 3 प्रतिशत है। प्राधिकरण ने लक्ष्य विनिर्दिष्ट करते हुए एक दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण नीति संबंधी सिफारिशें जारी की, जिनमें वर्ष 2015 तक घरेलू आधार पर विनिर्मित उत्पादों के माध्यम से घरेलू मांग के लगभग 45 प्रतिशत अंश और वर्ष 2020 तक 80 प्रतिशत को पूरा करने का लक्ष्य, वर्ष 2015 तक 35 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 65 प्रतिशत तक घरेलू आधार पर विनिर्मित उत्पादों की मूल्य अभिवृद्धि शामिल है।

13. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नेक्सट जेनरेशन नेटवर्क (एनजीएन) के लिए समुचित नीति तथा विनियामक ढांचे के लिए परामर्श तथा अंततः, स्थापना करने के लिए तैयारी की प्रक्रिया आरंभ की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एक मासिक प्रौद्योगिकी पत्रिका प्रकाशित करनी भी आरंभ कर दी है, जो विभिन्न हितधारकों के बीच प्रसार हेतु दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर संकेन्द्रण करेगी।

14. वर्ष 2011–12 के दौरान प्राधिकरण का एक प्रमुख प्रयास अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण,

जिसे सामान्यतः पेस्की कॉल/एसएमएस के रूप में जाना जाता है, को नियंत्रित करने से संबंधित था। ''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम 2010'' का कार्यान्वयन 27 सितम्बर, 2011 से किया गया। इसके परिणामस्वरूप अवांछित वाणिज्यिक कॉलों/एसएमएस में महत्वपूर्ण कमी हुई है।

15. तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास के साथ, मोबाइल फोन महज एक सम्प्रेषण युक्ति से विकसित होकर, एक स्मार्ट फोन बन गया है, जो असंख्य जानकारी तथा सेवाओं का दोहन करने में समर्थ है। मोबाइल मूल्यवर्धित, सेवाएं उपभोक्ताओं को अनेक प्रयोजनों के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग करने में समर्थ बनाती हैं यथा सूचना संग्रहण, मनोरंजन तथा एक्सेस अनुप्रयोग जैसे एम–बैंकिंग, एम–स्वास्थ्य, एम–शिक्षा, ई–अभिशासन इत्यादि। समुचित विनियामक ढांचे के जरिए मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास को समर्थकारी बनाने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने स्व–प्रेरण से मोबाइल मूल्यवर्धित सेवाएं/अनुप्रयोग सेवाएं संबंधी एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की।

16. शिकायत समाधान प्रणाली की कारगरता को सुधारने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने पूर्ववर्ती ''दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण तथा शिकायत निवारण विनियम 2007'' को प्रतिस्थापित करते हुए, दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 जारी किया गया। इस विनियम को जारी करने से, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र सुदृढ़ और अधिक कारगर बन गया है।

17. दूरसंचार उपभोक्ताओं तथा विशेष रूप से पूर्व प्रदत्त उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2012 जारी किया है। अन्य बातों के अलावा, इन विनियमों ने सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त, प्रीपेड वाऊचरों को सरलीकृत तथा तीन श्रेणियों में मानकीकृत किया है – प्लॉन वाऊचर, टॉप–अप वाऊचर तथा विशेष प्रशुल्क वाऊचर (एसटीवी)। आगे और पारदर्शिता तथा सहज पहचान का संवर्धन करने के लिए सुभिन्न रंग कोड, इन वाऊचरों के लिए अधिदेशित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यह अधिदेश है कि प्रत्येक प्रीपेड उपभोक्ता को उसकी पिछली कॉल या डॉटा प्रयोग के संबंध में प्रभारित राशि की सूचना, की गई प्रत्येक कॉल के पश्चात या प्रत्येक डाटा प्रयोग सत्र के पश्चात एसएमएस के जरिए दी जाए। इन विनियमों के जरिए अधिदेशित अन्य उपाय प्रीपेड ग्राहकों को मदवार प्रयोग उपलब्ध कराने तथा प्रीमियम दर सेवाओं एवं मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए प्रभारों से जुड़ी बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में है।

18. दूरसंचार प्रशुल्क पेशकशों में पारदर्शिता में और सुधार लाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने प्रशुल्क प्लॉनों के प्रकाशन संबंधी तथा भ्रामक दूरसंचार प्रशुल्क विज्ञापनों का परिहार करने संबंधी निदेश जारी किए थे।

19. उपभोक्ता संरक्षण के साथ–साथ उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी), इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्ष 2011–12 में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) के सुदृढ़ीकरण के लिए कई उपाय किए हैं। प्राधिकरण ने उपभोक्ता समर्थक

समूह (सीएजी) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। वर्ष 2011–12 के दौरान, प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं तथा बैठकों का आयोजन, उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) को उनके द्वारा उपभोक्ता हितों के संरक्षण तथा उनके क्षमता निर्माण हेतु किए गए, विभिन्न कार्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए किया गया।

ख. प्रसारण क्षेत्र

20. प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। भारत का, विश्व के सबसे बड़े टीवी बाजारों में, चीन और अमरीका के बाद तीसरा स्थान है। मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार भारत में 247[1] मिलियन परिवारों में से टीवी सुविधा सम्पन्न परिवारों की संख्या 150[1] मिलियन है जिन्हें केबल टीवी प्रणाली, डीटीएच सेवाओं, आईपीटीवी सेवाओं तथा दूरदर्शन के स्थानिक टीवी नेटवर्क के माध्यम से सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। पे–टीवी यूनिवर्स में लगभग 94[1] मिलियन केबल टीवी उपभोक्ता हैं, जिनमें अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में लगभग 0.91[2] मिलियन उपभोक्ता, 46.25[2] मिलियन पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ता तथा लगभग आधा मिलियन आईपीटीवी उपभोक्ता हैं। दूरदर्शन के स्थानिक टीवी नेटवर्क में 1415 स्थानिक ट्रांसमीटरों के माध्यम से देश की लगभग 92 प्रतिशत आबादी को सेवाएं प्राप्त होती हैं।

21. प्रसारण सेवा टीवी क्षेत्र में 26[2] पे–प्रसारणकर्ता/एग्रीगेटर लगभग 60,000 केबल प्रचालक, 6,000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ), 6 पे–डीटीएच प्रचालक के अलावा सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता– दूरदर्शन शामिल हैं, जिनके पास फ्री–टु–एयर डीटीएच सेवा–डीडी डायरेक्ट प्लस है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंत में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत 831 टीवी चैनल थे, जिनमें से 168[2] पे–चैनल थे।

22. वर्ष 2010 में भारतीय टीवी उद्योग के बाजार का आकार 29,700[3] करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 32,900[3] करोड़ रुपए हो गया है, इस प्रकार इसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। शुल्क/ अंशदान से आय, जिसकी टीवी उद्योग की सकल आय में काफी बड़ी हिस्सेदारी है, वर्ष 2010 में 19,400[3] करोड़ रुपए थी, जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 21,400[3] करोड़ रुपए हो गई है, जबकि एआरपीयू लगभग 160 रुपए प्रतिमाह के स्तर पर करीब–करीब बराबर बना रहा है। भारत में टीवी क्षेत्र में विज्ञापन से अर्जित आय वर्ष 2010 में 10,300[3] करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2011 में 11,600[3] करोड़ रुपए हो गई है। टीवी विज्ञापनों की आय में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। टेलीविजन पर कुल विज्ञापनों में से, 4,385[3] करोड रुपए के विज्ञापन 8 प्रमुख भाषाओं के क्षेत्रीय चैनलों पर दिए गए, इस प्रकार इनकी हिस्सेदारी कुल विज्ञापन आय में लगभग 39 प्रतिशत है।

23. एफएम रेडियो क्षेत्र में भी प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, जिसका 149 मीडियम फ्रीक्वेंसी

[1] *एमपीए रिपोर्टें 2012 पर आधारित*

[2] *भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रिकॉर्डों के अनुसार*

[3] *एफआईसीसीआई – केपीएमजी रिपोर्ट 2012 पर आधारित*

(एमडब्ल्यू), 54 उच्च फ्रीक्वेंसी (एसडब्ल्यू) तथा 177 एफएम ट्रांसमीटरों वाले 237 प्रसारण केंद्रों का नेटवर्क है, के अलावा मार्च, 2012 तक 245 प्राइवेट एफएम रेडियो केंद्र प्रचालनात्मक थे। आकाशवाणी की सेवाएं, देश के 91.85 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में 99.18 प्रतिशत आबादी को प्राप्त होती है। इसके अलावा, मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, समुदाय रेडियो केंद्रों को स्थापित करने के लिए जारी 167 लाइसेंसों में से 130 समुदाय रेडियो केंद्र प्रचालनात्मक थे। रेडियो उद्योग, जो पूर्णतः विज्ञापन आय पर निर्भर है, में वर्ष 2011 के दौरान लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उद्योग ने वर्ष 2010 में 1000[3] करोड़ रुपए की आय की तुलना में वर्ष 2010 में 1150[3] करोड़ रुपए का विज्ञापन राजस्व दर्शाया। विज्ञापन दरों में महानगरों में 7–10[3] प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अपेक्षाकृत छोटे शहरों में इसमें 15–18[3] प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्थानीय विज्ञापन का उद्योग की आय में सशक्त योगदान रहा और उद्योग के लिए विज्ञापन राजस्व में इसका लगभग 50[3] प्रतिशत का योगदान था, जबकि टियर–II तथा टियर–III शहरों में स्थानीय विज्ञापन का हिस्सा लगभग 70[3] प्रतिशत है।

24. पिछले दशक में केबल तथा उपग्रह (सी एवं एस) टीवी बाजार की गत्यात्मकता में परिवर्तन हुआ है। डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग एक मिलियन प्रति माह की दर से वृद्धि हो रही है। भारत सर्वाधिक डीटीएच उपभोक्ता आधार वाले देश के रूप में उभरा है। यह स्पष्ट रूप से डिजिटल एड्रेसेबल मंचों की बढ़ती लोकप्रियता तथा स्वीकार्यता को निर्दिष्ट करता है, जिनके पास हितधारकों को देने के लिए और काफी कुछ है। इस तथ्य को स्वीकारते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सरकार से 5 अगस्त 2010 की अपनी सिफारिशों में अनुशंसा की है कि केबल टीवी सेवा क्षेत्र में एड्रेसेबिलिटी के साथ चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटलीकरण कर दिया जाए। सरकार ने इन्हें स्वीकार कर लिया है तथा संसद द्वारा केबल अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों के तदनंतर केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें देश भर में चरणबद्ध तरीके से चार चरणों में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के क्रियान्वयन हेतु रूपरेखा निर्धारित की गई है। उक्त क्रियान्वयन के दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण होने की संभावना है। वर्ष के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) के क्रियान्वयन हेतु विनियामक ढांचा सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इसमें अंतःसंयोजन, सेवा गुणवत्ता, शिकायत निवारण तंत्र संबंधी प्रशुल्क आदेश तथा विनियमों का निर्गम शामिल है। एड्रेसेबिलिटी युक्त डिजिटीकरण से आमूल परिवर्तन होगा तथा देश में एक संरचित तरीके से प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाएं विकसित होंगी।

भाग–I

नीतियां तथा कार्यक्रम

दूरसंचार क्षेत्र

1. पिछले वर्ष की विकास दर इस वर्ष भी जारी रही। इस वर्ष भी दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता आधार में असाधारण वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपभोक्ता आधार 951.34 मिलियन था, जिसमें मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 919.17 मिलियन थी। उपभोक्ता आधार में 1990 के दशक से अनुभव की गई विकास प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी रही। दूरसंचार क्षेत्र की विभिन्न सेवाओं के विकास की स्थिति को नीचे रेखांकित किया गया है।

वायरलैस

2. वायरलैस उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2011 के 811.59 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2012 को 919.17 मिलियन उपभोक्ता हो गया। वित्त वर्ष 2011–12 में इसमें 107.58 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई जिससे इसमें लगभग 13.26 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। वायरलैस सेवाओं का कुल उपभोक्ता आधार मार्च, 2007 के 165.11 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2012 में 919.17 मिलियन हो गया, जैसा कि **चित्र 1** में दर्शाया गया है :–

चित्र 1 : वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)

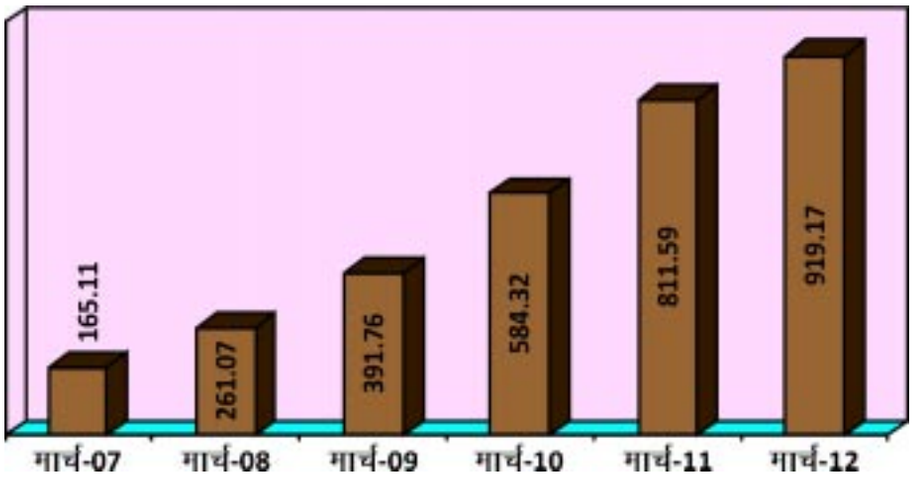

वायरलाइन

3. वायरलाइन उपभोक्ताओं का उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2011 के 34.73 मिलियन उपभोक्ताओं की तुलना में 31 मार्च, 2012 को 32.17 मिलियन उपभोक्ता था, इसमें वर्ष 2011–12 के दौरान 2.56 मिलियन उपभोक्ताओं की कमी दर्ज की गई। 32.17 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ताओं में से 24.62 मिलियन शहरी वायरलाइन उपभोक्ता और शेष 7.55 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता हैं। गत छह वर्षों के दौरान वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति को **चित्र 2** में दर्शाया गया है।

चित्र 2 : वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)

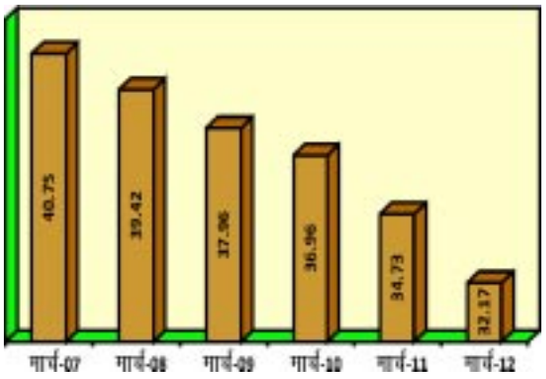

टेलीघनत्व

4. मार्च, 2012 के अंत में टेलीघनत्व पिछले वर्ष की समाप्ति पर 70.89 प्रतिशत की तुलना में 78.66 प्रतिशत हो गया अर्थात उसमें लगभग 7.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। मार्च, 2007 से टेलीघनत्व में विकास को **चित्र 3** में दर्शाया गया है :–

इंटरनेट उपभोक्ता

5. देश में इंटरनेट उपभोक्ता आधार 31 मार्च 2011 के 19.67 मिलियन की तुलना में

चित्र 3 : टेलीघनत्व में वृद्धि

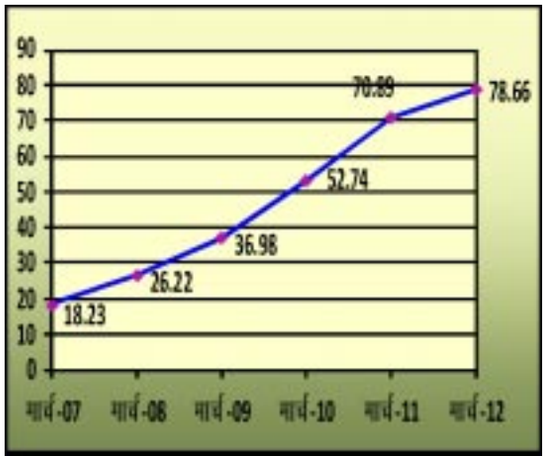

31 मार्च, 2012 को 22.86 मिलियन था, अर्थात् उसमें लगभग 16.19 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या दिनांक 31 मार्च, 2012 को 13.81 मिलियन तक पहुंच गई जबकि 31 मार्च, 2011 को यह 11.89 मिलियन थी, इस प्रकार वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान इसमें 1.92 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की निवल वृद्धि हुई और यह वृद्धि दर 16.15 प्रतिशत रही।

6. नैरोबैंड (<256 केबीपीएस) एवं ब्रॉडबैंड (>256 केबीपीएस) वाले इंटरनेट उपभोक्ता आधार का विगत छह वर्षों का विवरण **चित्र 4** में दर्शाया गया है :–

दूरसंचार प्रशुल्क में प्रवृत्तियां

7. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उपयुक्त नियामक नीतियों और उपायों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने और इसके परिणामस्वरूप सतत् विकास के साथ वहनीय प्रशुल्क प्राप्त करने में सफल रहा है। यह नीति प्रचालकों को वित्तीय स्थायित्व प्रदान करने, क्षेत्र में कार्यकुशलता का संवर्धन करने

चित्र 4 : इंटरनेट उपभोक्ता (मिलियन में)

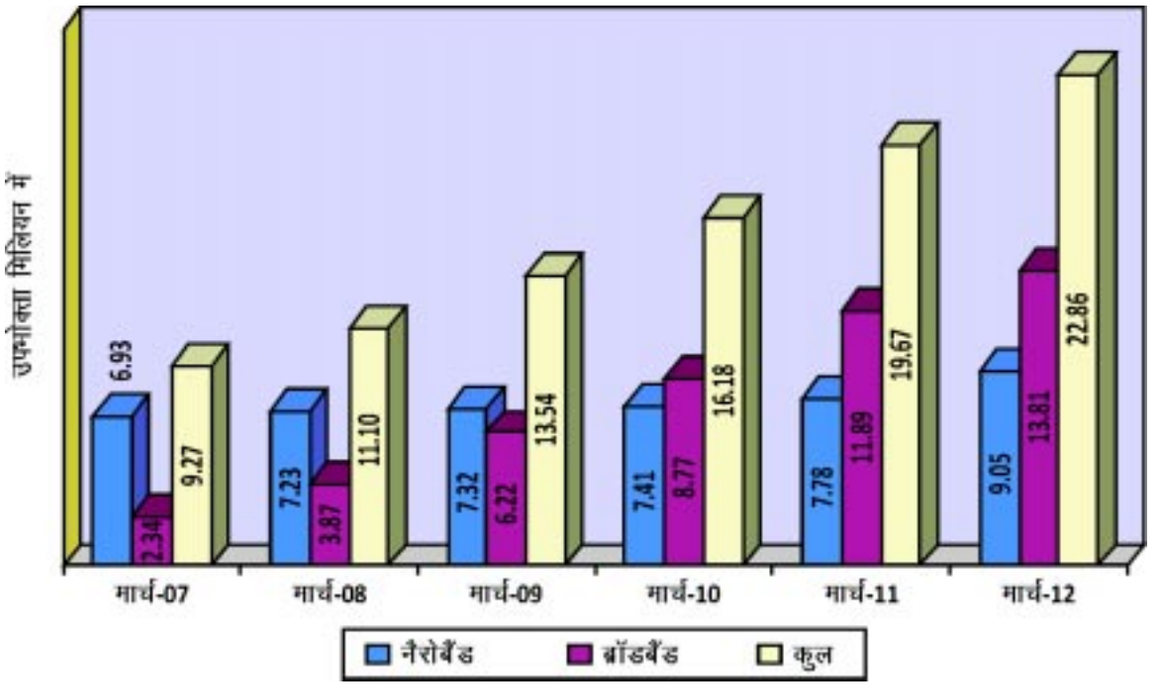

तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सफल रही है। इसके परिणाम उपभोक्ता आधार में अत्यधिक वृद्धि तथा प्रशुल्कों में गिरावट में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं जिसके कारण उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। प्राधिकरण ने दूरसंचार प्रशुल्क नियमित करने के प्रति नरम रुख अपनाया है।

8. उपभोक्ताओं के लिए उनके उपयोग और आवश्यकताओं के अनुरूप बड़ी संख्या में उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध हैं। सामान्यतः लाइफ टाइम प्लान के रूप में उल्लिखित प्रशुल्क के एक सेट की उपलब्धता एक अनोखा विकल्प है जो उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता की संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान दरों में कोई प्रतिकूल बदलाव किए बिना एक समान प्रशुल्क का लाभ उठाने में समर्थ बनाता है।

भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक

9. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतकों" पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं तथा सेवा गुणवत्ता से संबंधित मापदण्डों के लिए मुख्य मापदण्ड एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट विभिन्न हितधारकों, अनुसंधान एजेंसियों तथा विश्लेषकों के लिए एक संदर्भ दस्तोवज के रूप में कार्य करने के लिए दूरसंचार सेवाओं पर व्यापक संदर्श प्रस्तुत करती है। वर्ष 2011–12 के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने चार तिमाही रिपोर्टें जारी की हैं। 4 तिमाहियों के लिए मुख्य मापदण्डों को शामिल करने वाले सारांश तालिका–1 पर हैं।

तालिका 1 : निष्पादन संकेतक

	जून 2011 को समाप्त तिमाही	सित. 2011 को समाप्त तिमाही	दिस. 2011 को समाप्त तिमाही	मार्च 2012 को समाप्त तिमाही
दूरसंचार उपभोक्ता (वायरलैस + वायरलाइन) मिलियन में				
कुल टेलीफोन उपभोक्ता	885.99	906.93	926.53	951.34
शहरी उपभोक्ता	587.94	601.42	611.19	620.52
ग्रामीण उपभोक्ता	298.05	305.51	315.33	330.82
वायरलैस उपभोक्ता	851.70	873.61	893.84	919.17
वायरलाइन उपभोक्ता	34.29	33.31	32.69	32.17
टेलीघनत्व				
कुल टेलीघनत्व	73.97	75.48	76.86	78.66
शहरी टेलीघनत्व	163.13	166.01	167.85	169.55
ग्रामीण टेलीघनत्व	35.60	36.40	37.48	39.22
इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में)				
कुल इंटरनेट उपभोक्ता	20.33	20.99	22.39	22.86
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	12.35	12.83	13.35	13.81
दूरसंचार वित्तीय आंकड़े (रु0 करोड़)				
तिमाही के दौरान सकल राजस्व	46,891.61	49,942.25	49,365.18	49,242.99
समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	32,589.93	33,460.52	34,081.35	34,457.07

दूरसंचार सेक्टर[1] का वित्तीय निष्पादन

राजस्व

10. दूरसंचार सेवा क्षेत्र का राजस्व 2010–11 के 1,71,719 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011–12 में 1,95,442 करोड़ रुपए हो गया है, जो इसमें 13.82 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाता है। अंतःप्रचालक अंतःसंयोजन प्रभारों के समायोजन के उपरांत राजस्व की तद्नुरूपी राशि 2010–11 में 1,66,752 करोड़ रुपए और 2011–12 में 1,79,914 करोड़ रुपए हो गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.89% की वृद्धि दर्शाता है।

11. 2011–12 में सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों का राजस्व अंशदान 17.77% (पिछले वर्ष 20.37%) था और निजी क्षेत्र की कंपनियों का राजस्व में योगदान 82.23% (पिछले वर्ष 79.63%) था। नीचे दी गई **तालिका–2**, में 2010–11 और 2011–12 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के राजस्व में अंशदान को दर्शाया गया है। वर्ष 2010–11 और 2011–12 के लिए विभिन्न दूरसंचार कंपनियों की राजस्व आमदनी को **चित्र–5** में दर्शाया गया है।

[1]भादूविप्रा को सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर। विगत वर्ष के आंकड़े भादूविप्रा की वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 में प्रकाशित किए गए है।

चित्र–5 : वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में प्रमुख दूरसंचार सेवा पहुंच प्रदाताओं का राजस्व

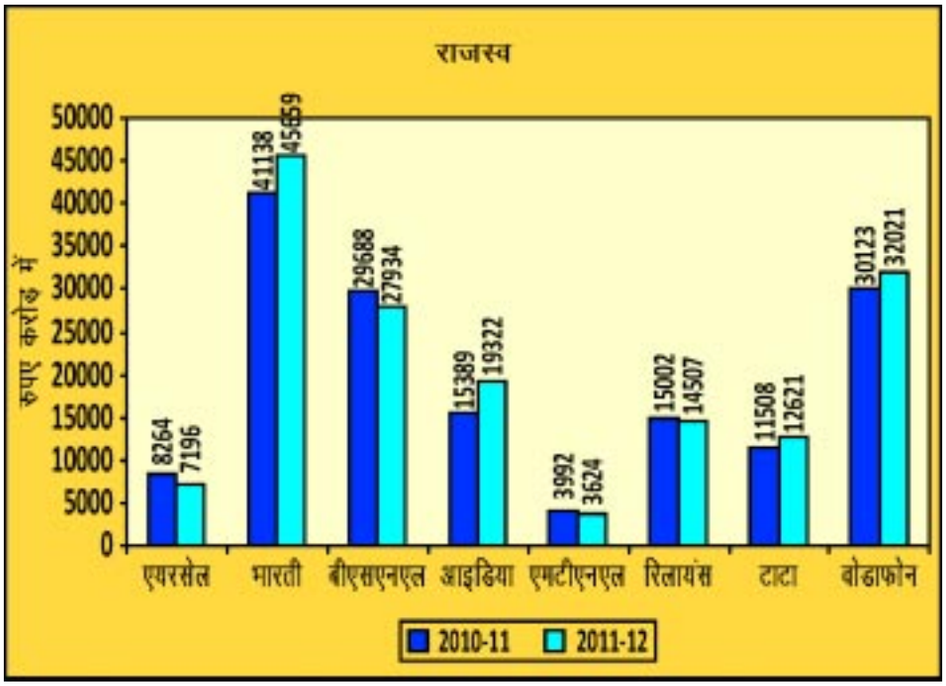

तालिका–2 : वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में राजस्व का अंशदान

दूरसंचार सेवा क्षेत्र की आय (रुपए करोड़ में)		
विवरण	2010-11	2011-12
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का राजस्व	33976	31962
निजी क्षेत्र की कंपनियों का राजस्व	132776	147952
कुल राजस्व	**166752**	**179914**

ईबीआईटीडीए

12. ईबीआईटीडीए ब्याज, कर एवं मूल्यह्रास और परिशोधन पूर्व आय को दर्शाता है। 2011–12 के लिए टेलीकॉम क्षेत्र हेतु ईबीआईटीडीए 23,221 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2010–11 में यह 23,266 करोड़ रुपए था, इस प्रकार इसमें 0.19% की कमी आई है।

13. 2011–12 में सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के ईबीआईटीडीए में 123.69% की कमी आई जबकि निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के ईबीआईटीडीए में 16.66% की वृद्धि हुई। 2010–11 और 2011–12 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के ईबीआईटीडीए को **तालिका–3** में दर्शाया गया है।

तालिका–3 : 2010–11 और 2011–12 में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का ईबीआईटीडीए

ईबीआईटीडीए	(रुपए करोड़ में)	
	2010-11	2011-12
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का ईबीआईटीडीए	2,794	-662
निजी क्षेत्र की कंपनियों का ईबीआईटीडीए	20,472	23,883
कुल ईबीआईटीडीए	**23,266**	**23,221**

14. दूरसंचार सेवा क्षेत्र का ईबीआईटीडीए मार्जिन 2010–11 के 13.95% से कम होकर 2011–12 में 12.91% हो गया है। 2010–11 और 2011–12 के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ईबीआईटीडीए मार्जिन को **चित्र–6** में दर्शाया गया है।

परिचालन अनुपात

15. परिचालन अनुपात, परिचालन व्यय को कुल राजस्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। वर्ष 2011–12 के लिए दूरसंचार सेवा उद्योग के लिए परिचालन अनुपात 87.09% था। 2010–11 और 2011–12 के लिए पूरे क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के परिचालन अनुपात को **चित्र 7** में दर्शाया गया है।

प्रयुक्त पूंजी

16. प्रयुक्त पूंजी, व्यवसाय को चलाने के काम में लगाई गई धनराशि को निरूपित करती है।

चित्र–6 : 2010–11 और 2011–12 का ईबीआईटीडीए मार्जिन

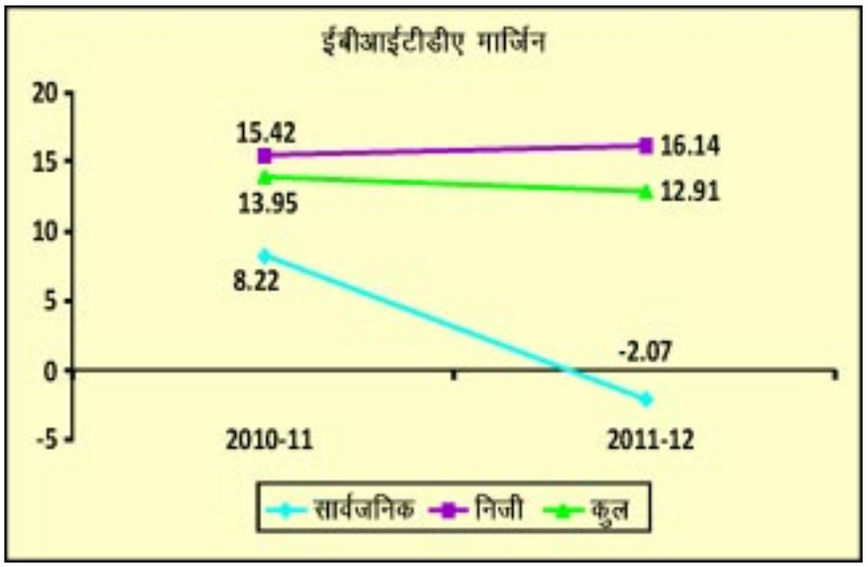

चित्र–7 : 2010–11 और 2011–12 के लिए परिचालन अनुपात

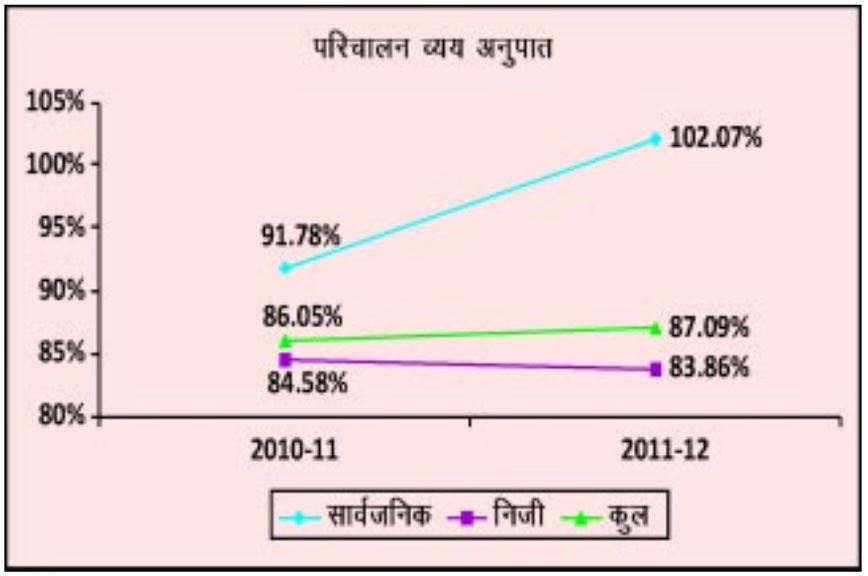

दूरसंचार क्षेत्र में प्रयुक्त पूंजी 2010–11 की 3,37,683 करोड़ रुपए से कम होकर वर्ष 2011–12 में, 3,21,375 करोड़ रुपए हो गई है जो इसमें 4.83% कमी दर्शाता है।

17. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में प्रयुक्त पूंजी में 2011–12 में 8.41% की कमी आई और निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों में प्रयुक्त पूंजी में 3.55% की कमी हुई। 2010–11 और 2011–12 के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कंपनियों में प्रयुक्त पूंजी को **तालिका–4** में दर्शाया गया है।

तालिका–4 : 2010–11 और 2011–12 में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रयुक्त पूंजी

प्रयुक्त पूंजी	(रुपए करोड़ में)	
	2010-11	**2011-12**
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की प्रयुक्त पूंजी	89,040	81,548
निजी क्षेत्र की कंपनियों की प्रयुक्त पूंजी	2,48,643	2,39,827
कुल प्रयुक्त पूंजी	3,37,683	3,21,375

पूंजी–निवेश (सकल खंड)

18. दूरसंचार सेवा क्षेत्र का पूंजी–निवेश (सकल खंड) 2010–11 के 4,79,278 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011–12 में 5,17,818 करोड़ रुपए हो गया है, इस प्रकार इसमें 8.04% की वृद्धि हुई। 2010–11 और 2011–12 के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सकल खंड को **तालिका–5** में दर्शाया गया है। 2010–11 और 2011–12 के लिए प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सकल खंड को **चित्र–8** में दर्शाया गया है।

तालिका–5: वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का निवेश (सकल खंड–अचल परिसंपत्तियां)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**2010-11**	**2011-12**
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का सकल खंड	1,97,332	2,01,582
निजी क्षेत्र की कंपनियों का सकल खंड	2,81,946	3,16,236
कुल सकल खंड	4,79,278	5,17,818

चित्र–8 : वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का सकल खंड (अचल परिसंपत्तियां)

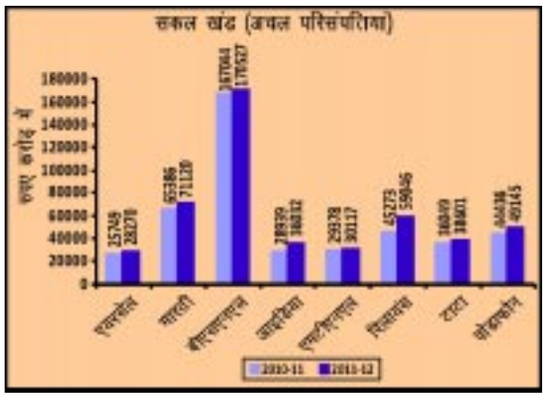

प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात

19. प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात, प्रयुक्त पूंजी को दूरसंचार क्षेत्र की आय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। 2010–11 और 2011–12 के लिए पूरे क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात को **चित्र–9** में दर्शाया गया है।

चित्र–9 : वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान प्रयुक्त पूंजी टर्नओवर अनुपात

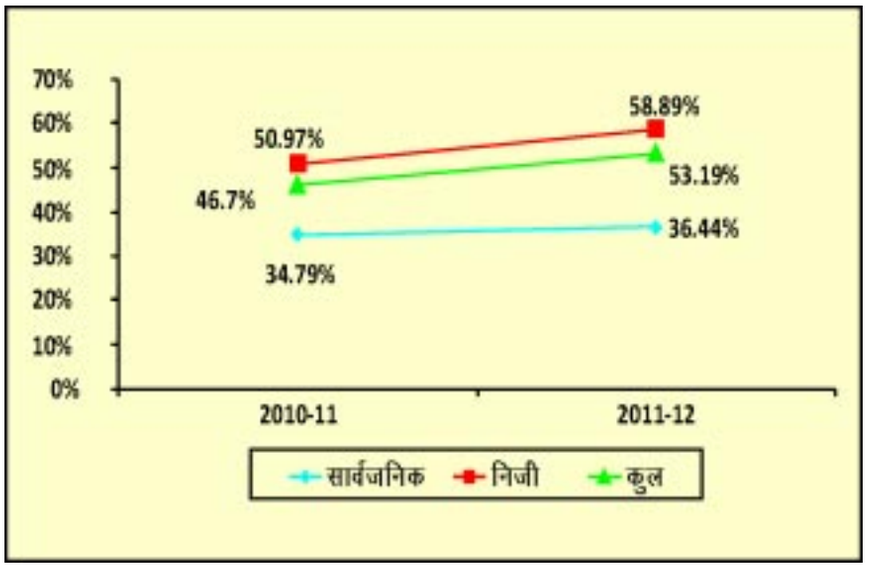

अचल परिसंपत्तियां (निवल) टर्नओवर अनुपात

20. अचल परिसंपत्तियां (निवल) टर्नओवर अनुपात, निवल अचल परिसंपत्तियों को दूरसंचार क्षेत्र की आय से विभाजित करके संगणित किया जाता है। 2010–11 और 2011–12 के लिए पूरे क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की परिसंपत्तियां के (निवल) टर्नओवर अनुपात को **चित्र–10** में दर्शाया गया है।

ऋण इक्विटी अनुपात

21. 2010–11 और 2011–12 के लिए पूरे क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के ऋण इक्विटी अनुपात को **चित्र–11** में दर्शाया गया है। ऋण इक्विटी अनुपात, ऋण को

चित्र–10 : वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान अचल परिसंपत्तियां (निवल) टर्नओवर अनुपात

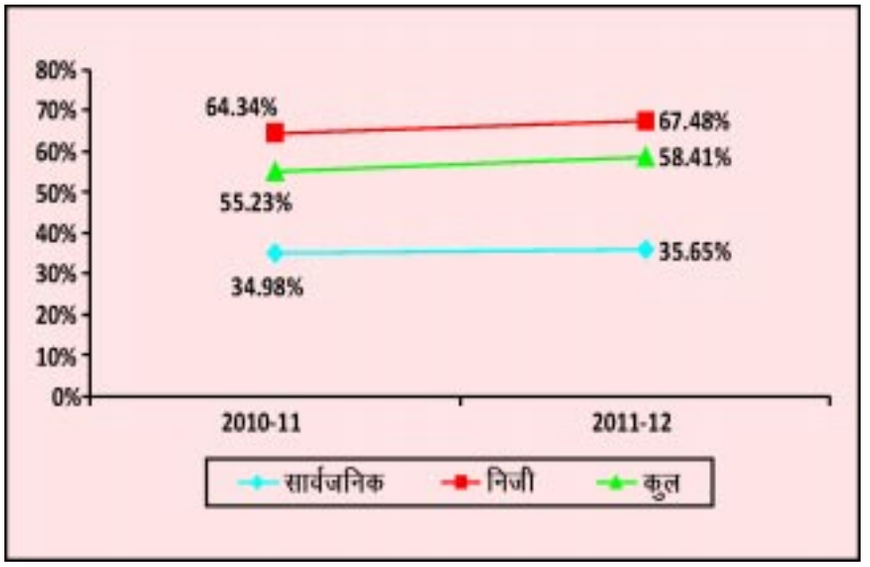

चित्र–11 : वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान ऋण इक्विटी अनुपात

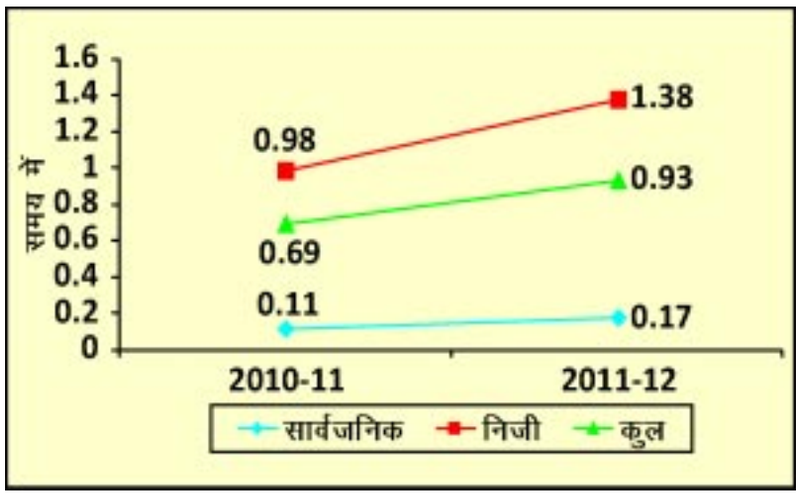

इक्विटी से विभाजित करके परिकलित किया जाता है, जहां ऋण का अर्थ कुल ऋण होता है और इक्विटी में शेयरधारकों की निधियां शामिल होती हैं।

ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

(i) वायरलैस

22. 31 मार्च, 2012 को वायरलैस ग्रामीण [मोबाइल और डब्ल्यूएलएल(एफ)] बाजार 31 मार्च, 2011 को **273.54** मिलियन की तुलना में **323.27** मिलियन तक पहुंच गया। सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट दर्शाती है कि कुल उपभोक्ताओं में से 35.17 प्रतिशत उपभोक्ता आज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण उपभोक्ता आधार धीरे–धीरे बढ़ रहा है। मार्च 2007 से ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार को **चित्र 12** में दर्शाया गया है। सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार और उनके बाजार हिस्से को **तालिका 6 और चित्र 13** में दर्शाया गया है।

चित्र 12 : ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)

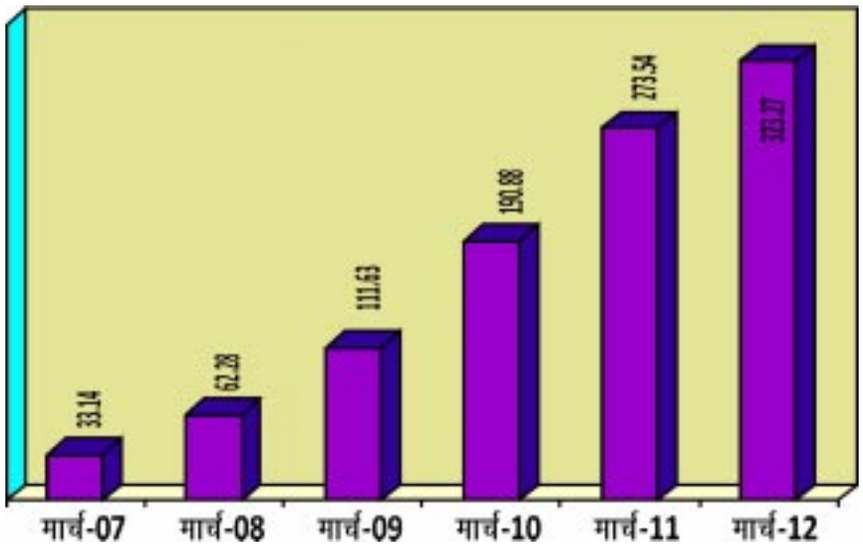

तालिका 6 : सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता और बाजार हिस्सा

क्रम सं.	वायलैस समूह	कुल वायरलैस उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा	
		मार्च, 12	मार्च, 11	मार्च, 12	मार्च, 11	मार्च, 12	मार्च, 11
1	भारती	181.28	162.20	75.83	65.73	23.46	24.03
2	रिलायंस	153.05	135.72	34.02	29.47	10.52	10.77
3	वोडाफोन	150.47	134.57	62.84	51.62	19.44	18.87
4	आइडिया/स्पाइस	112.72	89.50	60.51	46.05	18.72	16.83
5	बीएसएनएल	98.51	91.83	34.53	32.77	10.68	11.98
6	टाटा	81.75	89.14	16.70	18.46	5.17	6.75
7	एयरसैल	62.57	54.84	22.54	19.43	6.97	7.10
8	यूनीटेक	42.43	22.79	12.11	6.86	3.75	2.51
9	सिस्टेमा	15.80	10.06	2.61	2.35	0.81	0.86
10	वीडियोकॉन	5.95	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
11	एमटीएनएल	5.83	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
12	एस टेल	3.43	2.82	1.58	0.80	0.49	0.29
13	लूप	3.27	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
14	एचएफसीएल	1.33	1.47	0.000	0.001	0.00	0.00
15	ईटीसलत	0.782	0.968	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**919.17**	**811.59**	**323.27**	**273.54**	**100.00**	**100.00**

चित्र 13 : ग्रामीण वायरलैस उपभोक्ता आधार में सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा

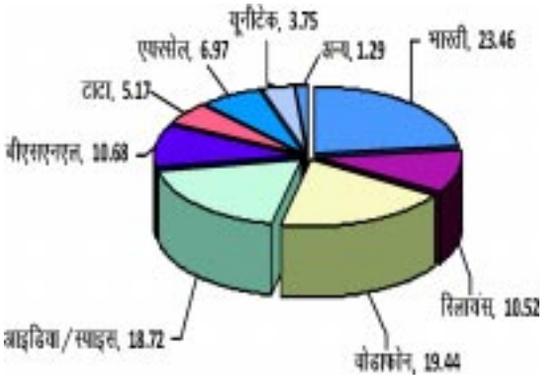

टिप्पणीः अन्य में यूनीटेक, सिस्टेमा, एसटेल और एचएफसीएल शामिल हैं।

(ii) वायरलाइन

23. ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार में गिरावट हो रही है **(चित्र 14)**। 31 मार्च, 2012 को, ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार **7.55** मिलियन था जबकि इसकी तुलना में 31, मार्च, 2011 के समापन पर यह **8.69** मिलियन था। सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट दर्शाती है कि कुल वायरलाइन उपभोक्ताओं का **23.46** प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है। सेवा प्रदातावार वायरलाइन ग्रामीण उपभोक्ता आधार तथा उनका बाजार हिस्सा **तालिका 7** और **चित्र 15** में दर्शाया गया है।

तालिका 7 : सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता और उनका बाजार हिस्सा

क्रम सं.	वायरलाइन समूह	कुल वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)		ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)	
		मार्च, 11	मार्च, 12	मार्च, 11	मार्च, 12	मार्च, 11	मार्च, 12
1	बीएसएनएल	25.22	22.47	8.64	7.492	99.44	99.28
2	एमटीएनएल	3.46	3.46	-	-	-	-
3	भारती	3.30	3.27	-	-	-	-
4	एचएफसीएल	0.19	0.20	-	-	-	-
5	सिस्टेमा	0.04	0.05	0.005	0.007	0.06	0.09
6	टाटा	1.28	1.44	0.04	0.046	0.48	0.61
7	रिलांयस	1.23	1.27	0.002	0.002	0.02	0.02
8	वोडाफोन	-	0.02	-	-	-	-
	कुल	**34.73**	**32.17**	**8.69**	**7.547**	**100.00**	**100.00**

चित्र 14 : ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता (मिलियन में)

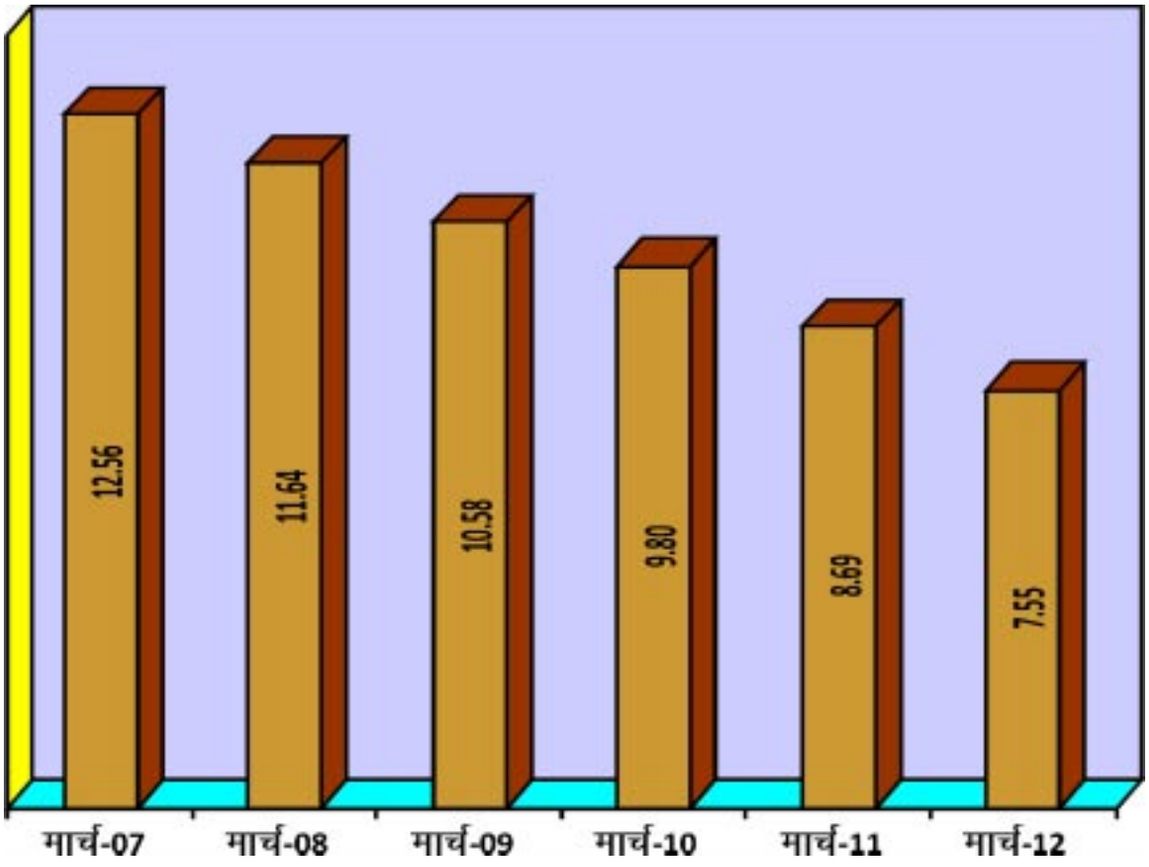

चित्र–15 : ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार में सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा

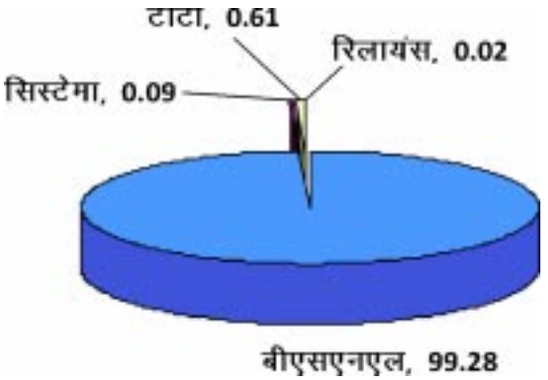

टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

(i) वायरलैस सेवाएं

24. 31 मार्च, 2011 को 811.59 मिलियन के उपभोक्ता आधार की तुलना में 31 मार्च, 2012 को वायरलैस उपभोक्ता आधार 919.17 मिलियन था। इसमें वित्त वर्ष 2011–12 में 107.58 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई तथा लगभग 13.26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वायरलैस सेवाओं के कुल उपभोक्ता आधार में मार्च, 2007 में 165.11 मिलियन से मार्च, 2012 में 919.17 मिलियन हो गया है। कुल 919.17 मिलियन उपभोक्ताओं में से वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति में 814.06 मिलियन (88.56 प्रतिशत) जीएसएम उपभोक्ता तथा 105.11 मिलियन (11.44 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे। मार्च 2007 से मार्च 2012 तक जीएसएम और सीडीएमए, दोनों नेटवर्कों की वायरलैस सेवाओं की उपभोक्ता वृद्धि को **चित्र 16** में दर्शाया गया है।

25. मार्च, 2007 से मार्च, 2012 तक वैयक्तिक वायरलैस सेवा प्रदाताओं (जीएसएम और सीडीएमए दोनों) का उपभोक्ता आधार तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में उनकी प्रतिशत वृद्धि **अनुबंध–I** में दी गयी है। 31 मार्च, 2012 को विभिन्न मोबाइल प्रचालकों का बाजार हिस्सा **चित्र 17** में दर्शाया गया है। विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में लाइसेंसशुदा वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सूची, **अनुबंध–II** में दी गई है।

चित्र 16 : 31 मार्च, 2012 को वायरलैस प्रचालकों का उपभोक्ता आधार (मिलियन में)

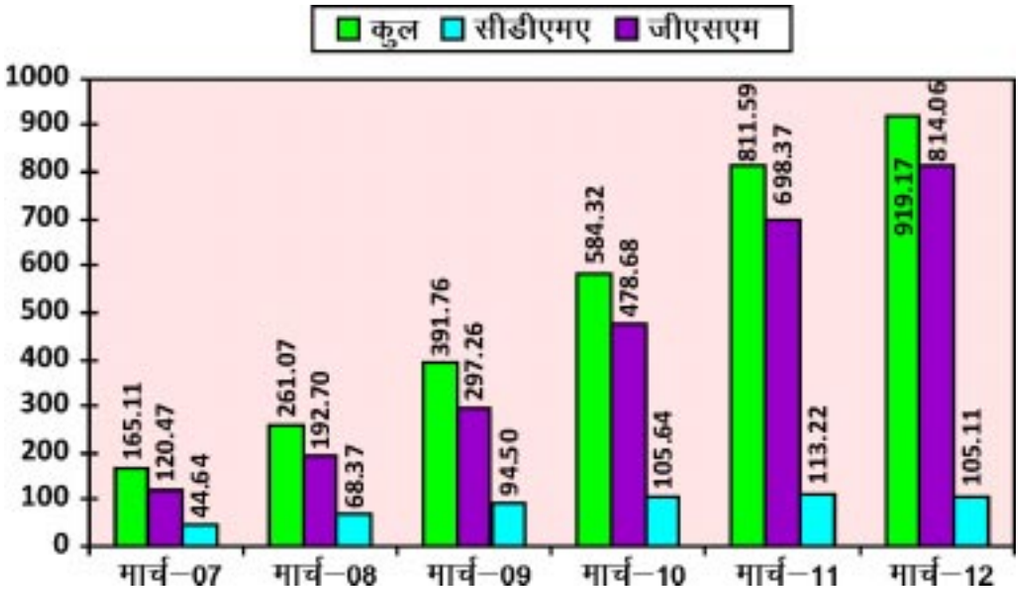

चित्र 17 : वायरलैस सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा (31 मार्च 2012 को)

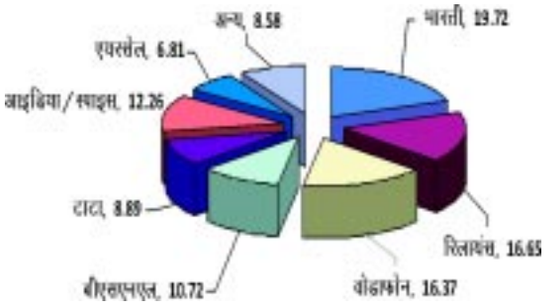

26. वायरलैस खंड (सेगमेंट) में जीएसएम सेवाओं का उपभोक्ता आधार मार्च, 2011 की समाप्ति पर 698.37 मिलियन की तुलना में मार्च, 2012 की समाप्ति पर 814.06 मिलियन के स्तर पर पहुंच गया। इसमें वर्ष के दौरान लगभग 115.69 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई तथा 16.57% की वृद्धि दर्ज की गई।

27. जीएसएम सेवाओं के उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्से के संदर्भ में, 181.28 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ मैसर्स भारती सबसे बड़ा जीएसएम प्रचालक बना रहा, जिसके पश्चात् क्रमशः 150.47 मिलियन, 112.72 मिलियन तथा 96.99 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया/स्पाइस और मैसर्स रिलायंस का स्थान है। 31 मार्च, 2012 को विभिन्न जीएसएम प्रचालकों का बाजार हिस्सा **चित्र 18** में दर्शाया गया है।

चित्र 18 : 31 मार्च, 2012 को जीएसएम प्रचालकों का बाजार हिस्सा (% में)

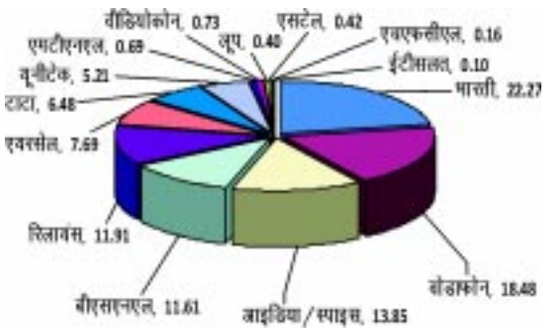

28. सीडीएमए सेल्यूलर सेवाओं में उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्से के संदर्भ में, 56.06 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ मैसर्स रिलायंस सबसे बड़ा सीडीएमए प्रचालक बना रहा, जिसके पश्चात् क्रमशः 28.97 मिलियन तथा 15.80 मिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स टाटा और मैसर्स सिस्टेमा का स्थान है। 31 मार्च, 2012 को विभिन्न सीडीएमए प्रचालकों का बाजार हिस्सा **चित्र 19** में दिया गया है।

चित्र 19 : 31 मार्च, 2012 को सीडीएमए प्रचालकों का बाजार हिस्सा (% में)

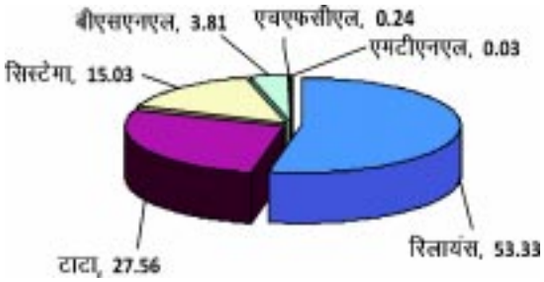

29. मार्च, 2007 से मार्च, 2012 की अवधि के लिए सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में सेल्यूलर वायरलेस सेवाओं के उपभोक्ता आधार को ग्राफ के रूप में **चित्र 20** में दर्शाया गया है।

30. वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वायरलैस उपभोक्ताओं में वृद्धि तथा वार्षिक वृद्धि दरें, **अनुबंध–III** में दर्शाई गई हैं। वायरलैस सेवाओं के लिए कुल उपभोक्ता आधार ने 13.26**%** की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिसमें 17.93 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि 'ग' सर्किल में वर्ष 2011–12 के दौरान देखी गई ।

(ii) वायरलाइन सेवाएं

31. 31 मार्च, 2012 को फिक्सड(वायरलाइन) लाइनों का कुल उपभोक्ता आधार 32.17 मिलियन था। वायरलाइन उपभोक्ताओं का प्रचालकवार

चित्र 20 : मार्च, 2007 से मार्च, 2012 तक महानगरों और परिक्षेत्रों में वायरलैस सेवाओं का उपभोक्ता आधार (आंकड़े मिलियन में)

ब्यौरा नीचे **तालिका–8** में दर्शाया गया है। उपभोक्ता आधार में भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 69.84**%** व 10.75**%** है जबकि अन्य सभी छह निजी प्रचालकों की सम्मिलित हिस्सेदारी 19.41**%** है। निजी प्रचालकों की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2011 को 17.40 प्रतिशत थी जोकि 31 मार्च, 2012 को बढ़कर 19.41 प्रतिशत हो गई। कुल फिक्सड लाइनों की बाजार हिस्सेदारी नीचे **चित्र 21** में दर्शाई गई है:–

चित्र 21 : 31 मार्च 2012 को वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा

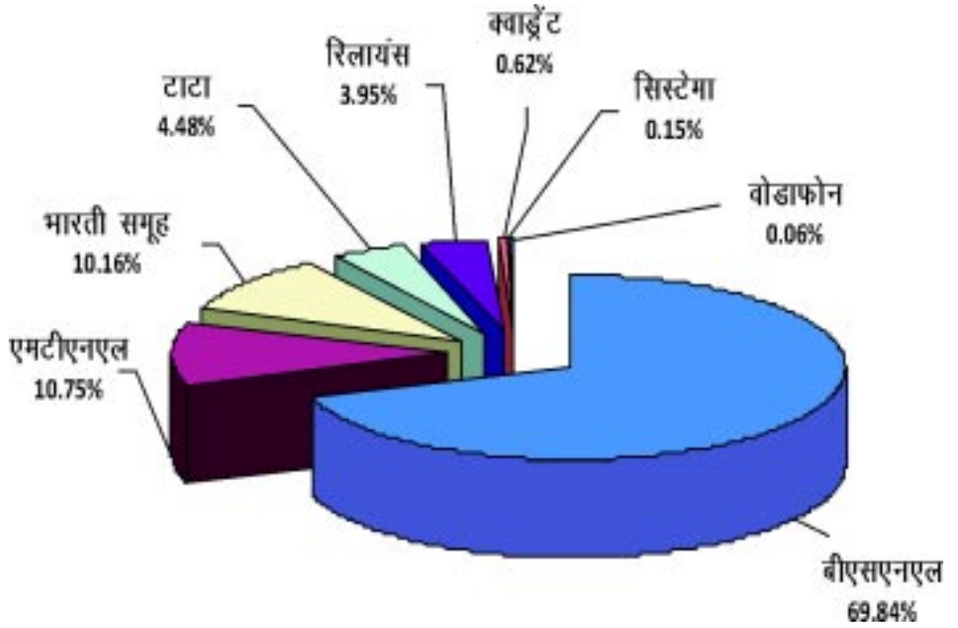

तालिका–8 : 31 मार्च 2012 को प्रचालकवार फिक्सड(वायरलाइन) उपभोक्ता आधार का विवरण

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम (वायरलाइन)	सेवा क्षेत्र	उपभोक्ता आधार (वायरलाइन)
1	भारत संचार निगम लि0 (बीएसएनएल)	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर संपूर्ण भारत	2,24,67,732
2	महानगर टेलीफोन निगम लि0 (एमटीएनएल)	दिल्ली और मुंबई	34,57,729
3	भारती एयरटेल लि0 और भारती हैक्साकॉम लि0	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित) उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम)।	32,69,949
4	क्वाड्रेंट टेलीवेन्चर लि0 (पूर्व में एचएफसीएल)	पंजाब	2,00,432
5	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लि0	राजस्थान	46,659
6	टाटा टेलीसर्विसेज़ लि0 एवं टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लि0	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र एवं मुंबई, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नै सहित),उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल।	14,41,370
7	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि0	आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नै, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल।	12,69,750
8	वोडाफोन	आंध्र प्रदेश, चेन्नै, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, ओडीसा, पंजाब और राजस्थान	17,850
	कुल योग		**3,21,71,471**

स्रोत : सेवा प्रदाताओं द्वारा फिक्सड(वायरलाइन) उपभोक्ता आधार हेतु प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट।

32. 31 मार्च, 2012 को कुल शहरी वायरलाइन उपभोक्ता 24.62 मिलियन तथा ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता 7.55 मिलियन थे। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदातावार उपभोक्ता आधार को **तालिका 9** में दर्शाया गया है तथा इसे ग्राफ के रूप में नीचे **चित्र 22** व **चित्र 23** में दिया गया है :–

तालिका 9 : सेवा प्रदातावार उपभोक्ता (शहरी तथा ग्रामीण)

सेवा प्रदाता	उपभोक्ता आधार (मिलियन)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल
बीएसएनएल	7.49	14.98	22.47
एनटीएनएल	-	3.46	3.46
भारती	-	3.27	3.27
टाटा	0.05	1.40	1.44
रिलायंस	0.002	1.27	1.27
क्वाड्रन्ट (एचएफसीएल)	-	0.20	0.20
सिस्टेमा	0.01	0.04	0.05
वोडाफोन	-	0.02	0.02
कुल	**7.55**	**24.62**	**32.17**

चित्र 22 : 31 मार्च, 2012 को शहरी वायरलाइन उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)

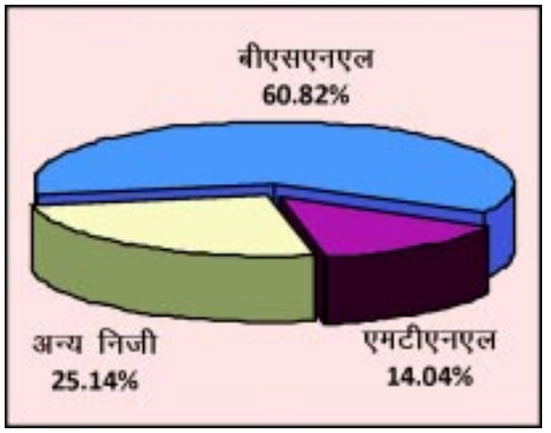

33. 31 मार्च, 2011 को बीएसएनएल और एमटीएनएल के अलावा 06 एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंसी (यूएएसएल) फिक्सड लाइन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कुल सज्जित क्षमता तथा सेवा प्रदातावार कनेक्शनों को नीचे **तालिका 10** में दर्शाया गया है :–

पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ)

34. 31 मार्च, 2012 को कुल पब्लिक कॉल ऑफिसों (पीसीओ) की संख्या 2.01 मिलियन थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल तथा निजी प्रचालकों

चित्र 23 : 31 मार्च, 2012 को ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं का बाजार हिस्सा (प्रतिशत में)

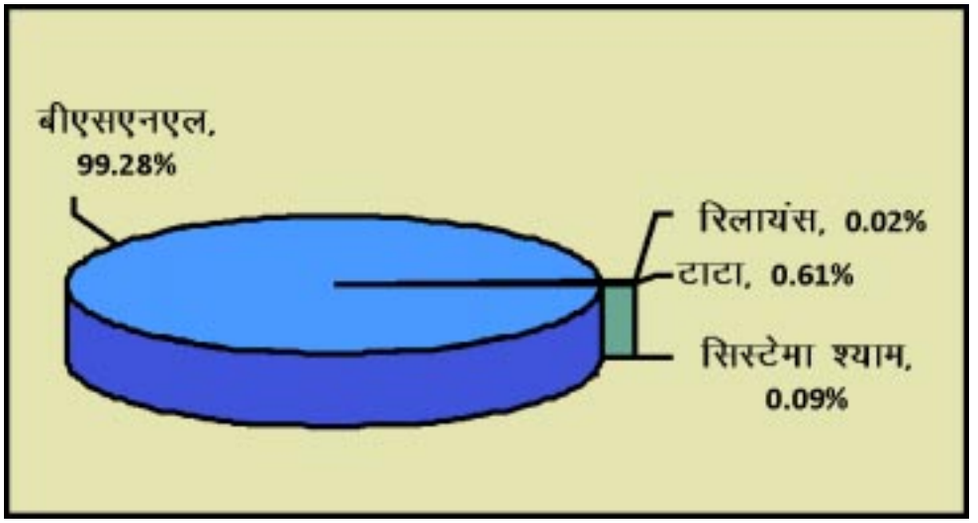

तालिका 10 : सेवा प्रदातावार सज्जित स्विचिंग क्षमता

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2012 को	
			सज्जित क्षमता	कार्य कर रहे कनेक्शन
1	भारत संचार निगम लि0	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर संपूर्ण भारत	4,25,05,984	2,24,67,732
2	महानगर टेलीफोन निगम लि0	दिल्ली और मुंबई	57,73,936	34,57,729
3	भारती एयरटेल लि0 और भारती हैक्साकॉम लि0	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, चेन्नै सहित और उत्तरांचल सहित उ0प्र0 (पूर्व) और उ0प्र0 (पश्चिम)।	1,08,74,000	32,69,949
4	क्वाड्रेंट टेलीवेन्चर्स लि0	पंजाब	5,48,835	2,00,432
5	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि0	आंध्र प्रदेश, बिहार, चेन्नै, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल	26,68,000	12,69,750
6	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज़ लि0	राजस्थान	64,000	46,659
7	टाटा टेलीसर्विसेज़ लि0 एवं टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लि0	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, पूर्वोत्तर, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु चेन्नै सहित और उत्तरांचल सहित उ0प्र0 (पूर्व), उ0प्र0 (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल।	29,56,010	14,41,370
8	वोडाफोन	आंध्र प्रदेश, चेन्नै, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, ओडीसा, पंजाब और राजस्थान	1,30,000	17,850

स्रोत : सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से।

द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या **तालिका 11** में नीचे दर्शाई गई है:–

तालिका 11 : देश में पब्लिक कॉल ऑफिस

क्रम सं.	सेवा प्रदाताओं का नाम	2011-12 (मार्च, 2012)
1	बीएसएनएल	10,80,316
2	एनटीएनएल	1,58,970
3	निजी प्रचालक	7,66,442
	कुल	**20,05,728**

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

35. 31 मार्च, 2012 को, ऐसे सेवा प्रदाता जो फिक्सड (वायरलाइन) लाइन सेवाएं भी प्रदान कर रहे थे, के द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की कुल संख्या, 5.837 लाख थी, जबकि 31 मार्च, 2011 को यह संख्या 5.847 लाख थी। **तालिका 12** सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए वीपीटी की कुल संख्या को दर्शाती है।

तालिका 12 : भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्रम सं	सेवा प्रदाताओं का नाम	2010-11 (मार्च, 2011)	2011-12 (मार्च, 2012)
1	बीएसएनएल	5,73,863	5,77,031
2	एनटीएनएल	0	0
3	निजी प्रचालक	10,869	6,687
	कुल	**5,84,732**	**5,83,718**

(iii) इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सेवाएं

36. भादूविप्रा. इण्टरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जा रही निष्पादन अनुवीक्षण रिपोर्टों (पीएमआर) का विश्लेषण करके देश में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की वृद्धि की सतत् निगरानी कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 187 आईएसपी ने भादूविप्रा को अपनी तिमाही निष्पादन अनुवीक्षण रिपोर्टें (पीएमआर) नियमित रूप से प्रस्तुत की हैं। वित्त वर्ष के दौरान परिस्थिति अनुकूल बनाने तथा सेवाओं में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भादूविप्रा ने आईएसपी द्वारा समय–समय पर उठाए गए मुद्दों का सफल समाधान किया है।

37. दूरसंचार विभाग(डीओटी) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक इंटरनेट सेवाओं के लिए 378 अनुज्ञप्तियां थीं। विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार, 31 मार्च, 2011 को 19.67 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2012 को देश में इंटरनेट उपभोक्ता आधार (नैरोबैंड व ब्रॉडबैंड, दोनों) की संख्या 22.86 मिलियन हो गयी, इस प्रकार 16.19 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इनके अलावा, (दिनांक 31.3.2012 को) 448.89 मिलियन उपभोक्ता ऐसे थे जो मोबाइल फोन (जीएसएम/सीडीएमए) अथवा डाटा कार्ड द्वारा इंटरनेट सहित डाटा सेवाओं का उपयोग कर रहे थे।

38. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा निजी क्षेत्र के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट उपभोक्ताओं के वितरण को **तालिका 13** में दर्शाया गया है।

तालिका 13 : दिनांक 31 मार्च, 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इंटरनेट सेवा प्रदाता	1,51,93,502
निजी क्षेत्र के उपक्रमों के इंटरनेट सेवा प्रदाता	76,66,234
कुल	2,28,59,736

39. दिनांक 31 मार्च, 2012 को उपभोक्ताओं के आधार पर शीर्ष पांच इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की बाजार हिस्सेदारी नीचे **तालिका 14** में दशाई गई है :–

तालिका 14 : दिनांक 31 मार्च, 2012 को उपभोक्ताओं के आधार पर शीर्ष पांच इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की बाजार हिस्सेदारी

क्र. सं.	इंटरनेट सेवा प्रदाता	बाजार हिस्सेदारी प्रतिशत में
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	55.32
2.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	15.65
3.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	11.13
4.	भारती एयरटेल लिमिटेड	6.04
5.	यू ब्रॉडबैंड एंड केबल इंडिया प्रा. लिमिटेड	1.84

40. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं में से भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः 12.65 मिलियन और 2.54 मिलियन उपभोक्ता आधार की जानकारी दी गई, जबकि निजी क्षेत्र में से रिलायंस कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, यू ब्रॉडबैंड एंड केबल इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा क्रमशः 2.58 मिलियन, 1.38 मिलियन, और 0.42 मिलियन उपभोक्ता आधार की जानकारी दी गई।

41. ब्रॉडबैंड नीति, 2004 के अनुसार, ब्रॉडबैंड को एक ऐसे "सदैव चालित" डाटा कनेक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरएक्टिव सेवाओं को सपोर्ट करने में सक्षम है तथा जिसमें ब्रॉडबैंड की सेवा प्रदान करने का इरादा रखने वाले सेवा प्रदाताओं की प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) से एक वैयक्तिक उपभोक्ता को न्यूनतम 256 केबीपीएस की गति से डाउनलोड करने की क्षमता हो, जहां ऐसे व्यक्तिगत ब्रॉडबैंड कनेक्शनों को एकीकृत किया जाता है, तथा उपभोक्ता इस प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से इंटरनेट सहित इस प्रकार की इंटरएक्टिव सेवाओं तक अपनी पहुंच (एक्सेस) कर सकता है। ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए कई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (डीएसएल) सेवा प्रदाताओं की सबसे अधिक पसंद की प्रौद्योगिकी है। ब्रॉडबैंड की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग में लाई जा रही अन्य प्रौद्योगिकियां हैं, केबल मोडम, एथरनेट एलएएन, फाइबर, वायरलैस, लीज्ड लाइन इत्यादि। मार्च, 2012 की समाप्ति पर देश में ब्रॉडबैंड का आधार 13.81 मिलियन है।

(iv) इंटरनेट टेलीफोनी

42. अगस्त, 2007 में दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा, इंटरनेट सेवाओं का संचालन करने के लिए जारी नए दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी गई है तथा इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाताओं(आईटीएसपी) की अलग श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 36 इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सूची **तालिका–15** में दी गई है। वित्त वर्ष के दौरान इंटरनेट टेलीफोनी का प्रयोग कुल 236.40 मिलियन मिनटों के लिए किया गया।

तालिका 15 : इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सूची

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम
1	अलायन्स ब्रॉडबैंड सर्विसेस प्रा. लिमिटेड
2	अपना टेलीलिंक लि0
3	एशियानेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स लि0
4	भारत संचार निगम लिमिटेड
5	ब्लेजनेट लि0
6	सिटी ऑनलाइन सर्विसेज़ लि0
7	सिटीकाम नेटवर्कस प्रा. लिमिटेड
8	कोर्डिया एलटी कम्युनिकेशन्स प्रा0 लि0
9	डाटा इंफोसिस लि0
10	डेल डीएसएल इंटरनेट प्रा0 लि0
11	डिजिटल2वर्चुअल आईएसपी प्रा0 लि0
12	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड
13	फास्ट लाइनैक्स इंटरनेट सर्विस प्रा0 लि0
14	करूतुरी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
15	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
16	मनीपाल ईकॉमर्स लि0
17	माई ओन इंफोटेक प्रा0 लि0
18	नेटलिनक्स लि0
19	नोवानेट लिमिटेड
20	ओप्टो नेटवर्क प्रा0 लि0
21	ओरटेल कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
22	पाइपटेल कम्युनिकेशन्स प्रा. लिमिटेड
23	पल्स टेलीसिस्टम्स प्रा0 लि0
24	क्यूबीसी इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड
25	सिफी टेक्नालॉजीज़ लि0
26	स्वास्तिक नेटविजन टेलीकॉम प्रा0 लि0
27	स्विफ्टमेल कम्युनिकेशन्स लि0
28	सिन्टेल टेलीकाम लिमिटेड
29	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
30	टाटा टेलीसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लि0 (हयूजेज़ टेलीकॉम)
31	ट्रिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0 लि0
32	ट्यूलिप टेलकाम लिमिटेड (ट्यूलिप आई टी सर्विसेस लिमिटेड)
33	वीवा कम्युनिकेशन्स प्रा0 लि0
34	वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसेज़ प्रा0 लि0
35	यू ब्रॉडबैंड एंड केबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
36	जाइलॉग सिस्टम्स (इंडियन) लिमिटेड

प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र

43. प्रसारण एवं केबल टीवी सेवा क्षेत्र ने पिछले दो दशकों में आशानुरूप प्रगति की है। इस सेक्टर के अंतर्गत एनालॉग और डिजीटल केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, भौमिक सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं और रेडियो सेवाएं आती हैं। इस सेक्टर का प्रमुख घटक पे–टेलीविजन सेवा क्षेत्र है, जिसका उद्भव 1990 के प्रारंभ में हुआ था और फिर इसके बाद इस क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिला, जिससे इसके उपभोक्ताओं की संख्या 1992 के 410,000 से बढ़कर मार्च, 2012 में लगभग 142 मिलियन (केवल+डीटीएच+ अन्य प्लेटफार्म) हो गई, इस प्रकार इसमें पिछले 20 सालों में हर साल औसतन 34% से अधिक की दर से वृद्धि हुई। **चित्र 24** में देश में टेलीविजन चैनलों की संख्या में वृद्धि को दर्शाया गया है। एफएम रेडियो सेवाओं एवं भौमिक टीवी सेवाओं में भी निरंतर विकास हुआ है। उपभोक्ता आधार में विस्तार के अनुरूप सेवा प्रदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं के विकास की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

चित्र 24 : भारत में टेलीविजन चैनलों की संख्या में वृद्धि

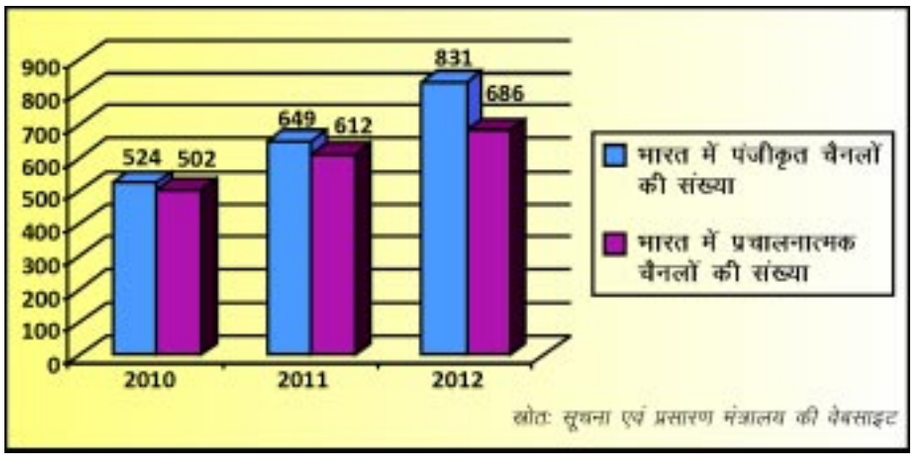

डीटीएच सेवाएं

44. भारत में 2003 में इसकी शुरूआत के बाद से डीटीएच सेवाओं में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला। हर महीने 1 मिलियन नए उपभोक्ताओं को जोड़ते हुए 6 पे डीटीएच ऑपरेटर द्वारा प्रदत्त पे डीटीएच सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 2012 तक लगभग 46.25 मिलियन हो गई है। इस आंकड़े में दूरदर्शन की फ्री डीटीएच सेवाओं को देखने वाले दर्शक शामिल नहीं हैं। उपभोक्ता आधार के संदर्भ में इस क्षेत्र के विकास को नीचे **चित्र–25** में दर्शाया गया है।

45. विगत में न केवल परंपरागत टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि डीटीएच सेवा ऑपरेटरों ने अपनी सेवाओं के अंतर्गत अभिनव ऑफर जैसे मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) मूवी–ऑन डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग सहित इंटरएक्टिव सेवाओं की पेशकश की है।

केबल टीवी सेवाएं

46. केबल टीवी सेवा क्षेत्र, सबसे बड़ा पे टेलीविजन सेवा क्षेत्र है, जिसके अनुमानित उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 94 मिलियन है। पिछले दशक में उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में केबल टीवी सेक्टर के विकास को **चित्र–26** में दर्शाया गया है।

47. इस समय, भारत में केबल टीवी सेवाएं अधिकांशतः एनालॉग (गैर समाधान योग्य केबल टीवी प्रणाली) प्रकृति की हैं। विगत कुछ वर्षों में (फ्री टु एयर तथा पे दोनों तरह के) टीवी चैनलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि तथा एनालॉग केबल टीवी प्रणाली की अंतर्निहित

चित्र–25 : पंजीकृत उपभोक्ता आधार के संदर्भ में डीटीएच क्षेत्र का विकास

(संख्या मिलियन में)

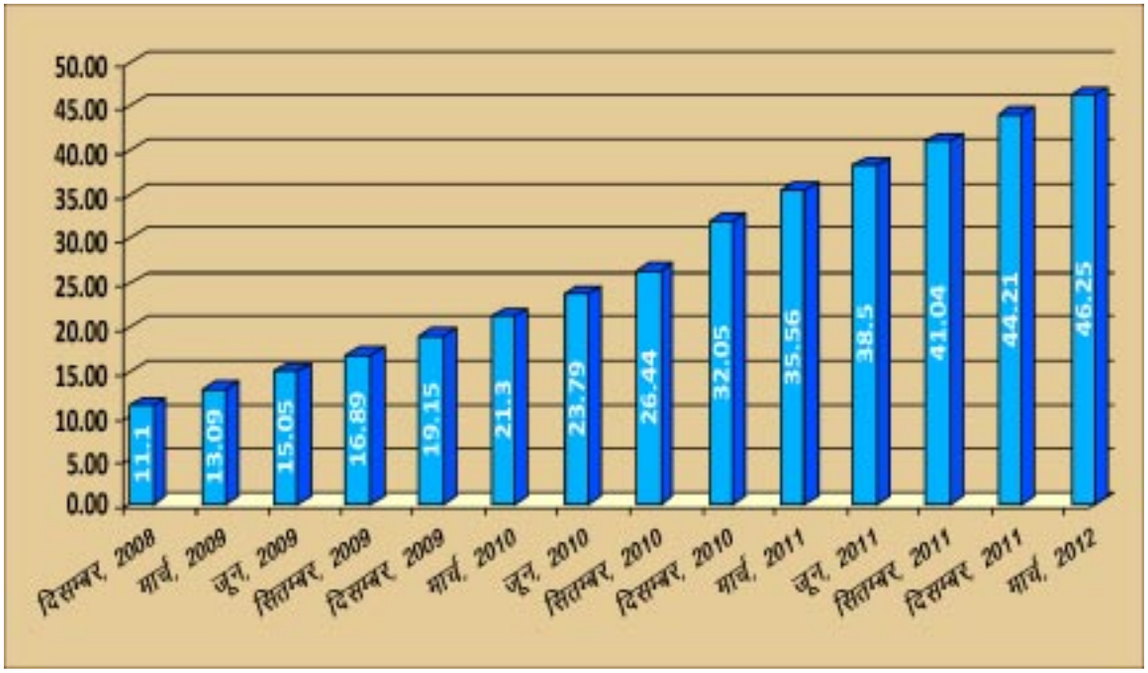

चित्र–26 : केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि (मिलियन में)

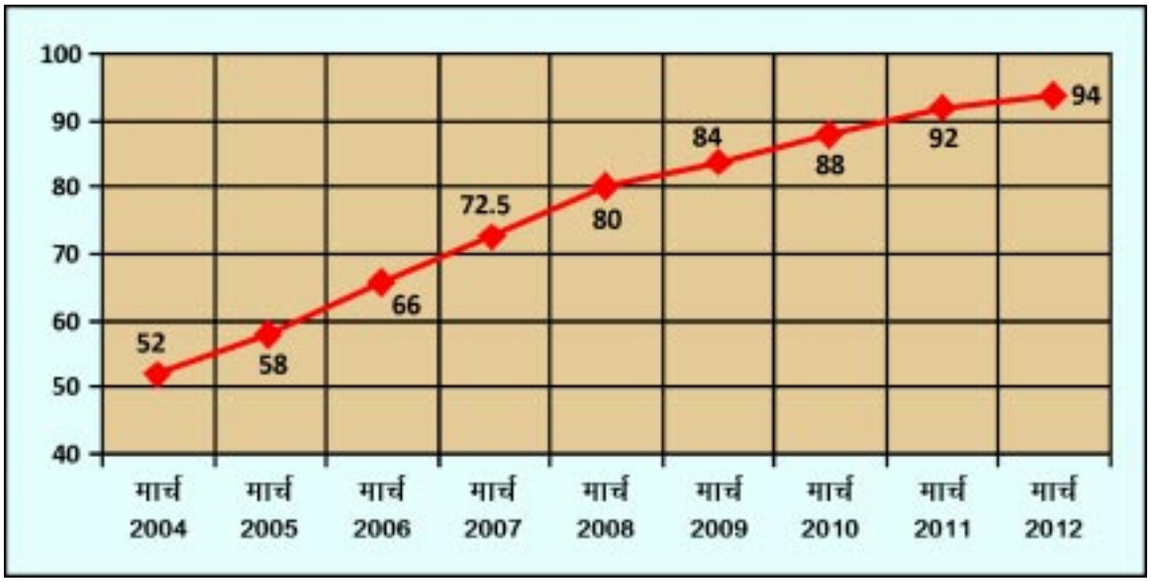

मर्यादाओं के कारण केबल टीवी सेक्टर में दक्षता अवरोधों एवं नेटवर्क की गैर समाधान योग्य प्रकृति के कारण कई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। प्रौद्योगिकी में सुधार और समय के साथ–साथ डीटीएच, आईपीटीवी आदि जैसे नए समाधान योग्य टीवी प्लेटफार्म आम जनता को प्रस्तुत किए गए। प्रौद्यौगिकी उद्भवन ने केबल टीवी सेक्टर में निराकरणीयता के साथ–साथ डिजिटाइजेशन लाने का पथ प्रशस्त किया। तद्नुसार, इस विषय का काफी कुछ अध्ययन करने तथा एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया करने के उपरांत प्राधिकरण ने सम्पूर्ण देश में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस) का कार्यान्वयन करने की सिफारिश करने के साथ–साथ उसे प्राप्त करने के लिए रोड मैप भी दिनांक 05 अगस्त, 2010 को प्रस्तुत किया। सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया, जिससे भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम क्रियान्वित करने का पथ प्रशस्त हुआ। तत्पश्चात, सरकार ने एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम क्रियान्वयन चार चरणों में चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने के रोड मैप का निर्धारण किया। यह कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा होगा। पहले चरण में दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै चार शहरों को कवर किया जाएगा, द्वितीय चरण में एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों को, तथा तृतीय चरण में अन्य सभी शहरी क्षेत्रों (नगर निगम/नगरपालिकाएं) को कवर किया जाएगा तथा चौथे चरण में शेष भारत को कवर किया जाएगा। 25 अक्तूबर, 2011 का अध्यादेश, बाद में 2 दिसम्बर, 2011 को अधिनियम बन गया।

48. इस समय, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै के अधिसूचित क्षेत्रों, में जहां कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) मौजूद है, पे–टीवी चैनल डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के जरिए चलाना अधिसूचित कर दिया गया

है जबकि बेसिक सर्विस टियर एनालॉग के जरिए प्रसारित की जाती हैं, जिसमें फ्री–टु–एयर (एफटीए) चैनल शामिल हैं। विगत चार वर्षों में अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में पे–टीवी उपभोक्ताओं की संख्या में हुई शहरवार वृद्धि को **चित्र–27** में दर्शाया गया है। अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में, मार्च, 2012 को पे टीवी उपभोक्ताओं की शहरवार स्थिति को **चित्र–28** में दर्शाया गया है। एक अनुमान के अनुसार, स्थानीय केबल ऑपरेटरों की संख्या 60,000, और मल्टी–सिस्टम आपरेटरों (एमएसओ) / स्वतंत्र केबल ऑपरेटरों (आईसीओ) की संख्या 6,000 है। किसी एमएसओ द्वारा केबल नेटवर्क पर चलाए जाने वाले टीवी चैनलों की अधिकतम संख्या 356 है, जैसा कि भादूविप्रा ने भी सूचित किया है, जबकि परंपरागत एनालॉग

चित्र–28 : अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में पे टीवी उपभोक्ताओं की शहरवार स्थिति (मार्च, 2012 को)

के लिए यह संख्या 100 है। विगत चार वर्षों में केबल नेटवर्क पर चलाए गए फ्री–टु–एयर और पे–टीवी चैनलों की अधिकतम संख्या **चित्र–29** में दी गई है।

चित्र–27 : विगत पांच वर्षों में अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या में शहरवार वृद्धि

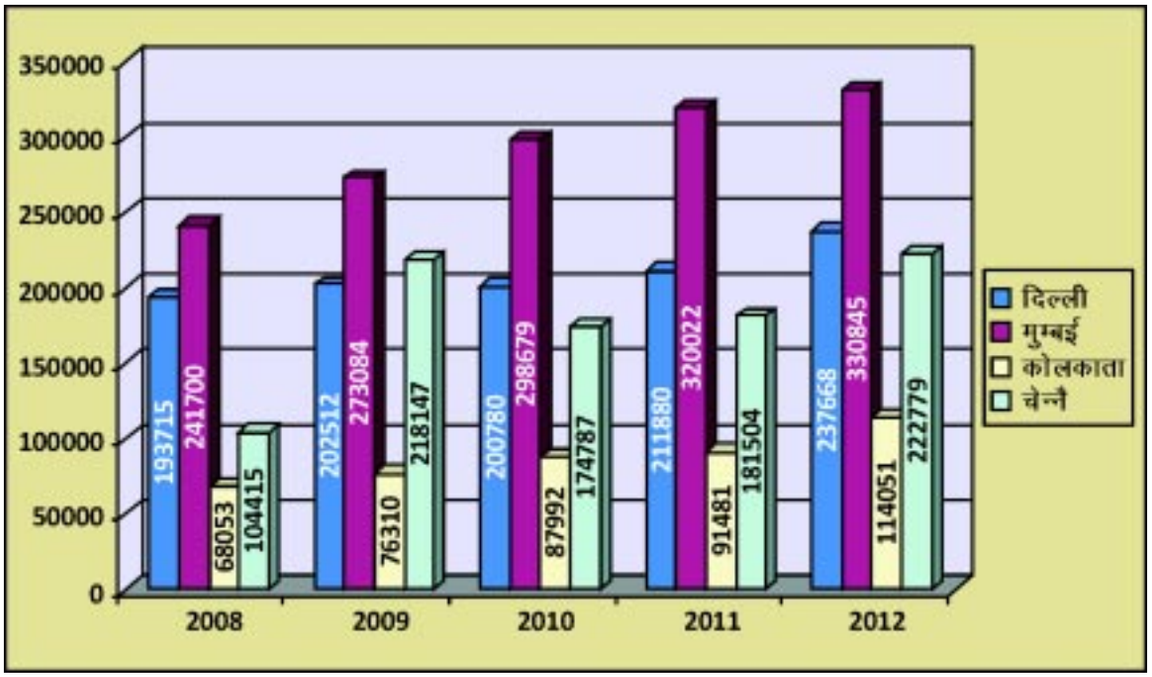

चित्र–29 : केबल नेटवर्कों पर चलाए जा रहे फ्री–टु–एयर और पे–टीवी चैनलों की अधिकतम संख्या

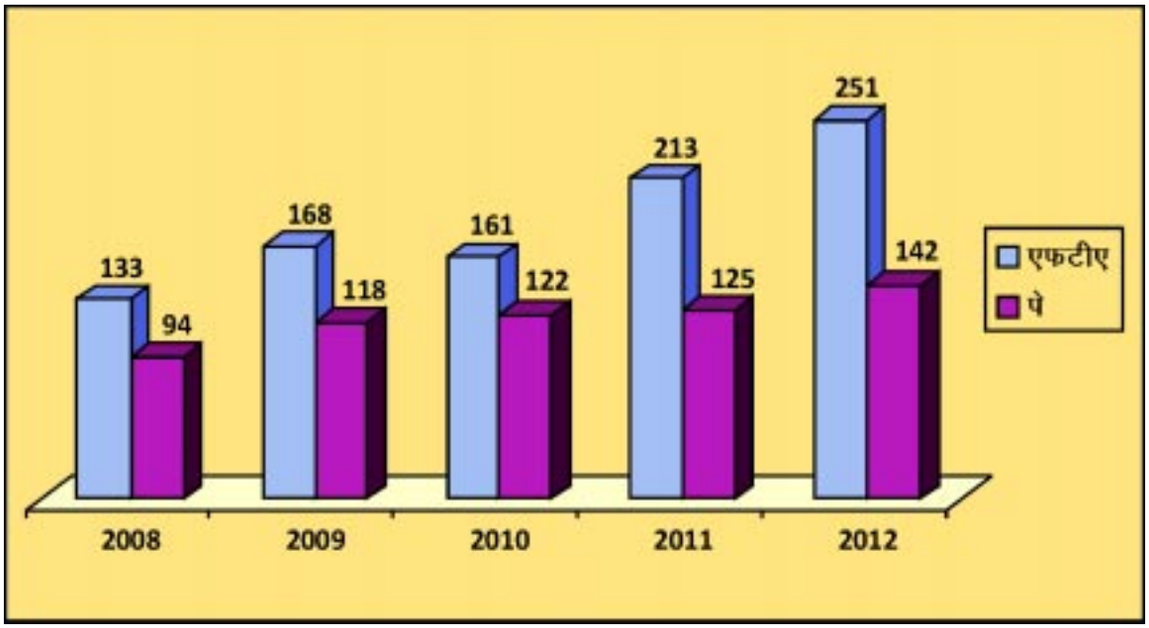

रेडियो

49. रेडियो अपने व्यापक प्रसार, टर्मिनल पोर्टेबिलिटी, कम स्थापना खर्च और वहनीयता के कारण जन संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय और सस्ता साधन है। भारत में रेडियो कवरेज शार्ट–वेव (एसडब्ल्यू), मीडियम वेव(एमडब्ल्यू) और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) मोड में उपलब्ध है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) रेडियो प्रसारण को इसकी सर्वत्तोमुखी लोकप्रियता के कारण मनोरंजन, सूचना और शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख साधन माना जाता है। मार्च, 2012 तक सार्वजनिक सेवा प्रसारकों के अतिरिक्त, 245 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे, सार्वजनिक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो के पास 237 प्रसारण केन्द्रों का मजबूत नेटवर्क है जिसमें 149 मीडियम फ्रीक्वेंसी (एमडब्ल्यू), 54 हाई फ्रीक्वेंसी (एचडब्ल्यू) और 177 एफएम ट्रांसमीटर शामिल हैं।

50. एफएम सेवाओं का और अधिक शहरों, खासकर जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीपीय भू–भागों में विस्तार करने तथा कुछ अन्य मुद्दों का निराकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एफएम रेडियो का प्रसारण प्राइवेट एजेंसियों के जरिए करने के लिए 25 जुलाई, 2011 को विस्तार के तृतीय चरण के समेकित नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए। चरण–III का आशय 839 नए एफएम रेडियो स्टेशन खोलकर 294 शहरों तक एफएम रेडियों की पहुंच बनाना और तद्द्वारा, एफएम रेडियो स्टेशनों की क्षेत्रीय वृद्धि का संवर्धन करना है। ऐसी उम्मीद है कि चरण–III के बाद एफएम रेडियो देश के भू–भाग के लगभग 85% क्षेत्र को कवर कर लेगा। एफएम रेडियो में निजी प्रसारकों को शामिल करने से इसके कवरेज में विस्तार करने तथा रेडियो श्रोताओं को अच्छी गुणवत्ता की कवरेज प्रदान कराने में काफी योगदान मिला है। इससे स्थानीय

प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला तथा विभिन्न शहरों में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की वर्ष–वार वृद्धि **चित्र–30** में दी गई है।

चित्र–30 : प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि

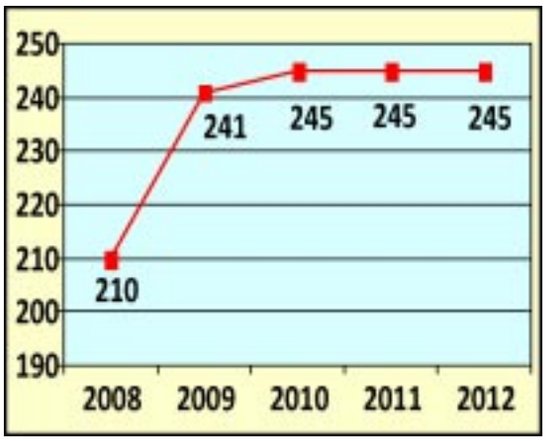

51. समुदाय रेडियो स्टेशन (सीआरएस) खुलने से देश में रेडियो सेक्टर में एक अन्य विस्तार हुआ। देश के विस्तृत भू–भाग, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों और विविध सामाजिक स्तरविन्यास के कारण भारत में समुदाय रेडियो स्टेशन स्थापित करने की भारी संभावना है। समुदाय रेडियो प्रसारण, आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं और स्थानीय भावनाओं को मूर्त रूप देने पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से छोटे–छोटे समुदायों की नेटवर्किंग करने के उद्देश्य को पूरा करता है। देश के विस्तृत भू–भाग, विविध भाषाओं, संस्कृतियों एवं सामाजिक स्तरविन्यास के कारण समुदाय रेडियो सेवा एक प्रभावी तंत्र बन गया है। सीआरएस की स्थापना विभिन्न शैक्षिक संस्थानों तथा सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल करके की जाती है। मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार समुदाय रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए जारी 167 अनुज्ञापत्रों में से, 130 समुदाय रेडियो स्टेशन प्रचालनात्मक हो गए हैं। समुदाय रेडियो स्टेशनों की वर्षवार वृद्धि **चित्र 31** में दर्शाई गई है।

चित्र–31 : देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि

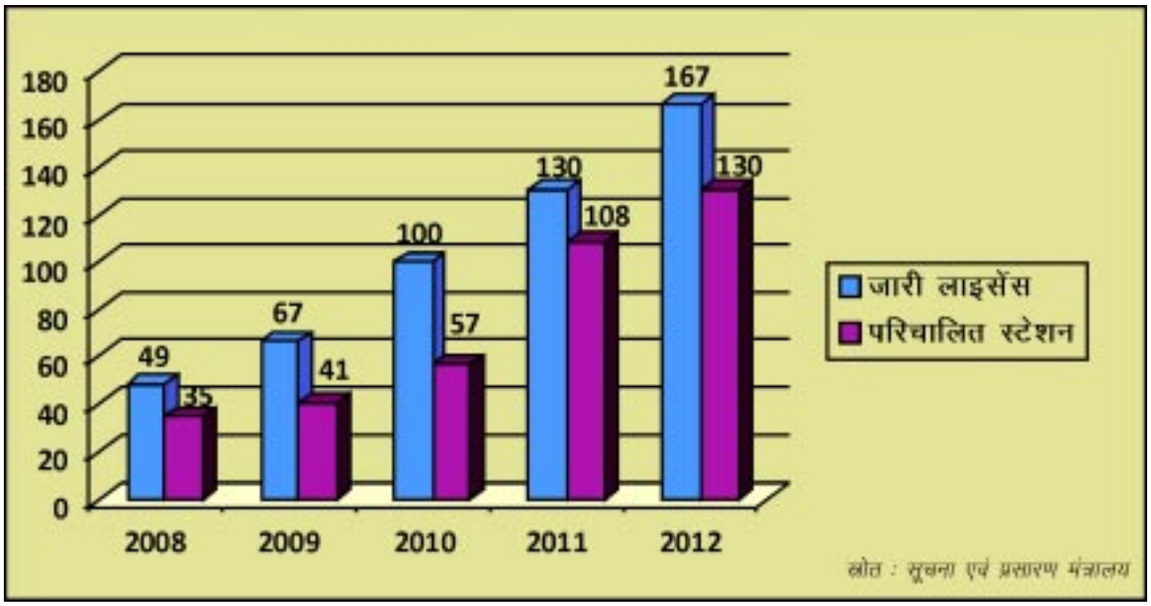

टेलीपोर्ट्स

52. टेलीपोर्ट्स पूरी दुनिया में टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर कंटेंट होस्टिंग और वितरण एवं नेटवर्क प्रबंधन के सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए संयुक्त समाधान प्रदाता के रूप में सामने आए हैं। भारत में उदार अपलिंकिंग दिशानिर्देशों सहित परिचालन की कम लागत एवं कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप दूसरे देशों को भारत से जोड़ने के लिए चैनलों में व्यापक बदलाव आया है। यदि भारत "टेलीपोर्ट्स हब" के रूप में विकसित हो जाता है, तो ऐसे चैनल भी भारत में आ जाएंगे जो भारत में डाउनलिंकिंग के लिए नहीं हैं। इससे रोजगार सृजित होंगे और राजस्व में वृद्धि के साथ–साथ विदेशी मुद्रा भी अधिक मात्रा में भारत आने लगेगी। तकनीकी क्षमताओं और भौगोलिक स्थल के मद्देनजर भारत दुनिया के दूसरे हिस्सों में टीवी चैनल दिखाने के लिए टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग सुविधाएं मुहैया करा सकता है। भादूविप्रा ने इस अवसर की पहचान करके "भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग से जुड़ी समस्याओं" पर दिनांक 22 जुलाई, 2010 की अपनी सिफारिशों में भारत को टेलीपोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए सरकार को सुझाव दिया था।

53. पिछले चार वर्षों में, भारत में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की संख्या में वृद्धि को **चित्र–33** में दर्शाया गया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की सूची **अनुबंध IV** में दी गई है।

प्रसारण क्षेत्र के प्रशुल्क में रूझान

54. उपभोक्ताओं को लागत प्रभावी प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, भादूविप्रा, समय–समय पर प्रशुल्क आदेशों के रूप में विनियामक

चित्र 32 : देश में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की संख्या में वृद्धि

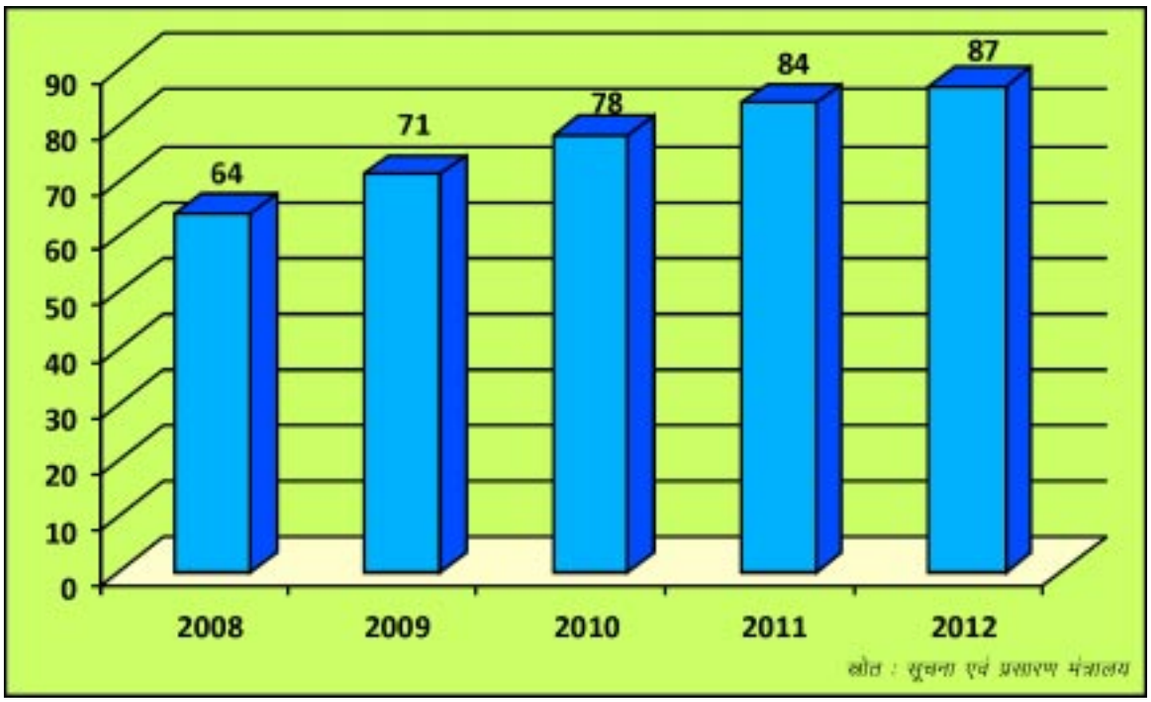

फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। गैर–सीएएस क्षेत्र और अधिसूचित सीएएस क्षेत्र और एड्रेसेबल प्लेटफार्मों जैसे कि डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी इत्यादि के प्रशुल्क, भादूविप्रा द्वारा उनके संबंध में जारी किए गए संबंधित आदेशों द्वारा शासित होते हैं। प्रसारण क्षेत्र में एआरपीयू की दर पिछले कुछ वर्षों से 160 रुपए प्रतिमाह के रूप में स्थिर बनी हुई है। तथापि, डीटीएच प्रचालक कई नई सेवाओं जैसे मूल्यवर्धित सेवाएं, मूवी ऑन डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग सहित इंटरएक्टिव सेवाओं, आदि का बढ़चढ़ कर प्रस्ताव कर रहे हैं। एड्रेसेबल डिजिटल केबल टीवी सिस्टम क्रियान्वित होने से यह प्रवृत्ति केवल टीवी सेक्टर में भी दोहराई जा सकती है।

55. एसटीबी की कीमत में निरंतर कमी को डीटीएच क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में माना गया है। विगत चार वर्षों में एसटीबी की कीमत 4000 रुपए से कम होकर लगभग 1000 रुपए पर आ गई है और इस गिरावट के आगे भी जारी रहने की संभावना है। इससे लगता है कि आने वाले समय में उच्च वर्ग के लिए मानी जाने वाली यह सेवा आम आदमी को बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेगी।

56. एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए भादूविप्रा के दिनांक 21 जुलाई, 2010 के आदेश में थोक के साथ–साथ फुटकर स्तर पर पृथक रूप में पे–चैनलों को ऑफर करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, थोक मूल्य कई प्रतिबंधों के साथ निर्धारित किए गए हैं। थोक और फुटकर स्तरों पर इन प्रावधानों के कारण एक ऐसे ट्रेंड के विकसित होने की संभावना है जिसमें सब्सक्रिप्शन पैटर्न सेवा प्रदाताओं द्वारा परिभाषित न होकर उपभोक्ताओं द्वारा परिभाषित होगा। मार्केट में यह पहले ही देखा गया है कि 150 रुपए के न्यूनतम सब्सक्रिप्शन, जिसे ऑपरेटर उक्त प्रशुल्क आदेश के अनुसार निर्धारित कर सकता है, के अधिकतम के अंतर्गत, वे पहले से ही विभिन्न मासिक पैक मुहैया करा रहे हैं, जिसमें प्रति उपभोक्ता 132 चैनलों के लिए 90 रुपए तथा 186 चैनलों के लिए 150 रुपए प्रतिमाह तक के पैक उपलब्ध हैं। ध्यान देने योग्य है कि इन पैकों में काफी संख्या में पे चैनल भी शामिल हैं। एतद्द्वारा उपभोक्ताओं के लिए चैनलों के कई विकल्प उपलब्ध हो गए हैं।

57. डिजिटल एड्रेसेबल केवल टीवी सिस्टम क्रियान्वित करने के लिए समय सीमा घोषित कर दी गई है। ऐसी उम्मीद है कि विविध डिजिटल एड्रेसेबल प्लेटफार्म उपलब्ध होने से उपभोक्ता और अधिक सशक्त होगा। उपभोक्ता को प्लेटफार्म तथा सेवाओं दोनों के रूप में काफी अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे जैसे एचडी, 3डी चैनल, ब्रॉडबैंड तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं सहित ट्रिपल प्ले तथा भारी संख्या में टीवी चैनलों में से चयन करने के अलावा इन्टरैक्टिव सेवाएं। इससे इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे युक्तिसंगत दरों पर सेवाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।

केबल एवं सैटेलाइट टीवी सेवा क्षेत्र में हितधारक

58. मार्च, 2012 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत टीवी चैनलों की कुल संख्या

831 थी, जिसमें 168 पे चैनल शामिल थे। इन चैनलों के मालिकों (कंटेंट मालिक) की संख्या लगभग 250 थी और इनकी बिक्री 24 डिस्ट्रीब्यूटरों/एग्रीगेटरों द्वारा की जाती है। पे चैनलों, डिस्ट्रीब्यूटरों/एग्रीगेटरों की सूची और पे डीटीएच ऑपरेटरों की सूची क्रमशः **अनुबंध V और अनुबंध VII** में दी गई है।

प्रसारण और केबल सेवा निष्पादन संकेतक

59. प्रसारण और केबल टीवी सेवा सेक्टर की समग्र स्थिति को **तालिका–16** में दर्शाया गया है।

60. पिछली चार तिमाहियों में, प्रसारण सेक्टर का सेवा निष्पादक संकेतक नीचे **तालिका 17** में दर्शाया गया है।

तालिका 16 : प्रसारण और केबल टीवी सेवा की समग्र स्थिति

देश में हाउसहोल्डस की संख्या (अनुमानित)[2]	247 मिलियन
टीवी घरों की संख्या (अनुमानित)[1]	148 मिलियन
केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या (अनुमानित)[1]	94 मिलियन
31 मार्च, 2012 को प्राईवेट सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत पे–डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या	46.25 मिलियन
केबल प्रचालकों की संख्या (अनुमानित)	60,000
मल्टी सिस्टम प्रचालकों की संख्या (अनुमानित)	6000
पे–डीटीएच प्रचालकों की संख्या	6
31 मार्च, 2012 को चैनलों की संख्या	831
31 मार्च, 2012 को पे–चैनलों की संख्या	168
31 मार्च, 2012 को एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या (आकाशवाणी को छोड़कर)	245
31 मार्च, 2012 को लाइसेंसशुदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	167
31 मार्च, 2012 को प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	130
31 मार्च, 2012 को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नै के सीएएस अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित सेटटॉप बॉक्सों की संख्या	0.91 मिलियन
31 मार्च 2012 को देश में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्टों की संख्या	87

[1]भादूविप्रा को सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर। विगत वर्ष के आंकड़े भादूविप्रा की वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 में प्रकाशित किए गए है।

[2] वर्ष 2011 को समाप्त वर्ष की इण्डस्ट्री रिपोर्ट पर आधारित।

तालिका 17 : प्रसारण सेक्टर का सेवा निष्पादन संकेतक

प्रसारण और केबल सेवाएं	को समाप्त तिमाही			
	जून 2011	सितम्बर 2011	दिसम्बर 2011	मार्च 2012
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास पंजीकृत चैनलों की कुल संख्या	715	762	825	831
पे–चैनलों की संख्या	158	161	163	168
प्राईवेट सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	38.50	41.04	44.21	46.25
सीएएस क्षेत्रों में सेटटॉप बॉक्सों की संख्या	8,11,507	8,19,960	8,53,737	9,05,343
प्राईवेट एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	245	245	245	245

भाग-I के अनुबंध

अनुबंध – I

2006–07 से 2011–12 तक वायरलैस सेवाओं [जीएसएम एवं सीडीएमए] में उपभोक्ता आधार

(मिलियन में)

सेवा प्रदाता	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	वित्तीय वर्ष 2011 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
भारती	37.14	61.98	93.92	127.62	162.20	181.28	11.76%
रिलायंस	28.01	45.79	72.67	102.42	135.72	153.05	12.77%
वोडाफोन	26.44	44.13	68.77	100.86	134.57	150.47	11.82%
आइडिया	14.01	24.001	38.89	63.82	89.50	112.72	25.94%
स्पाइस	2.73	4.21	4.13				
बीएसएनएल	30.99	40.79	52.15	69.45	91.83	98.51	7.27%
टाटा	16.02	24.33	35.12	65.94	89.14	81.75	-8.29%
एयरसेल	5.51	10.61	18.48	36.86	54.84	62.57	14.10%
यूनीटेक			0	4.26	22.79	42.43	86.18%
सिस्टेमा	0.1	0.11	0.6	3.78	10.06	15.68	55.86%
वीडियोकॉन			0	0.03	7.11	5.95	-16.32%
एमटीएनएल	2.94	3.53	4.48	5.09	5.47	5.83	6.58%
एस टेल			0	1.01	2.82	3.43	21.63%
लूप	1.07	1.29	2.16	2.84	3.09	3.27	5.83%
एचएफसीएल	0.15	0.3	0.39	0.33	1.47	1.33	-9.52%
ईटीसलत			0	0.0004	0.97	0.78	-19.59%
कुल	**165.11**	**261.07**	**391.76**	**584.32**	**811.59**	**919.17**	**13.26%**

स्रोतः सेवा प्रदाता।

31 मार्च, 2012 को वायरलैस सेवा प्रदाताओं की सेवा क्षेत्रवार सूची

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
1	**महानगर**	दिल्ली	भारती
			वोडाफोन
			एमटीएनएल
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			एयरसेल लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0*
			यूनीटेक वायरलैस (दिल्ली) लि0*
			स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0*
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
2		मुंबई	लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0
			वोडाफोन
			एमटीएनएल
			भारती
			एयरसेल लि0
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (मुंबई) प्रा0 लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
3		चेन्नै	एयरसेल सेल्यूलर लि0
			बीएसएनएल#

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			वोडाफोन
			रिलायंस इंफोकॉम#
			टाटा टेलीसर्विसेज#
			भारती#
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0#
			आइडिया सेल्यूलर लि0#
			यूनीटेक वायरलैस (तमिलनाडु) प्रा0 लि0#
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0#
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*#
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0#
4		कोलकाता	भारती
			वोडाफोन
			बीएसएनएल
			रिलायंस टेलीकॉम
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (कोलकाता) लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
5	**'क' सर्किल**	महाराष्ट्र	वोडाफोन
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			बीएसएनएल
			भारती
			एयरसेल लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पश्चिमी) प्रा0 लि0
			स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0*

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
6		गुजरात	वोडाफोन
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			बीएसएनएल
			भारती
			एयरसेल लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पश्चिमी) प्रा0 लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
7		आंध्र प्रदेश	आइडिया सेल्यूलर लि0
			भारती
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			एयरसेल लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (दक्षिणी) लि0
			स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0*
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
8		कर्नाटक	भारती
			स्पाइस
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			एयरसेल लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			आइडिया सेल्यूलर लि0*
			यूनीटेक वायरलैस (दक्षिणी) लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
9		तमिलनाडु	वोडाफोन
			एयरसेल लि0
			बीएसएनएल#
			रिलायंस इंफोकॉम#
			टाटा टेलीसर्विसेज#
			भारती#
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0#
			आइडिया सेल्यूलर लि0#
			यूनीटेक वायरलैस (तमिलनाडु) प्रा0 लि0#
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0#
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*#
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0#
10	**'ख' सर्किल**	केरल	आइडिया सेल्यूलर लि0
			वोडाफोन
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (दक्षिणी) लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
11		पंजाब	स्पाइस
			भारती
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			डिशनेट वायरलैस लि0
			आइडिया सेल्यूलर लि0*
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			एचएफसीएल इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
12		हरियाणा	आइडिया सेल्यूलर लि0
			वोडाफोन
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0
			स्पाइस कम्युनिकेशंस लि0*
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
13		उ0प्र0–(पश्चिमी)	आइडिया सेल्यूलर लि0
			भारती
			बीएसएनएल
			वोडाफोन
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
14		उ0प्र0–(पूर्वी)	वोडाफोन
			बीएसएनएल
			भारती
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
15		राजस्थान	वोडाफोन
			हेक्साकॉम (भारती)
			बीएसएनएल

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0
			ईटीसलत डीबी टेलीकॉम प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			टाटा टेलीसर्विसेज
16		म0प्र0	आइडिया सेल्यूलर लि0
			रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पश्चिमी) प्रा0 लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			अलायंज़ इन्फ्राटेक प्रा0 लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
17		प.बं. एवं अंडमान एवं निकोबार	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			वोडाफोन
			डिशनेट वायरलैस लि0
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
18	**'ग' सर्किल**	हिमाचल प्रदेश	भारती
			रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
19		बिहार	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			आदित्य बिरला टेलीकॉम लि0 (आइडिया)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्व) लि0
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			एलायंज़ इन्फ्राटेक (प्रा0) लि0
20		ओडीसा	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम
			टाटा टेलीसर्विसेज
21		आसाम	रिलायंस टेलीकॉम
			बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0*
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0
			टाटा टेलीसर्विसेज लि0
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
22		पूर्वोत्तर	रिलायंस टेलीकॉम
			भारती
			बीएसएनएल
			डिशनेट वायरलैस लि0

क्रम सं.	श्रेणी	सेवा क्षेत्र	एक्सेस सेवा प्रदाता
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0*
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (पूर्वी) प्रा0 लि0
			टाटा टेलीसर्विसेज लि0
			एस टेल लि0
			लूप टेलीकॉम प्राइवेट लि0
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
23		जम्मू व कश्मीर	बीएसएनएल
			भारती
			डिशनेट वायरलैस लि0
			एस्सार स्पेसटेल प्रा0 लि0 (वोडाफोन)
			वीडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन्स लि0*
			आइडिया सेल्यूलर लि0
			यूनीटेक वायरलैस (उत्तरी) प्रा0 लि0
			टाटा टेलीसर्विसेज लि0
			एस टेल लि0*
			लूप टेलीकॉम प्रा0 लि0*
			सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि0
			रिलायंस इंफोकॉम

टिप्पणी : * सेवा अभी आरंभ नहीं हुई है

तमिलनाडु एवं चेन्नै के लिए एकल लाइसेंस

स्रोतः दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता

2009–10, 2010–11 और 2011–12 के दौरान विभिन्न सर्किलों में जोड़े गए अतिरिक्त वायरलैस उपभोक्ता तथा वार्षिक वृद्धि दर

सर्किल	अप्रैल, 09 से मार्च, 10 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	2009–10 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	अप्रैल, 10 से मार्च, 11 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	2010–11 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत	अप्रैल, 11 से मार्च, 12 के दौरान जोड़े गए उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	2011–12 के दौरान वृद्धि का प्रतिशत
महानगर	**9.09**	**14.64%**	**25.65**	**36.03%**	**6.93**	**7.16%**
सर्किल 'क'	**75.13**	**54.77%**	**76.13**	**35.87%**	**35.58**	**12.34%**
सर्किल 'ख'	77.15	52.54%	94.55	42.21%	45.75	14.36%
सर्किल 'ग'	31.19	68.32%	30.94	40.26%	19.33	17.93%
संपूर्ण भारत	**192.56**	**49.15%**	**227.27**	**38.89%**	**107.58**	**13.26%**

स्रोत : सेवा प्रदाताओं की तिमाही रिपोर्टें

अनुमति प्राप्त टेलीपोर्टों की सूची

क्र.सं.	विवरण
1	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली
2	सन टीवी लिमिटेड, चेन्नै
3	इंटरटेनमेंट टीवी नेटवर्क लिमिटेड, मुम्बई
4	उषोदय इंटरप्राइजेज लिमिटेड, हैदराबाद
5	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
6	एशियानेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम
7	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
8	सहारा संचार लिमिटेड, नोएडा
9	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
10	न्यू डेल्ही टेलीविजन लिमिटेड, नई दिल्ली
11	इंडियाविजन सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड, कोच्ची (केरल)
12	नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा
13	डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, (पूर्ववर्ती एस्सेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड), नोएडा
14	पॉजिटिव टीवी प्रा0 लिमिटेड, गुवाहाटी
15	चैनल गाइड इंडिया लिमिटेड, मुम्बई
16	इंडिया शाइन प्रा0 लिमिटेड, गुड़गांव
17	एसोसिएटिड ब्राडकास्टिंग कम्पनी प्रा0 लिमिटेड, हैदराबाद
18	एवी इंटरटेनमेंट प्रा0 लिमिटेड, भोपाल
19	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई
20	अमृता इंटरप्राइजेज प्रा0 लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम
21	माविस सतकाम लिमिटेड, चेन्नै
22	वीएसएनएल, नई दिल्ली
23	वीएसएनएल, मुम्बई
24	वीएसएनएल, चेन्नै
25	वीएसएनएल, कोलकाता
26	वीएसएनएल, कोचीन
27	लामहास सैटेलाइट सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई
28	मलयालम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम

क्र.सं.	विवरण
29	संस्कार इन्फो टीवी प्रा0 लिमिटेड, मुम्बई
30	बैनेट कोलमैन एंड कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई
31	सीनियर मीडिया लिमिटेड
32	लोक प्रकाशन लिमिटेड, अहमदाबाद
33	कलकत्ता रिलेविजन नेटवर्क प्रा0 लिमिटेड, कोलकाता
34	कोहिनूर ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजपुरा (पंजाब)
35	टेलीविजन एट्टीन इंडिया लिमिटेड, मुम्बई
36	कामयाब टीवी प्रा0 लिमिटेड (पूर्ववर्ती एमडीटीवी प्रा0 लिमिटेड के रूप में प्रसिद्ध), भुवनेश्वर
37	कस्तूरी मीडिया प्रा0 लिमिटेड, बंगलुरु
38	एसएसटी मीडिया प्रा0 लिमिटेड, कोलकाता
39	एस्सेल श्याम क्युनिकेशन्स लिमिटेड, मुम्बई
40	एमएम टीवी लिमिटेड, अलपुझा
41	इन केबलनेट (आन्ध्रा) लिमिटेड, हैदराबाद
42	इंदिरा टेलीविजन लिमिटेड, हैदराबाद
43	सन टीवी लिमिटेड, चेन्नै
44	टाटा स्काई, नई दिल्ली
45	मीडिया सिन्टेन्ट एंड कम्युनिकेशन्स सर्विसेज (इंडिया) प्रा0 लिमिटेड, नोएडा
46	सतीश शुगर्स लिमिटेड, बंगलुरु
47	शीतल फाइबर लिमिटेड, जालन्धर
48	एमएचवन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, दिल्ली
49	एसटीवी इंटर प्राइजेज लिमिटेड, दिल्ली
50	एआईआरआर एक्स मीडिया लिमिटेड, सूरत
51	ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली
52	विनिंग एज कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, हैदराबाद
53	इंडिया शाइन प्रा0 लिमिटेड, चेन्नै
54	इंडिया शाइन प्रा0 लिमिटेड, कोलकाता
55	रचना टेलीविजन प्रा0 लिमिटेड, हैदराबाद
56	ओरटेल कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, भुवनेश्वर
57	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, हैदराबाद
58	सौभाग्य एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अरूर (केरल)

क्र.सं.	विवरण
59	प्रज्ञा विजन प्रा0 लिमिटेड, नोएडा
60	ब्रहमपुत्र टेली–प्रोडक्शन्स प्रा0 लिमिटेड, गुवाहाटी
61	जी नेकस्ट मीडिया प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली
62	इंडिया शाइन प्रा0 लिमिटेड, हैदराबाद
63	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (वीएसएनएल) चेन्नै
64	पोजिटिव टेलीविजन प्रा0 लिमिटेड, नोएडा
65	ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड, भुवनेश्वर
66	राजस्थान पत्रिका प्रा0 लिमिटेड, जयपुर
67	प्राइड ईस्ट इंटरटेनमेंट प्रा0 लिमिटेड, गुवाहाटी
68	इंडिया शाइन प्रा0 लिमिटेड, नोएडा
69	विनटेज स्टुडियो प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली
70	स्काईलाइन मीडिया टेली सर्विसेज प्रा0 लिमिटेड, नोएडा
71	इन्फारमेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
72	यूनीलेजर एक्सपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट्स लिमिटेड, मुम्बई
73	कास्टमैट सिस्टम्स प्रा0 लिमिटेड, हैदराबाद
74	भारती टेलीपोर्ट्स लिमिटेड, नोएडा
75	श्री वेंकटेश्वर भक्ति, तिरूपति
76	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, चेन्नै
77	रॉय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपीटीटिव एग्जामिनेशन प्रा0 लिमिटेड, कोलकाता
78	इन्डिपेन्डेन्ट न्यूज सर्विसेस लिमिटेड, नोएडा
79	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड, चेन्नै
80	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, नोएडा
81	कनसन न्यूज प्रा0 लिमिटेड, चंडीगढ़
82	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, चेन्नै
83	डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, नोएडा
84	आस्था ब्राडकास्टिंग नेटवर्क लिमिटेड, नोएडा
85	महुआ मीडिया प्रा0 लिमिटेड, नोएडा
86	आरटीआर ब्रॉडकास्ट प्रा0 लिमिटेड, गाजियाबाद
87	सिल्वर स्टार कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, चेन्नै

पे चैनलों की सूची

क्र.सं.	चैनल का नाम
1	ज़ी टीवी
2	ज़ी सिनेमा
3	कार्टून नेटवर्क
4	ज़ी मराठी
5	ज़ी न्यूज़
6	सीएनएन
7	ज़ी कैफे
8	ज़ी स्टूडियोज़
9	ज़ी बंगला
10	ज़ी पंजाबी
11	ज़ी ट्रेंड्ज़
12	एचबीओ
13	पोगो
14	ज़ी बिजनेस
15	ज़ी क्लासिक
16	ज़ी एक्शन
17	ज़ी प्रीमीयर
18	ज़ी तेलुगु
19	ज़ी कन्नड
20	ईटीसी पंजाबी
21	ईटीसी
22	जिंग[iv]
23	ज़ी जागरण
24	ज़ी स्माइल
25	24 घंटे
26	24 तास
27	ज़ी टॉकिज़
28	डब्ल्यूबी

क्र.सं.	चैनल का नाम
29	रीयल
30	ज़ी 24 घंटालू
31	ज़ी सलाम
32	इमेजिन टीवी
33	स्टार प्लस
34	स्टार गोल्ड
35	स्टार मूवीज़
36	स्टार वर्ल्ड
37	विजय टीवी
38	एनजीसी
39	फाक्स ट्रैवलर चैनल
40	चैनल (वी)
41	लाइफ ओके
42	द एमजीएम
43	स्टार जलशा
44	स्टार आनंद
45	एफएक्स
46	फॉक्स क्राइम
47	बेबी टीवी
48	नैट जिओ वाइल्ड
49	नैट जिओ एडवेंचर
50	नैट जिओ म्यूज़िक
51	एनडीटीवी 24x7
52	एनडीटीवी प्रॉफिट
53	एनडीटीवी गुड टाइम्स
54	सुवर्णा
55	एशियानेट प्लस
56	सेट (सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन)

क्र.सं.	चैनल का नाम
57	मैक्स
58	डिस्कवरी
59	एनिमल प्लैनेट
60	एएक्सएन
61	एनीमैक्स
62	टीएलसी
63	सब टीवी
64	सेट पिक्स
65	आज तक
66	हेडलाइंस टुडे
67	तेज
68	चैनल 8 (सोनी आठ)
69	डिस्कवरी साइंस
70	डिस्कवरी टर्बो
71	नियो स्पोर्ट्स
72	नियो क्रिकेट
73	डिस्कवरी चैनल– तमिल
74	सन टीवी
75	जैमिनी टीवी
76	उदय टीवी
77	के टीवी
78	जैमिनी कॉमेडी
79	उदय मूवीज़
80	सन म्यूज़िक
81	जैमिनी म्यूज़िक
82	सन न्यूज़
83	जैमिनी न्यूज़
84	उदय वरथेगालू
85	जैमिनी मूवीज़
86	चिंटू टीवी [v]

क्र.सं.	चैनल का नाम
87	उदय कॉमेडी
88	खुशी टीवी
89	छुट्टी टीवी
90	उदय II
91	आदित्य टीवी
92	सूर्या टीवी
93	किरन टीवी
94	दि डिज़नी चैनल
95	डिज़नी एक्सडी
96	हंगामा टीवी
97	आईबीएन 7
98	आईबीएन लोकमत
99	कलर्स
100	एमटीवी
101	निक
102	वीएच 1
103	सीएनबीसी टीवी 18
104	सीएनएन–आईबीएन
105	सीएनबीसी आवाज
106	ईटीवी
107	ईटीवी 2
108	ईटीवी बंगला
109	ईटीवी मराठी
110	ईटीवी कन्नड
111	ईटीवी गुजराती
112	ईटीवी उड़ीया
113	ईटीवी यूपी
114	ईटीवी बिहार
115	ईटीवी उर्दू
116	ईटीवी राजस्थान

क्र.सं.	चैनल का नाम
117	ईटीवी एमपी
118	बिंदास
119	यूटीवी एक्शन
120	वर्ल्ड मूवीज़
121	यूटीवी मूवीज़
122	ब्लूमबर्ग यूटीवी
123	यूटीवी एक्शन– तेलुगु
124	बीबीसी वर्ल्ड
125	बीबीसी एंटरटेनमेंट
126	सीबीबीज
127	ईएसपीएन
128	स्टार स्पोटर्स
129	स्टार क्रिकेट
130	ईएसपीन्यूज
131	राज टीवी
132	राज डिजिटल प्लस
133	विसा टीवी
134	9एक्सएम
135	9एक्स
136	एनडीटीवी लूमिरि
137	एनडीटीवी शोबिज़
138	सहारा वन
139	फिल्मी
140	बी4यू मूवीज़
141	माँ टीवी
142	माँ म्यूज़िक

क्र.सं.	चैनल का नाम
143	माँ मूवीज़
144	माँ जूनियर
145	दिल्ली आज तक
146	ई–24
147	बूमेरंग
148	टीसीएम टर्नर क्लासिक मूवीज़
149	तरंग
150	तरंग म्यूज़िक
151	प्रार्थना
152	ईटी नाउ
153	टाइम्स नाउ
154	जूम
155	टेन एक्शन+
156	टेन स्पोटर्स
157	टेन क्रिकेट
158	बिग सीबीएस प्राइम
159	बिग सीबीएस लव
160	बिग सीबीएस स्पार्क
161	बिग सीबीएस पंजाबी
162	बिगमैजिक
163	9एक्स टशन
164	सार्थक टीवी
165	जया टीवी
166	जया प्लस
167	जया मैक्स
168	जे मूवीज

प्रसारणकर्ताओं/एग्रीगेटरों की सूची

क्र.सं.	विवरण
1	मैसर्स उषोदया एंटरप्राइजेज़ प्रा0 लि0
2	मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा0 लि0
3	मैसर्स यूटीवी ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग लि0
4	मैसर्स राज टेलीविजन लि0
5	मैसर्स टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा0 लि0
6	मैसर्स 9x मीडिया प्रा0 लि0
7	मैसर्स टर्नर जनरल इंटरटेनमेंट नेटवर्क्स इंडिया प्रा0 लि0
8	मैसर्स ओडीसा टेलीविजन लि0
9	मैसर्स माँ टेलीविजन नेटवर्क लि0
10	मैसर्स बी4यू टेलीविजन नेटवर्क इंडिया लि0
11	मैसर्स बीबीसी वर्ल्ड (इंडिया) प्रा0 लि0
12	मैसर्स टीवी टुडे नेटवर्क लि0
13	मैसर्स एलाइड इंफोटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रा0 लि0
14	मैसर्स बीबीसी वर्ल्ड वाइड चैनल्स प्रा0 लि0
15	मैसर्स ताज टेलीविजन इंडिया प्रा0 लि0
16	मैसर्स एमएसएम डिस्कवरी प्रा0 लि0
17	मैसर्स सन 18 मीडिया सर्विसेज उत्तर
18	मैसर्स सन 18 मीडिया सर्विसेज दक्षिण
19	मैसर्स मीडिया प्रो., इंटरप्राइज प्रा0 लि0
20	मैसर्स एबीएस मीडिया सर्विसेज प्रा0 लि0
21	मैसर्स मीडिया नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन (इंडिया) लिमिटेड
22	मैसर्स बिग सीबीएस नेटवर्क्स लिमिटेड
23	मैसर्स रिलायन्स टेलीविजन प्रा0 लि0
24	मैसर्स पॉल इंटरटेनमेंट प्रा0 लि0
25	मैसर्स सार्थक इंटरटेनमेंट प्रा0 लि0
26	मैसर्स माविस सतकाम लिमिटेड

पे–डीटीएच प्रचालकों की सूची

क्र.सं.	विवरण
1	मैसर्स टाटा स्काई लि0
2	मैसर्स डिश टीवी इंडिया लि0
3	सन डायरेक्ट टीवी (प्रा0) लि0

क्र.सं.	विवरण
4	भारतीय टेलीमीडिया लि0
5	रिलायंस बिग टीवी प्रा0 लि0
6	मैसर्स भारत बिजनेस चैनल्स लि0

भाग-II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

1. रिपोर्ट के भाग–एक में प्रसारण तथा केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेक्टर में विद्यमान सामान्य परिवेश के विहंगम दृश्य की समीक्षा प्रस्तुत की गई है और 2011–12 के दौरान सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि वह नई दूरसंचार नीति, 1999 (एनटीपी–99) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करें, जिसमें प्रसारण व केबल सेवाओं सहित दूरसंचार क्षेत्र में सफल प्रतिस्पर्धा तथा विकास संभव हो सके और साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं वाजिब कीमतों पर उपलब्ध हों। भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिदेश के अनुसार, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण तथा केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका अदा की है। भादूविप्रा का यह सतत् प्रयास रहा है कि एक ऐसा माहौल सुनिश्चित किया जाए, जो स्पष्ट तथा पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता हो, जिसमें सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर और समान परिस्थितियां प्रदान हों, उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा हो तथा सभी को प्रौद्योगिकीय लाभ प्राप्त हों।

2. भारत सरकार ने 09 जनवरी, 2004 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा प्रसारण तथा केबल सेवाओं को भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2(के) के अनुसार दूरसंचार सेवाओं की परिधि में लाया गया है।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत, भादूविप्रा को अन्य बातों के साथ–साथ, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक

निर्धारित करने तथा सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, टैरिफ संबंधी नीति विनिर्दिष्ट करने, नए सेवा प्रदाताओं की प्रवेश संबंधी शर्तों के साथ ही सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के निबंधन और शर्तों की सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया है। भादूविप्रा के कार्यक्षेत्र में टैरिफ नीति की निगरानी, अंतःसंयोजन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं, कॉल रूटिंग और कॉल हैंडओवर के सिद्धांतों, विभिन्न सेवा प्रदाताओं तक जनता के लिए खुला विकल्प और एक्सेस की समान सुविधा, विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए विविध प्रकार के नेटवर्क तंत्र और बाजार में हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न विवादों का समाधान, विद्यमान नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता, सेवा प्रदाताओं के बीच विचारों के आदान–प्रदान और उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण के संपर्क के लिए मंच की स्थापना किए जाने संबंधी मामलों पर विचार करना और निर्णय देना भी शामिल है। सरकार ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (घ) के अंतर्गत 09 जनवरी, 2004 को एक आदेश जारी किया, जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उन निबंधन और शर्तों के बारे में सिफारिश करने का अधिदेश दिया गया, जिनके अनुसार उपभोक्ताओं के लिए ''एड्रेसेबल प्रणालियां'' उपलब्ध कराई जाएंगी और पे–चैनल तथा अन्य चैनलों में विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय विनियमित करने के लिए पैरामीटर तय किए जाएंगे।

4. अपनी नीतियों और सिफारिशों को प्रतिपादित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों जैसे सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करता है। प्राधिकरण ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है, जिसमें इसके द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली नीति में सभी हितधारकों तथा आम जनता को उनसे राय मांगे जाने पर, उनके राय दिए जाने के माध्यम से भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में नीतिगत मुद्दों पर भिन्न–भिन्न प्रकार के विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न भागों में खुले मंच की बैठकें करना, ई–मेल तथा पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना और विभिन्न अभिमत तथा नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों तथा विशेषज्ञों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श हेतु संपर्क–सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/आदेशों के साथ व्याख्यात्मक ज्ञापन भी दिया जाता है, जिसमें वे कारण स्पष्ट किए जाते हैं, जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई सहभागितापूर्ण और व्याख्यात्मक प्रक्रिया की व्यापक सराहना हुई है।

5. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार तथा प्रसारण सेक्टर के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के विचार जानने के लिए उनके साथ भी पारस्परिक विचार–विनिमय करता है। यह दूरसंचार सेक्टर के कार्यों से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अंतरालों पर उनके साथ पारस्परिक विचार–विमर्श करने की प्रणाली भी अपनाता है। भादूविप्रा ने 31 मार्च, 2012 तक सारे देश

से 41 उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण किया है और उपभोक्ता संगठनों को सुदृढ़ बनाने के निरंतर उपाय कर रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है और हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों को इन सेमिनारों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

6. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह या तो अपनी ओर से अथवा अनुज्ञप्तिदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से निदेश पर प्रसारण व केबल सेवाओं के मामले में सिफारिशें दे। भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2011–12 में सरकार को निम्न सिफारिशें दी गई हैं :–

(i) सिफारिशें

7. वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न विषयों के बारे में सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की :–

(i) दूरसंचार अवसंरचना नीति के बारे में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें।

(ii) ''दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति'' के बारे में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें।

(iii) ''हरित दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण'' के बारे में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें।

(iv) ''राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना'' पर भादूविप्रा की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के प्रेषण/संदर्भ के बारे में दिनांक 4 मई, 2011 की सिफारिशें।

(v) भादूविप्रा की प्रसारण सेक्टर के लिए विदेशी निवेश सीमा के बारे में सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में दिनांक 18.5.2011 पर भादूविप्रा की दिनांक 4 मई, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

(vi) दिनांक 14 जुलाई, 2011 के यूएएस लाइसेंसों के बारे में ''अनुबंध–पत्र से छुटकारा'' के बारे में भादूविप्रा की सिफारिशों/मतों पर पुनर्विचार।

(vii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क– दूरसंचार विभाग के प्राधिकरण संदर्भ सं. 20–281 2010–एएस–।(वा.–।।)(भाग) दिनांक 10.10.2011 तथा दिनांक 3 नवंबर, 2011 की सिफारिशें।

(viii) वर्तमान राजसहायता समर्थन दिनांक 5 मार्च, 2012 की समाप्ति पर ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनों (आर–डीईएल) के लिए यूएसओ निधि से समर्थन जारी रखना।

(i) दूरसंचार अवसंरचना नीति से संबंधित मामलों पर सिफारिशें, दिनांक 12 अप्रैल, 2011

8. दिनांक 14 जनवरी, 2011 को भादूविप्रा द्वारा ''दूरसंचार अवसंरचना नीति से संबंधित मामलों'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। हितधारकों और इसके अपने विश्लेषण से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, भादूविप्रा ने 12 अप्रैल, 2011 को दूरसंचार अवसंरचना नीति के बारे में सिफारिशें जारी की। सिफारिशों की मुख्य बातें हैं :–

- दूरसंचार अवसंरचना को आवश्यक अवसंरचना माना जाए।
- दूरसंचार अवसंरचना उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को धारा 80 आईए के अंतर्गत कर छूट का लाभ प्रदान किया जाए।

- अवसंरचना प्रबंधकों/संभरकों (आईपी–1) को सक्रिय नेटवर्क (एंटेना तक सीमित), फीडर केबल, नोड–बी, रेडियो एक्सेस नेटवर्क और पारेषण प्रणाली लगाने व भागीदारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि उन्हें प्रस्तावित लाइसेंस देने की एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाता है।
- स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा मार्ग के अधिकार की अनुमति 45 दिन के अंदर दी जानी चाहिए तथा केबल डालने के लिए एक–समान पुनःस्थापना प्रभार लागू किया जाना चाहिए।
- अनुमति देने से इंकार करने अथवा शर्तों का अधिरोपण करने के मामलों को निपटाने के लिए विवाद समाधान प्राधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- टावरों की संख्या में कमी लाने, बेहतर प्रसारण तथा कुशल स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए इंडोर बिल्डिंग सोल्यूशन्स (आईबीएस) और वितरित एंटेना प्रणाली (डीएएस) का परिनियोजन किया जाए।
- दूरसंचार विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों को यह परामर्श दिया जाना चाहिए कि वे आगामी एक वर्ष के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भवनों सहित केंद्र सरकार के सभी भवनों, हवाई अड्डों और उनके क्षेत्राधिकार व नियंत्रण में आने वाले भवनों में आईबीएस/डीएएस सोल्यूशन्स उपलब्ध कराएं।
- इसी प्रकार सभी राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए कि वे आगामी एक वर्ष के अंदर 100 से अधिक के सुपर निर्मित क्षेत्र वाले शापिंग मॉल्स में आईबीएस/डीएएस सोल्यूशन्स उपलब्ध कराएं/लगाने के आदेश दें।
- जहां तक बाहरी कवरेज (आउटडोर कवरेज) का प्रश्न है, 63 जेएनएनयूआरएम नगरों में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के अंतर्गत ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क का कार्य पूरा होने के बाद, 18 महीनों के अंदर इन नगरों में डीएएस को स्थापित करना अनिवार्य किया जाए।
- दूरसंचार के लिए उपयोग में लाए जा रहे सभी प्रकार के टावरों के लिए टीईसी द्वारा मानक विकसित किए जाएं। इन मानकों को सभी सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य बनाया जाए। लाइसेंस की शर्तों को संशोधित करके इनमें जोड़ा जाए कि सभी टावर, टीईसी द्वारा विकसित मानकों के अनुरूप होंगे।
- हेरिटेज, पर्यावरणीय और वास्तुकला के महत्व वाले क्षेत्रों छद्यावरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और हेरिटेज, सुरक्षा तथा पर्यावरणीय महत्व के क्षेत्रों में अवसंरचना की भागीदारी करने के आदेश दिए जाने चाहिए।
- मोबाइल यथार्थ नेटवर्क प्रचालकों की वृद्धि को सुसाध्य बनाने के लिए एक संशोधित तंत्र (एमवीएनओ)।
- इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट्स (आईएक्सपी) को क्लास लाइसेंस के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और तेजी से विकसित हो रही घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के कुशल व प्रभावशाली अनुमार्गण (रूटिंग) को सुसाध्य बनाने के लिए डाटा केंद्रों को सीधे आईएक्सपी से जोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- वर्ष 2012 तक समस्त सरकारी वेबसाइटों को आईपीवी6 का अनुपालक बनाया जाना चाहिए और आईआईटी, आईआईएस जैसी अकादमिक संस्थाओं के पास पहले से उपलब्ध आईपीवी6 बैंड सुविधाओं को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) तक विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि हितधारकों तक पहुंच आसान हो सके।

- दूरसंचार विभाग द्वारा समस्त राज्य सरकारों को पत्र लिखे जाएं कि वे राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को निदेश दें कि वे दूरसंचार टावर स्थलों को ग्रिड पावर का संयोजन अग्रता के आधार पर उपलब्ध कराएं।

(ii) ''दूरसंचार उपकरण विनिर्माण संबंधी नीति'' पर 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें

9. भारत में दूरसंचार विनिर्माण से संबंधित मुद्दों को लाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28 दिसंबर, 2010 को ''भारत में दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने'' के संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया गया। प्राप्त सुझावों एवं खुला मंच चर्चा के दौरान प्राप्त विचारों का विश्लेषण करने के उपरांत, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2011 को, ''दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति'' पर, अपनी सिफारिशें जारी की गईं। इन सिफारिशों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य निम्न हैं :–

- स्वदेश निर्मित उत्पादों द्वारा वर्ष 2015 तक 45 प्रतिशत घरेलू मांग व वर्ष 2020 तक 80 प्रतिशत घरेलू मांग पूरी करना।
- भारतीय उत्पादों को वर्ष 2015 तक 25 प्रतिशत तक और वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत तक बाजार एक्सेस उपलब्ध कराना।
- स्वदेश निर्मित उत्पादों के परिमाण में (वैल्यू एडीशन) वर्ष 2015 तक 35 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 65 प्रतिशत वृद्धि करना।

प्रस्तावित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित सिफारिशें की गई हैं :–

i. निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच एक समन्वय के रूप में काम करने के लिए दूरसंचार उपकरण निर्माता संगठन (टीईएमओ) स्थापित करना।

ii. टीईसी को एक स्वायत्त परीक्षण और प्रमाणन संगठन (टीसीओ), जो कि भारतीय और वैश्विक, दोनों उत्पादों का परीक्षण और प्रमाणन करेगा, में परिवर्तन करना।

iii. टीईएम को बढ़ावा देने के लिए 10 दूरसंचार समूहों (कलस्टरों) की पहचान करना तथा एक समयबद्ध तरीके से इन समूहों (कलस्टरों) में से आधारभूत संरचनाओं संबंधी कमियों को दूर करना।

iv. अनुसंधान, आईपीआर सृजन, विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास निधि (टीआरडीएफ) स्थापित करना और अनुसंधान व विकास, नवप्रवर्तन (इन्नोवेशन), आईपीआर सृजन तथा दूरसंचार उद्योग की तेज व धारणीय वृद्धि (सस्टेनेबल ग्रोथ) के लिए व्यावसायीकरण की सुविधा के लिए अनुसंधान पार्क स्थापित करना।

v. 3000 करोड़ रुपए का दूरसंचार विनिर्माण निधि (टीएमएफ) स्थापित करना, जो देशी विनिर्माताओं को व्यावसायीकरण परियोजना विकास व ब्रॉण्ड सृजन से पहले व इसके बाद जोखिम पूर्ण कार्य के लिए सहायता देने के लिए कम लागत पर वित्त पोषण के रूप में, पूंजी उपलब्ध कराएगी।

vi. सुरक्षा मानकों सहित, दूरसंचार मानकों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का संचालन करने, ड्राइविंग और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के प्रयोग में आने वाले उपकरणों की विशिष्टियों (विशेष विवरणों) को तैयार करने से संबंधित समस्त कार्य करने के लिए दूरसंचार मानक संगठन (टीएसओ) की स्थापना करना।

vii. भारत में निर्मित उत्पादों और भारतीय उत्पादों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है।

- राजकोषीय प्रोत्साहनों का भी प्रस्ताव किया गया है, और
- इलैक्ट्रॉनिक पुर्जों (कम्पोनेंट) के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए भी उपाय सुझाए गए हैं।

(iii) ''हरित दूरसंचार'' के प्रति दृष्टिकोण पर सिफारिशें, दिनांक 12 अप्रैल, 2011

10. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ''हरित दूरसंचार'' विषय पर हितधारकों के विचार मांगने के लिए दिनांक 18 जून, 2010 को एक परामर्श पूर्व पत्र जारी किया गया। हितधारकों से प्राप्त अभिमतों के आधार पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2011 को ''हरित दूरसंचार'' विषय पर परामर्श पत्र जारी किया गया। हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर तथा उनका आगे विश्लेषण करने के उपरांत, प्राधिकरण द्वारा ''हरित दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण'' पर अपनी सिफारिशों को दिनांक 12 अप्रैल, 2011 को आगे प्रेषित किया गया। मुख्य सिफारिशें हैं :–

i. सेक्टर को हरित बनाने के उपाय राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का अंग होंगे।

ii. आगामी 5 वर्षों में – सभी ग्रामीण टावरों के 50 प्रतिशत तथा सभी शहरी टावरों के 30 प्रतिशत टावरों का संचालन मिश्रित/हाईब्रिड पावर (नवीकृत ऊर्जा स्रोत + ग्रिड पावर) द्वारा किया जाएगा।

iii. वर्ष 2015 तक सेक्टर में परिनियोजित सभी उपकरणों, उत्पादों और सेवाओं का ऊर्जा और निष्पादन मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा ये ''हरित पासपोर्ट'' के रूप में प्रमाणित होने चाहिए।

iv. वर्ष 2015 तक सभी मोबाइल फोन ब्रोमीनेट्स, क्लोरीनित मिश्रण (क्लोरीनेटेड कम्पाउन्ड्स) और एन्टीमोनी ट्राइऑक्साइड से मुक्त होने चाहिए।

v. सभी मोबाइल निर्माता/वितरक, ई–कचरे, मोबाइल फोन, बैटरियों, चार्जरों इत्यादि को एकत्रित करने के लिए, पूरे देश में उपयुक्त स्थानों पर संग्रहण (कलेक्शन) बिन रखेंगे।

सरकार द्वारा भादूविप्रा की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

(iv) भादूविप्रा की ''राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना'' पर सिफारिश पर दूरसंचार विभाग के संदर्भ दिनांक 04 मई, 2011 की सिफारिशें

11. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पाया कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) भी प्राधिकरण के इस प्रस्ताव से सहमत है कि एक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का सर्जन किया जाए और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एक समर्थक नेटवर्क होना चाहिए, जो कि ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएगा। प्राधिकरण ने बताया कि इसका दृढ़ मत है कि ब्रॉडबैंड की सुविधा देश के सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए, दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ताकि समग्र प्रसार, वृद्धि का आदर्श स्वरूप सामने आ सके। प्राधिकरण ने आगे कहा कि वह दूरसंचार विभाग से ''सिद्धांत रूप'' से

सहमत है कि एक्सेस स्तर पर प्रभावी ब्रॉडबैंड नेटवर्क में बिना वायर और वायरलाइन/फिक्स्ड लाइन प्रौद्योगिकी का समन्वय होना चाहिए। दूरसंचार विभाग के प्रस्तावों पर प्राधिकरण ने दिनांक 4 मई, 2011 को डीओटी को अपना एक विस्तृत उत्तर भेजा।

(v) प्रसारण सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमाओं के बारे में भादूविप्रा की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संदर्भ में भादूविप्रा की दिनांक 03 जून, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

12. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने पत्र संख्या 18.05.2011 के संदर्भ में भादूविप्रा से उसके द्वारा दिनांक 30.06.2010 को ''प्रसारण सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमाओं'' के बारे में की गई सिफारिशों पर संशोधित सिफारिशें भेजने को कहा था। मामले की जांच के पश्चात्, प्राधिकरण ने ''प्रसारण सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमाओं'' के बारे में दिनांक 03.06.2011 को संशोधित सिफारिशें भेजीं। अन्य बातों के साथ–साथ, संशोधित सिफारिशों में कहा गया है कि प्राधिकरण को एलसीओ के लिए विदेशी निवेश सीमा को 49 प्रतिशत रखने पर कोई आपत्ति नहीं हैं। संशोधित सिफारिशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 (केबल टीवी अधिनियम) की धारा 2 (ई) में व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कंपनियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा :–

क. एक कंपनी जो एलसीओ या एमएसओ के रूप में पंजीकृत होना चाहती है और जो एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटाइजेशन को लागू नहीं करना चाहती है, उसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में परिभाषित कंपनी होना चाहिए और उसकी विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत होगी; और

ख. एक कंपनी जो एमसीओ के रूप में पंजीकृत होना चाहती है, जो एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटाइजेशन को लागू करना चाहती है, उसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में परिभाषित कंपनी होना चाहिए और उसकी विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत होगी।

सिफारिशों में आगे कहा गया है कि 74 प्रतिशत की सीधे विदेशी निवेश की सीमा, उन सभी एमएसओ पर लागू होगी जो एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटाइजेशन का कार्य आरंभ करना चाहते हैं, चाहे वे जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करें।

(vi) दिनांक 14 जुलाई, 2011 के यूएएस लाइसेंसों के संबंध में रोल–आउट दायित्वों के संबंध में भादूविप्रा के दृष्टिकोण/सिफारिशों पर पुनर्विचार

13. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (यथासंशोधित) की धारा 11 (1)(ख)(i) के अनुसार, भादूविप्रा द्वारा उन सभी सेवा प्रदाताओं से, जिन्हें दिसंबर, 2006 व इससे आगे लाइसेंस जारी किए गए हैं रोल–आउट दायित्वों के संबद्ध लाइसेंस के निबंधन और शर्तों पर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।

14. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिसंबर, 2006 व इससे आगे जारी किए गए 130 लाइसेंसों के संबंध में रिपोर्टों का विश्लेषण

किया तथा अपनी दिनांक 18 नवंबर, 2010 की सिफारिश में 43 यूएएस लाइसेंसों को निरस्त करने के अतिरिक्त परिसमापन हर्जाने की उगाही करने की संस्तुति की है, जबकि 31 लाइसेंसों के मामले में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई कि कानूनी समीक्षा के बाद, निर्णीत हर्जाना लगाने के अलावा इन लाइसेंसों को निरस्त करने पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है।

15. दूरसंचार विभाग ने अपने पत्रों, दिनांक 6 मई, 10 जून और 15 जून, 2011 के माध्यम से उपरोक्त सिफारिशों को भादूविप्रा के पास, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। भादूविप्रा ने इस पर पुनर्विचार किया और दिनांक 14 जुलाई, 2011 के अपने पत्र द्वारा अपनी पूर्व में की गई सिफारिशों को जारी रखने का आग्रह किया। भादूविप्रा ने यह भी सिफारिश की कि स्पेक्ट्रम जारी करने से चार लाइसेंसों की अवधि 52 सप्ताह से अधिक हो गई है, उन पर लाइसेंस की शर्तों के तहत सेवा निरस्त कर दी जाए और उन पर निर्णीत हर्जाना भी लगाया जाए। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा दूरसंचार विभाग द्वारा निरस्त किए गए पांच और लाइसेंसों संबंधी कार्रवाई से भी सहमत है।

(vii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के बारे में सिफारिशें – दूरसंचार विभाग के संदर्भ संख्या 20–281/2010–ए.एस.–1 (वा.।।) (भाग) दिनांक 10.10.2011 पर प्राधिकरण की प्रतिक्रिया

16. दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 2011 के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया था कि दिनांक 11 मई, 2010 की ''स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' और दिनांक 08 फरवरी, 2011 की ''1800 एमएचजैड बैंड में स्पेक्ट्रम का 2010 में मूल्य'' पर दी गई सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों की समीक्षा की जाए।

17. भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग के विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, दिनांक 03 नवंबर, 2011 को विभिन्न मुद्दों पर अपना उत्तर प्रेषित किया।

18. भादूविप्रा ने दूरसंचार सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की पहचान, एजीआर के एकसमान 6 प्रतिशत की दर पर लाइसेंस फीस, आईपी–1 और आईएसपी को लाइसेंस क्षेत्र में लाने आदि के बारे में की गई सिफारिशों को ही दोहराया।

19. भादूविप्रा ने वर्तमान शहरी केंद्रीय रोल आउट बाध्यता को संशोधित मानदण्डों में बदलने, जो कि सभी सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसों पर लागू होगा, के लिए की गई सिफारिश को ही दोहराया। एक प्रोत्साहन के रूप में, भादूविप्रा ने सिफारिश की कि लाइसेंस फीस के यूएसओएफ घटक के अग्रगामी कमी, जो कि दो वर्षों के रोल आउट बाध्यता की उपलब्धि का 0.5 प्रतिशत होगा, और 500 से 2000 की आबादी वाले सभी गांवों तक इसका विस्तार किया जाता है, तो यह 4 प्रतिशत तक भी हो सकता है।

20. जहां तक विलय और प्राप्ति का प्रश्न है, भादूविप्रा ने एक निश्चित सेवा क्षेत्र में एजीआर या उपभोक्ता के रूप में, ''परिणामी अस्तित्व'' के लिए बाजार शेयर के 35 प्रतिशत हिस्से के लिए विलय को सरकार की मंजूरी की

सिफारिश की थी। अगर ''परिणामी अस्तित्व'' की बाजार हिस्सेदारी 35 प्रतिशत से अधिक और 60 प्रतिशत तक होती है, तो मामले को भादूविप्रा के पास उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाएगा, जो इस बारे में विस्तार से जांच करेगा कि बाजार क्षेत्र का उल्लंधन न हो। ऐसे मामले जिनमें ''परिणामी अस्तित्व'' बाजार हिस्सेदारी का 60 प्रतिशत से अधिक हो, उन पर बिल्कुल ही विचार नहीं किया जाएगा। ''परिणामी अस्तित्व'' द्वारा स्पेक्ट्रम होल्डिंग की सीमा, एक सेवा क्षेत्र में आबंटित किए गए स्पेक्ट्रम का 25 प्रतिशत ही होगी।

21. स्पेक्ट्रम शेयरिंग के बारे में, भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि अनुमति प्राप्त स्पेक्ट्रम को दो लाइसेंस होल्डिंग स्पेक्ट्रम के मध्य बांटे जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें बांटे गए कुल स्पेक्ट्रम, विलय में अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक नहीं होंगे। यह अनुमति 5 वर्षों के लिए होगी, जो कि आगामी 5 वर्षों के लिए भी नवीकरणीय हो सकती है।

(viii) दिनांक 05 मार्च, 2012 की वर्तमान अनुदान सहायता समर्थन के समाप्त हो जाने के पश्चात्, ग्रामीण सीधे एक्सचेंज लाइनों (आर–डीईएल) के लिए यूएसओ निधि से समर्थन का विस्तार

22. दूरसंचार विभाग ने दिनांक 14.9.2011 के अपने पत्र में प्राधिकरण से इस बारे में सिफारिश मांगी थी कि तीन वर्षों से अधिक अर्थात् 01.04.2012 से पूर्व लगाए गए एडीसी, ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए यूएसओएफ का समर्थन जारी रखे जाने और कितनी अवधि और राशि के लिए समर्थन दिया जाता रहेगा। इस बारे में बीएसएनएल से प्राप्त जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन किए जाने के पश्चात्, प्राधिकरण ने सिफारिश की कि मात्र तदर्थ रूप से 600 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता राशि बीएसएनएल को दी जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के लिए सामान्य बजटीय प्रक्रिया से 600 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता अनुदान की अतिरिक्त निधि जुटा पाना आसान नहीं होगा, यह राशि यूएसओएफ से जुटाई जाए। आगे कहा गया है कि 600 करोड़ रुपए की राशि और इसका स्रोत यानि यूएसओएफ मात्र एक तदर्थ प्रबंध है और इस बारे में अंतिम सिफारिश प्राधिकरण द्वारा निर्धारित परामर्श प्रक्रिया अपनाए जाने के पश्चात् की जाएगी।

(ii) विनियम

23. वर्ष 2011–12 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित विनियम जारी किए गए :–

i. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (छठा संशोधन) विनियम, 2011 (2011 का 5) दिनांक 05 सितंबर, 2011

ii. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (सातवां संशोधन) विनियम, 2011 (2011 का 6) दिनांक 25 अक्तूबर, 2011

iii. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (आठवा संशोधन) विनियम, 2011 (2011 का 7) दिनांक 01 नवंबर, 2011

iv. दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 दिनांक 05 जनवरी, 2012

v. दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 (2012 का 2) दिनांक 06 जनवरी, 2012

vi. दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (संशोधन) विनियम, 2012 (2012 का 3) दिनांक 12 जनवरी, 2012

vii. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विनियम, 2012 (2012 का 4) दिनांक 12 जनवरी, 2012

viii. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 (2012 का 5) दिनांक 21 फरवरी, 2012

ix. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 09 मार्च, 2012

24. इन विनियमों की मुख्य बातें, निम्न पैराग्राफ में दी गई हैं।

(i) ''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010'' में संशोधन

25. भादूविप्रा ने अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण और इससे होने वाले उपभोक्ताओं के असंतोष को रोकने के लिए ''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 का विमोचन'' किया गया है। पिछले विनियमों में ''डू–नॉट–कॉल–रजिस्ट्री'' का प्रावधान था, लेकिन इस विनियम में उपभोक्ता के पास चयन की काफी गुंजाइश है। वह पिछले विनियम में उपलब्ध ''डू–नॉट–कॉल–रजिस्ट्री'' की ''पूरी तरह बंद'' वर्ग का चयन कर सकता है या ''आंशिक बंद'' वर्ग का चयन कर सकता है, जिसमें उसके द्वारा चयनित वर्ग/वर्गों के एसएमएस प्राप्त कर सकता है। ''आंशिक बंद वर्ग'' ''डू–नॉट–कॉल–रजिस्ट्री'' की तरह ही है। प्राधिकरण के सतत् प्रयास से मूल विनियम के सभी प्रावधान 27 सितंबर, 2011 से लागू हो गए हैं।

(बांए से दाएं) दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में "दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010" के विमोचन के अवसर पर श्री कपिल सिब्बल, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का स्वागत करते हुए डॉ0 जे0एस0 शर्मा, अध्यक्ष, भादूविप्रा। इस अवसर पर श्री मिलिन्द देवड़ा, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री तथा श्री आर0 चन्द्रशेखर, सचिव, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार भी उपस्थित थे।

(बांए से दाएं) दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में "दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010" के विमोचन के अवसर पर डॉ0 जे0 एस0 शर्मा, अध्यक्ष, भादूविप्रा, श्री सचिन पायलट, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री, श्री कपिल सिब्बल, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री मिलिन्द देवड़ा, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री उपस्थित थे।

वर्ष के दौरान, विमोचित दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 में किए गए संशोधन निम्नलिखित हैं :–

छठा संशोधन	इस संशोधन की अधिसूचना जारी होने से, मूल विनियम के प्रावधान 27 सितंबर, 2011 से लागू हो गए हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता को अपनी पसंद को बदलने का लचीलापन देने के लिए, वर्तमान में तीन माह के प्रतिबंध को कम करके सात दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, वाणिज्यिक संप्रेषण के लिए विनिर्दिष्ट लेन–देन संदेश बिना किसी प्रतिबंध के सही ढंग से पहुंचने हेतु विनियम में संगत उपबंधों में संशोधन किया गया है। कुछ वर्गों के लिए प्रति दिवस, प्रति सिम एक सौ से अधिक गैर–वाणिज्यिक एसएमएस भेजने की परिचालन संबंधी आवश्यकता को रखा गया है।
7वां संशोधन	प्रचारक एसएमएस भेजने को रोकने हेतु, प्राधिकरण ने 0.05 रुपए (पांच पैसे केवल) का ''प्रचारक एसएमएस शुल्क'' निर्धारित किया है। यह शुल्क मूल ''एक्सेस प्रदाता'' द्वारा अंतिम ''एक्सेस प्रदाता'' को देना होगा, जोकि पंजीकृत टेलीमार्केटर द्वारा मूल एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क से अंतिम एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क पर भेजे गए प्रत्येक प्रचारक एसएमएस की दर से देय होगा।
8वां संशोधन	प्राधिकरण को 100 एसएमएस प्रति दिन, प्रति सिम की सीमा को बढ़ाए जाने के बारे में कुछ सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राधिकरण ने इन प्रतिवेदनों पर विचार किया और निर्णय किया कि वर्तमान में एक सौ एसएमएस प्रतिदिन प्रति सिम की सीमा को बढ़ाकर दो सौ एसएमएस प्रति दिन प्रति सिम कर दिया जाए।

दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में "दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिगान विनियम, 2010" के विमोचन के अवसर पर मादूविप्रा के अधिकारी एवं अन्य प्रतिभागीगण।

(ii) दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 दिनांक 05 फरवरी, 2012 और इसमें 12 जनवरी, 2012 के संशोधन

26. सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता की शिकायतों के निपटारे को प्रभावी बनाने में सुधार करने की दृष्टि से प्राधिकरण ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 जारी किया है, जो पहले के ''दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण विनियम, 2007'' का स्थान लेगा। ये विनियम व्यापक जन विचार–विमर्श प्रक्रिया के पश्चात्, जिसमें देश के विभिन्न भागों में खुला मंच विचार–विमर्श भी सम्मिलित था, के पश्चात् जारी किए गए। इन विनियमों की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :–

i. शुल्क मुक्त ''कस्टमर केयर नंबर'' वाले एक शिकायत केंद्र की स्थापना करना। शिकायत केंद्र को प्राप्त सभी शिकायतों के निवारण के लिए, वे स्वयं ही जिम्मेवार होंगे। इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि शिकायत केंद्र में एक कस्टमर केयर नंबर स्थापित किया जाएगा, जिससे किसी अन्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क से भी संपर्क किया जा सकता है।

ii. वर्तमान में मौजूद तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र–कॉल सेंटर, नोडल सेंटर और अपीलीय प्राधिकरण के स्थान पर दो–स्तरीय तंत्र बनाया गया है, जिसमें नोडल अधिकारी को हटा दिया गया है।

iii. शिकायत केंद्र में, प्रत्येक शिकायत को दर्ज किया जाएगा। उसे एक एकमात्र डॉकेट नंबर, पंजीकरण की तारीख और समय और शिकायत के निवारण की समय–सीमा संबंधी जानकारी उपभोक्ता को एसएमएस द्वारा प्रेषित की जाएगी। की गई कार्रवाई संबंधी जानकारी

भी उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।

iv. अगर कोई उपभोक्ता, अपनी शिकायत के निपटान से संतुष्ट नहीं है या उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती या निर्धारित समय सीमा में शिकायत निवारण संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, तो वह अगले घटक यानि अपीलीय प्राधिकारी को अपनी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क कर सकता है।

v. प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा, प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए दो–सदस्यी परामर्श समिति गठित की जाएगी। इसमें एक सदस्य, भादूविप्रा में पंजीकृत उपभोक्ता संगठन से होगा और दूसरा सदस्य सेवा प्रदाता का होगा।

vi. विनियम में, भादूविप्रा द्वारा एक समय–सीमा दी गई है, जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता को शिकायतों का निपटान करना होगा।

vii. सभी सेवा प्रदाताओं को एक सिटिजन चार्टर (संशोधित) (दूरसंचार उपभोक्ता चार्टर) प्रकाशित करना होगा। इसमें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विभिन्न समय सीमा, विभिन्न क्यूओएस विनियमों के अंतर्गत दिए जाएंगे, जैसे शिकायत निपटान तंत्र, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आदि प्रशासनिक खर्चे या अन्य के रूप में राशि की कटौती उपभोक्ता के अधिकार आदि के बारे में दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं। सेवा आरंभ होने के समय, प्रत्येक उपभोक्ता को एक संक्षिप्त सिटिजन चार्टर दिया जाना चाहिए।

viii. विनियम में यह भी प्रावधान है कि सेवा प्रदाता द्वारा शिकायतों की निगरानी हेतु वेब आधारित तंत्र स्थापित किया जाए, जिनसे उपभोक्ता अपनी शिकायतों की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

(iii) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (2012 का 2) दिनांक 06 जनवरी, 2012 और इसके संशोधन दिनांक 12 जनवरी, 2012; दिनांक 21 फरवरी, 2012 और 09 मार्च, 2012

27. दूरसंचार उपभोक्ताओं, विशेषकर प्रीपेड–उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 जारी किया है। इस विनिमय के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं :–

i. सिम कार्ड रखने वाले प्रत्येक उपभोक्ता को एक स्टार्ट–अप किट (एसयूके) जिसमें मोबाइल नंबर, दूरसंचार उपभोक्ता चार्टर का संक्षिप्त रूप, दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 के अंतर्गत अवश्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ii. सेवा प्रदाता द्वारा दिए जाने वाले वाऊचर को सरलीकृत कर दिया गया है और तीन वर्गों में मानकीकृत किया गया है – प्लान वाऊचर, टॉपअप वाऊचर, स्पेशल टैरिफ वाऊचर (एसटीवी)

क. प्लान टैरिफ वाऊचर, टैरिफ प्लान में उपभोक्ता के रूप में दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

ख. ''टॉपअप वाऊचर'' में केवल रुपए में राशि अंकित होती है और यह मौद्रिक राशि बिना समय या उपयोग सीमा के होती है।

ग. ''स्पेशल टैरिफ वाऊचर'' या ''एसटीवी'' में उपभोक्ता टैरिफ प्लान की शर्तों के साथ सीमित या असीमित वॉयस कॉल, एसएमएस या डाटा प्रयोग संबंधी फेरबदल हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई मौद्रिक राशि नहीं होगी। एसटीवी की मान्यता अवधि 90 दिवस से अधिक नहीं होगी।

iii. और अधिक पारदर्शिता और उपभोक्ता द्वारा आसान पहचान के लिए, प्रत्येक वाऊचर के पीछे एक अलग रंग का बैंड अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्लान वाऊचर में लाल रंग का बैंड, टॉपअप वाऊचर में हरे रंग का बैंड और विशेष टैरिफ वाऊचर में पीले रंग का बैंड होना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कॉल या प्रत्येक डाटा इस्तेमाल सत्र के पश्चात् प्रीपेड उपभोक्ता को एसएमएस या यूएसएसडी द्वारा यह जानकारी दी जानी चाहिए कि पिछले कॉल या डाटा इस्तेमाल पर कितना खर्च आया, कितनी राशि काटी गई। इस जानकारी में कॉल या इस्तेमाल की अवधि, काटी गई राशि, अधिशेष उपलब्ध, डाटा इस्तेमाल की मात्रा होगी। उपभोक्ता अपने टैरिफ प्लान का ब्यौरा, अपने खाते में उपलब्ध बकाया राशि, सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी समय उनके टेलीफोन नंबर पर दी गई मूल्यवर्धित सेवाओं आदि के बारे में बिना किसी खर्च के जानकारी प्राप्त कर सकता है।

v. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रीपेड उपभोक्ता अपने खाते का मदवार प्रयोग का ब्यौरा पा सके। सेवा प्रदाता उसे यह सेवा 30 दिनों के अंदर, उचित मूल्य पर, जिसकी कीमत 50 रुपए से अधिक नहीं होगी, उपलब्ध कराएगा।

vi. विनियम में यह प्रावधान है कि प्रीमियम दर सेवा की दरें, उपभोक्ता को वॉयस अलर्ट द्वारा उस सेवा की कॉल के शुरू होने से पूर्व बताई जानी चाहिए।

vii. उपभोक्ता द्वारा किसी भी मूल्यवर्धित सेवा को आरंभ करने से पूर्व, उसे इसकी दरों, वैधता अवधि और सेवा से हटने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

(iv) निदेश

29. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वर्ष 2011–12 के दौरान आदेशों/विनियमों के पालन हेतु सेवा प्रदाताओं को निम्न निदेश जारी किए :–

i. ''संविदात्मक बाध्यता'' और ''बकाया भुगतान देय'' के आधार पर पोर्टिंग अनुरोध को रद्द करने के संबंध में निदेश, दिनांक 24 मई, 2011

ii. उपभोक्ताओं द्वारा ''मूल्यवर्धित सेवाओं'' को लेने के नवीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से सहमति प्राप्त करने के बारे में निदेश, दिनांक 4 जुलाई, 2011

iii. ''एड्रेसेबल प्लेटफार्म'' के प्रचालकों के लिए ''रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) में संशोधन के बारे में (i) मै. सन 18 मीडिया सर्विस नार्थ प्रा. लि., (ii) मै. ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि., (iii) मै. नियो स्पोर्टस ब्रॉडकॉस्ट प्रा. लि., (iv) मै. जी टर्नर लि., (v) मै. स्टार डेन मीडिया सर्विसिज प्रा. लि. (vi) मै. ताज टेलीविजन (इंडिया) प्रा. लि. को निदेश, दिनांक 29 जून, 2011।

iv. गैर–वाणिज्यिक संप्रेषण वर्गों के लिए प्रति सिम एक सौ एसएमएस की सीमा में छूट के बारे में निदेश, दिनांक 27 सितंबर, 2011

v. पंजाब सेवा क्षेत्र में काटे गए सभी पीओआई की बहाली के बारे में भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) को निदेश दिनांक 18 अक्तूबर, 2011

vi. भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) को इसके द्वारा काटे गए, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं सहित सभी पीओआई को पुनः चालू करने के बारे में निदेश, दिनांक 25 अक्तूबर, 2011

vii. लेन–देन संदेशों के बारे में निदेश, दिनांक 25 अक्तूबर, 2011

viii. मै. वोडाफोन द्वारा ''संविदागत दायित्व'' के आधार पर पोर्टिंग के लिए अनुरोध को रद्द करने के बारे में निदेश, दिनांक 31 अक्तूबर, 2011

ix. निदेश सं. 341–3/2011–सीए (क्यूओएस) दिनांक 27 सितंबर, 2011 में संशोधन, दिनांक 23 दिसंबर, 2011

x. लेन–देन संदेशों के बारे में निदेश सं. 341–3/2011–सीए (क्यूओएस) दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 में संशोधन दिनांक 23 दिसंबर, 2011

xi. टैरिफ प्लान (शुल्क योजना) के प्रकाशन के बारे में निदेश, दिनांक 16 जनवरी, 2012 (निदेश, दिनांक 3 अप्रैल, 2012 द्वारा संशोधित)

xii. बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय संदेशों को रोकने के बारे में निदेश, दिनांक 20 जनवरी, 2012

xiii. प्रतिदिन, प्रति सिम 200 एसएमएस की सीमा से छूट के बारे में निदेश, दिनांक 25 जनवरी, 2012

xiv. डोनर प्रचालकों की एमएनपी को रद्द/वापस लेने के बारे में अनुरोध के बारे में निदेश, दिनांक 21 फरवरी, 2012

xv. टैरिफ विज्ञापनों के बारे में निदेश, दिनांक 26 मार्च, 2012

30. निदेशों के ब्यौरे की नीचे चर्चा की गई हैं :–

(i) ''संविदात्मक बाध्यता'' और ''बकाया भुगतान शेष'' के आधार पर पोर्टिंग अनुरोध को रद्द करने के संबंध में निदेश, दिनांक 24 मई, 2011

31. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एमएनपी क्रियान्वयन करने की स्थिति की समीक्षा करते समय पाया कि उपभोक्ताओं के पोर्टिंग अनुरोध को रद्द करने का प्रतिशत काफी अधिक था। रद्द करने की अत्यधिक उच्च दर के मद्देनजर प्राधिकरण ने प्रचालन मामलों और पोर्टिंग अनुरोध को रद्द किए जाने पर चर्चा करने के लिए सभी सीएमटीएस/यूएएसएल, एमएनपी सेवा प्रदाताओं, सीओएआई और एयूएसपीआई के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान, जो 10 फरवरी, 2011 को आयोजित की गई थी, सेवा प्रदाताओं और उनके दो संगठनों सीओएआई और एयूएसपीआई ने प्राधिकरण को बताया कि पोर्टिंग अनुरोधों को रद्द करने का मुख्य कारण, पिछले बिलों का बकाया अधिशेष है और उपभोक्ता द्वारा अपने सेवा प्रदाता से प्रचलित संविदा बाध्यता से बाहर निकलने को न मानना है।

32. आगे, प्राधिकरण ने एमएनपी के दर्जे को लागू करने और सीओएआई और एयूएसपीआई के प्रतिनिधियों से हुए विचार–विमर्श की समीक्षा करते हुए पाया कि अधिकांश मामलों में पोर्टिंग अनुरोध को मामूली आधारों पर रद्द किया गया था, जैसे उपभोक्ता के पिछले बिलों का बहुत मामूली बकाया रहना, उपभोक्ता को पोर्टिंग से रोकने के लिए इस प्रकार का प्रबंध किया गया था, आदि।

33. प्राधिकरण की राय है कि 0.13, 0.70, 1.50 रुपए जैसी बकाया अल्प राशि के लिए पोर्टिंग अनुरोध को रद्द करना, विनिमय की भावना के विरुद्ध है, विशेषकर जबकि सेवा प्रदाता को यह छूट है कि वह इस बकाया राशि को अगले बिल में जोड़ सकता है। इस तरह के अनुरोध को रद्द किया जाना, न तो उपभोक्ता के हित में है, न ही सेवा प्रदाता के हित में है, क्योंकि इस अल्प राशि की उगाही के लिए सेवा प्रदाता को भारी राशि खर्च करनी पड़ सकती है।

34. अतः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने निदेश दिनांक 24 मई, 2011 के अनुसार, सभी सीएमटीएस और यूएएसपी को निदेश जारी किया कि मोबाइल नंबर पोर्टिंग संबंधी अनुरोध को रद्द न किया जाए : –

क. यदि उपभोक्ता से बकाया राशि, पिछले भुगतान किए गए बिल, में एक रुपए से कम है, जिसको कि सेवा प्रदाता उपभोक्ता के आगामी बिल में जोड़ सकता है, बिना किसी जुर्माना लगाए; और

ख. प्रचलित संविदात्मक बाध्यता के आधार पर, सिवाए निम्न मामलों के :–

(i) पोस्ट पेड कनेक्शन, जिनमें हैंडसेट बंडल्ड दिया गया हो और संविदात्मक बाध्यता हो, जिसमें बाहर निकलने का प्रावधान हो, और उसका पालन न किया गया हो; और

(ii) कॉर्पोरेट कनेक्शन जिसमें बाहर निकलने का प्रावधान हो और संविदात्मक बाध्यता हो और उपभोक्ता ने इसका पालन न किया हो।

(ii) उपभोक्ताओं द्वारा ''मूल्यवर्धित सेवाओं'' को लेने या नवीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से सहमति प्राप्त करने के बारे में निदेश, दिनांक 04 जुलाई, 2011

35. ''मूल्यवर्धित सेवाओं'' को चालू करने संबंधी प्रक्रिया को जारी करने के बारे में प्राधिकरण का समय–समय पर ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा इस बारे में विभिन्न कदम उठाए जाते रहे हैं। विभिन्न उपाय किए जाने के बावजूद, प्राधिकरण को मूल्यवर्धित सेवाओं के संबंध में प्रावधान के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। अधिकांश उपभोक्ताओं ने इस बात पर बल दिया है कि प्रावधान में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि इन सेवाओं के लिए उपभोक्ता की रजामंदी लेना आवश्यक किया जाना चाहिए क्योंकि उनके विचार से ये सेवाएं बिना उनकी स्पष्ट रजामंदी के उपभोक्ताओं (विशेषकर प्रीपेड उपभोक्ताओं) को प्रदान की जा रही हैं। प्राधिकरण के ध्यान में ऐसे मामलों को लाया गया हैं, जिनमें ये सेवाएं ऐसे प्री–पेड उपभोक्ताओं को नवीकरण कर दी गई, जिनकी बकाया राशि कम थी, और इस प्रकार उनका मामला एक ऋणात्मक

बकाया के रूप में हो गया, यानि उन पर राशि का भुगतान करना शेष रह गया। अतः, प्राधिकरण ने 4 जुलाई, 2011 को एक निदेश जारी कर यह अनिवार्य बना दिया कि सेवा प्रदान करने के 24 घंटे के अंदर सेवा प्रदाता को उपभोक्ता की रजामंदी लेना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर सेवा वापस ले ली जाएगी और उपभोक्ता से इसकी एवज़ में कोई राशि भी चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए उपभोक्ता की रजामंदी लेना भी आवश्यक होगा, जहां कहीं नवीकरण के समय उसके खाते में अपर्याप्त अधिशेष हो।

(iii) ''एड्रेसेबल प्लेटफार्म के प्रचालकों के लिए रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआरओ) में संशोधन के बारे में (i) मै. सन 18 मीडिया सर्विस नार्थ प्रा. लि., (ii) मै. ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि., (iii) मै. नियो स्पोर्टस ब्रॉडकॉस्ट प्रा. लि., (iv) मै. जी टर्नर लि., (v) मै. स्टार डेन मीडिया सर्विसिज प्रा. लि. (vi) मै. ताज टेलीविजन (इंडिया) प्रा. लि. को निदेश, दिनांक 29 जून, 2011।

36. इस निदेश के अनुसार प्राधिकरण ने मै. सन 18 मीडिया सर्विस नार्थ प्रा. लि., मै. ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा. लि., मै. नियो स्पोर्टस ब्रॉडकॉस्ट प्रा. लि., मै. जी टर्नर लि., मै. स्टार डेन मीडिया सर्विसिज प्रा. लि. और मै. ताज टेलीविजन (इंडिया) प्रा. लि. को अंतिम अवसर प्रदान किया है कि वे अंतःसंयोजन विनिमय के प्रावधानों के आधार पर अपने ''रेफरेंस इंटरकनेट ऑफर (आरआईओ)'' में परिवर्तन/सुधार कर लें, ताकि वे टैरिफ आदेश, दिनांक 21.07.2010 के अनुरूप हो सकें।

(iv) गैर–वाणिज्यिक संप्रेषण वर्गों के लिए प्रति सिम एक सौ एसएमएस की सीमा में छूट के बारे में निदेश, दिनांक 27 सितंबर, 2011

37. ''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010'' के सारे प्रावधान, 27 सितंबर, 2011 से लागू हो गए हैं। इस विनियम में उपभोक्ता को अवांछनीय वाणिज्यिक कॉल और एसएमएस से संरक्षण देने के लिए कई कदमों/उपायों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में दूरसंचार प्रदाता, ऐसे एसएमएस पैकेज प्रदान करते हैं, जिनमें 2000 एसएमएस प्रतिदिन का प्रावधान होता है। इसका प्रयोग कोई भी बिना पंजीकृत व्यक्ति सामान्य नंबर से वाणिज्यिक संदेश भेजने के लिए कर सकता है। ऐसी संभावना को रोकने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता हित में सभी उपभोक्ताओं के लिए 100 एसएमएस प्रतिदिन प्रति सिम करने की सीमा निर्धारित की है। विनिमय के अंतर्गत लेन–देन संदेशों पर 100 एसएमएस की सीमा लागू नहीं होती है। यह प्राधिकरण पर निर्भर है कि लेन–देन संदेशों के बारे में आगे अन्य वर्ग बनाए।

38. उपभोक्ताओं की सही आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 27 सितंबर, 2011 को एक निदेश जारी किया, जिसके अंतर्गत

कुछ वर्गों को 100 एसएमएस प्रतिदिन की सीमा से छूट दी गई है। ये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजेंट हैं, जो इलैक्ट्रॉनिक रिचार्ज संदेश, ई–टिकटिंग एजेंसियां, कुछ सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स और कुछ विवरणिका सेवाएं प्रदान करते हैं। प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार, अन्य श्रेणियों को अधिसूचित कर सकता है।

(v) पंजाब सेवा क्षेत्र में भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा वियोजित सभी पीओआई को फिर से चालू करने हेतु बीएसएनएल को दिया गया निदेश, दिनांक 18 अक्तूबर, 2011

39. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया कि बीएसएनएल ने पंजाब सेवा क्षेत्र में कुछ सेवा प्रदाताओं के एल1 और एल2 टीएएक्स पीओआई वियोजित किए थे।

40. चूंकि सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के बीच परस्पर संपर्क उपलब्ध न होने से कॉलें पूरी नहीं हो पाती, सेवा में बाधा पहुंचती है तथा परस्पर संपर्क करने वाले दोनों सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों को असुविधा होती है और इससे सेवा की गुणवत्ता में ह्रास होता है, मामले की व्यापक जांच की गई।

41. जांच के पश्चात्, 18 अक्तूबर, 2011 को मैसर्स बीएसएनएल को निदेश जारी किया गया कि वह पंजाब सेवा क्षेत्र में इसके द्वारा वियोजित सभी पीओआई को तुरंत चालू करे तथा 21 अक्तूबर, 2011 तक अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(vi) सेल्यूलर टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के साथ सभी वियोजित पीओआई को फिर से चालू करने के लिए भारत संचार निगम लि0 (बीएसएनएल) को निदेश, दिनांक 25 अक्तूबर, 2011

42. मैसर्स भारती तथा मैसर्स वोडाफोन ने प्राधिकरण का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि मैसर्स बीएसएनएल ने हरियाणा तथा महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र में उनके पीओआई वियोजित किए हैं।

43. चूंकि सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के बीच परस्पर संपर्क उपलब्ध न होने से कॉलें पूरी नहीं हो पाती हैं, सेवा में बाधा पहुंचती है तथा परस्पर संपर्क करने वाले दोनों सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों को असुविधा होती है और इससे सेवा की गुणवत्ता में ह्रास होता है, मामले की व्यापक जांच की गई।

44. जांच के पश्चात्, 25 अक्तूबर, 2011 को मैसर्स बीएसएनएल को निम्नलिखित निदेश जारी किए गए :–

i. पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र में इसके द्वारा सेल्यूलर टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के सभी वियोजित पीओआई को अड़तालीस घंटे के अंदर फिर से चालू करना ;

ii. अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ पीओआई वियोजित करने से बाज आना ताकि ग्राहकों के हितों पर प्रतिकूल असर न पड़े।

(vii) लेन–देन संदेश के संबंध में निदेश, दिनांक 25 अक्तूबर, 2011

45. प्राधिकरण ने 01 दिसंबर 2010 को ''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010'' जारी किया। ''दूरसंचार वाणिज्यिक

संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (सातवां संशोधन) विनियम, 2011'' 25 अक्तूबर, 2011 को इन सभी विनियमों के प्रावधानों के साथ 27 सितंबर, 2011 को लागू हुआ। मुख्य विनियम में संशोधन के साथ प्राधिकरण ने एक निर्देश भी जारी किया, जिसमें लेन–देन संदेश के रूप में एसएमएस की कतिपय श्रेणियों का उल्लेख किया। इस निदेश के द्वारा प्राधिकरण ने लेन–देन संदेश की परिभाषा में निम्नलिखित श्रेणियों को शामिल किया :–

i. अपने ग्राहकों द्वारा किए गए ई–कॉमर्स लेन–देन के जवाब में ई–कॉमर्स एजेंसियों द्वारा भेजी गई जानकारी ;

ii. अपने ग्राहकों के खाते के बारे में उनको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अथवा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अथवा एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) अथवा नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज लि. (एमसीएक्स) के साथ पंजीकृत किसी कंपनी या फर्म या न्यासधारी सहभागी द्वारा भेजी गई जानकारी;

iii. किसी पंजीकृत कंपनी द्वारा इसके कर्मचारियों अथवा एजेंटों अथवा इसके ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा अथवा वस्तुओं के बारे में भेजी गई जानकारी।

(viii) मैसर्स वोडाफोन द्वारा ''संविदात्मक अनुबंधों'' के आधार पर पोर्टिंग के अनुरोध के ठुकराए जाने के संबंध में निदेश दिनांक 31 अक्तूबर, 2011

46. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने यह अवलोकन किया कि मैसर्स वोडाफोन के खिलाफ प्राप्त शिकायतों में पोर्टिंग के अनुरोध के ठुकराए जाने के अधिकांश मामलों का कारण संविदात्मक अनुबंध था तथा ऐसे मामलों में ग्राहकों ने जानकारी दी कि मैसर्स वोडाफोन के साथ, उनका इस तरह का कोई करार नहीं हुआ था।

47. इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने पाया किया कि जब इस तरह की शिकायतें मैसर्स वोडाफोन को भेजी गईं, ऐसे ग्राहकों को पोर्टिंग की अनुमति दी गई। अतः मैसर्स वोडाफोन द्वारा संविदात्मक अनुबंधों के आधार पर अनुरोध को इस प्रकार ठुकराए जाने से विनियमों के विनियम 12 के खंड (एच) तथा प्राधिकरण के दिनांक 24 मई, 2011 के निदेश का अनुपालन नहीं हुआ है।

48. अतः भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2011 के अपने निर्देश द्वारा मैसर्स वोडाफोन को यह निर्देश दिया कि वह दूरसंचार मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियमों के प्रावधानों एवं निर्देश के विपरीत संविदात्मक अनुबंध के आधार पर मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग का अनुरोध न ठुकराए।

(ix) दिनांक 27 सितंबर, 2011 के निर्देश सं. 341–3/2011–सीए (क्यूओएस) का दिनांक 23 दिसंबर, 2011 को संशोधन कर प्रतिदिन, प्रति सिम एसएमएस संख्या की सीमा 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना

49. प्राधिकरण ने दिनांक 27 सितंबर, 2011 के निर्देश में संशोधन कर 23 दिसंबर, 2011 को निर्देश दिया कि प्रतिदिन, प्रति सिम एसएमएस की संख्या सीमा 100 से बढ़ाकर 200 की

जाए। इसके अतिरिक्त, निर्देश द्वारा ''सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म'' की परिभाषा को भी व्यापक बनाया गया।

(x) लेन–देन संदेश के संबंध में दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 के निर्देश सं. 341–3/2011–सीए (क्यूओएस) का दिनांक 23 दिसंबर, 2011 को संशोधन किया जाना

50. लेन–देन संदेश के संबंध में दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 के निर्देश का संशोधन करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने लेन–देन संदेश की परिभाषा में निम्नलिखित संदेश भी जोड़े :

i. दूरसंचार ग्राहक के किसी सत्यापित अनुरोध के उत्तर में ऐसे ग्राहक के कार्यकलापों के संबंध में किसी पंजीकृत कंपनी अथवा धर्मार्थ न्यास अथवा सोसायटी अथवा दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा भेजी गई जानकारी। परंतु पंजीकृत कंपनी अथवा धर्मार्थ न्यास अथवा सोसायटी अथवा दूरसंचार सेवा प्रदाता –

क. ग्राहक से सत्यापित अनुरोध प्राप्त करते ही उसे जानकारी नहीं भेजेगा;

ख. ग्राहक को एसएमएस द्वारा सूचित करेगा कि जिस जानकारी के लिए अनुरोध किया गया है वह अधिकतम छह माह की अवधि की भेजी जाएगी, जब तक कि उसका नवीकरण न किया गया हो तथा ऐसी जानकारी मिलने, से छह माह की अवधि के दौरान, कभी भी बाहर निकलने के बारे में भी सूचित करेगा;

ग. ऐसी जानकारी प्राप्त करना जारी रखने के लिए प्रत्येक छह माह में ग्राहक से नए अनुरोध प्राप्त करेगा;

घ. ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया चुनने हेतु तीस दिन में कम–से–कम एक बार ग्राहक को सूचित करेगा ;

ड. किसी मीडिया में प्रकाशित इस सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया चुनने के संबंध में ब्यौरा प्रदान करेगा ;

च. ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त अनुरोध का कम–से–कम तीन माह का रिकॉर्ड रखेगा तथा प्राधिकरण द्वारा जब और जैसे मांगा जाए, यह रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा ;

छ. वह ऐसा कोई आपत्तिजनक, अश्लील, अनधिकृत जानकारी, संदेश अथवा संप्रेषण नहीं भेजेगा जो जनहित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल हो अथवा जिससे कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा आदि का उल्लंधन होता हो, तथा जानकारी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो देश के कानून के विपरीत हो।

51. इसके अतिरिक्त, निर्देश में एक्सेस प्रदाता के लिए यह भी प्रावधान है कि वह किसी पंजीकृत कंपनी अथवा धर्मार्थ न्यास अथवा सोसायटी अथवा दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसी जानकारी भेजने की अनुमति देने के पूर्व ऐसी कंपनी, न्यास, सोसायटी तथा दूरसंचार प्रदाता के साथ दिनांक 01 दिसंबर, 2010 के दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) की अनुसूची–V में यथाविनिर्दिष्ट मानक करार करेगा तथा उक्त विनियम में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिभूति जमा प्राप्त करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि :

क. ऐसी कंपनी अथवा न्यास अथवा सोसायटी अथवा दूरसंचार सेवा प्रदाता इसके द्वारा प्रदत्त उपयुक्त हेडर का ही उपयोग करेगा; और

ख. लेन–देन संदेश भेजने के उद्देश्य हेतु आबंटित दूरसंचार संसाधन के माध्यम से ग्राहक को भेजी गई जानकारी में कोई अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण अथवा प्रचारक संदेश का मिश्रण नहीं होगा।

(xi) टैरिफ प्लान के प्रकाशन के संबंध में (दिनांक 3 अप्रैल, 2012 के निर्देश द्वारा यथासंशोधित) निर्देश दिनांक 16 जनवरी, 2012

52. अपनी जरूरत के अनुसार ग्राहकों को अपनी टैरिफ प्लान चुनने हेतु दूरसंचार ग्राहकों को सुकर करने हेतु दूरसंचार टैरिफ प्रस्तावों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, प्राधिकरण ने टैरिफ प्लान की सुरक्षा के संबंध में सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 16 जनवरी, 2012 को दिनांक 3 अप्रैल, 2012 को यथासंशोधित निर्देश जारी किया। इस निर्देश की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

i. प्रीपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकों के लिए सभी टैरिफ प्लान पृथक प्ररूप में प्रकाशित किए जाएंगे। इन प्ररूपों में किसी सेवा क्षेत्र में दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित सभी टैरिफ प्लानों का उल्लेख किया जाएगा तथा इसमें सभी टैरिफ मदें होगी एवं टैरिफ प्लानों में सरल रूप से समझाने के लिए, एक से स्थान पर सारणीबद्ध प्ररूप में टैरिफ का उल्लेख किया जाएगा।

ii. दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा केंद्रों, विक्रय केंद्रों, खुदरा केंद्रों तथा वेबसाइट पर निर्धारित प्रपत्र में ग्राहकों को सभी टैरिफ प्लान उपलब्ध कराए जाएंगे ;

iii. दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाता, यह सुनिश्चित करेगा कि टैरिफ प्लान निर्धारित प्ररूप में प्रकाशित हो तथा टैरिफ प्लान में हुए किसी परिवर्तन को सेवा प्रदाता की वेबसाइट तथा ग्राहक सेवा केंद्र में अद्यतित किया जाए तथा निर्धारित प्रपत्र में अद्यतित किए गए टैरिफ प्लान को अपने बिक्री केंद्रों तथा खुदरा बिक्री केंद्रों में जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर की 7 तारीख तक उपलब्ध कराएं।

iv. दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाता के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी टैरिफ प्लानों का प्रकाशन निर्धारित प्रपत्र में कम–से–कम एक क्षेत्रीय भाषा और एक अंग्रेजी भाषा के समाचार–पत्र में छह माह से अधिक समयावधि में कराए तथा भादूविप्रा के निदेशों का अनुपालन करे।

(xii) एकमुश्त अंतर्राष्ट्रीय संदेशों के संबंध में निदेश, दिनांक 20 जनवरी, 2012

53. दिनांक 01.12.2010 के ''दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010'' जो 27 सितंबर, 2011 को लागू हुआ, के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान रजिस्टर (एनसीपीआर) में पंजीकृत ग्राहकों को अवांछित वाणिज्यिक कॉलें नहीं की जाएंगी अथवा एसएमएस नहीं भेजे जाएंगे। विनियमों को लागू करने के दौरान भादूविप्रा ने पाया कि ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए, जब प्रचारक एसएमएस को अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों में

स्थित सर्वर के माध्यम से एनसीपीआर में पंजीकृत ग्राहकों को भेजा गया था। यह पाया गया कि ऐसे एसएमएसों के उद्गम स्थान सामान्यतः जर्मनी, स्वीडन, नौरू, फीजी, कंबोडिया, बोस्निया, अलबानिया, ग्रेनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंट मोर्टेन, टोंगा, वानाताउ, नामीबिया, पनामा, एंटीगुआ तथा बारबुडा आदि था। इन एसएमएसों के हेडरों में अक्षर तथा संख्या दोनों होते थे अथवा अंतर्राष्ट्रीय कोडों के साथ संख्या होती थी अथवा हेडरों के आरंभ में +91 लिखा होता था। भादूविप्रा ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से एसएमएस भेजने के उपर्युक्त व्यवहार से निपटने के लिए उपाय करते हुए टेलीमार्केटरों, एक्सेस सेवा प्रदाताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) प्रचालकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया। इन चर्चाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से आने वाले एसएमएसों को कारगर ढंग से नियंत्रित करने तथा अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषणों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने हेतु भादूविप्रा ने 20 जनवरी, 2012 को सभी एक्सेस प्रदाताओं तथा आईएलडी प्रचालकों को निर्देश जारी किया, जिसमें आवश्यक प्रणाली स्थापित करने में वांछित समय को ध्यान में रखकर उनके लिए तीस दिनों के अंदर निम्नलिखित कदम उठाना अनिवार्य कर दिया गया है :–

i. अक्षर हेडर अथवा अक्षर एवं संख्या वाले हेडर अथवा +91 वाले हेडर, जिसमें एसएमएस का उद्गम स्रोत कोई दूसरा देश है, वाले सभी एसएमएस को इस नेटवर्क द्वारा न भेजा जाए।

ii. यदि अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश के स्रोत अथवा संख्या से एक ही संकेत से प्रति घंटा 200 से अधिक एसएमएस सृजित किया जाता है, तो उसे इस नेटवर्क से न भेजा जाए। परंतु यह प्रतिबंध ब्लैक आउट दिवसों पर लागू नहीं होगा।

iii. जिन निकायों के साथ एक्सेस प्रदाता द्वारा करार हुआ है, उन्हीं के नेटवर्क संबंधी विधि मान्य कोडों को नेटवर्क में अनुमति दी जाएगी।

(xiii) प्रतिदिन, प्रति सिम 200 एसएमएस भेजने की सीमा से छूट संबंधी निदेश, दिनांक 25 जनवरी, 2012

54. प्राधिकरण ने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंडों (i) तथा (v) के साथ पठित धारा 13 और दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) के विनियम 20 के उप–विनियम (2) के खंड (के बी) के तहत एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश दिया कि प्रतिदिन, प्रति सिम सभी मशीन–से–मशीन तथा व्यक्ति–से–मशीन, जहां मशीन मोबाइल हैंड सेट नहीं है, से संदेश भेजने की 200 एसएमएस की संख्या सीमा हटा दी जाए तथा प्राप्तिकर्ता छोर पर किसी शारीरिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(xiv) दाता प्रचालकों द्वारा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के अनुरोध को रद्द करने/वापस लिए जाने के संबंध में निदेश, दिनांक 21 फरवरी, 2012

55. एमएनपी के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते समय भादूविप्रा ने यह नोट किया कि

ग्राहकों के पोर्टिंग के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने का प्रतिशत काफी बड़ा है तथा भादूविप्रा ने यह भी पाया कि प्रदाता प्रचालक के रूप में कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों से लिखित अनुरोध, एसएमएस अथवा वॉयस कॉल के रूप में रद्दीकरण का अनुरोध स्वीकार कर पोर्टिंग के अनुरोध को अस्वीकार किए जा रहे हैं। परंतु विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिनके आधार पर दाता प्रचालकों को ग्राहकों से प्राप्त पोर्टिंग अनुरोध को वापस लेने अथवा रद्द करने की अनुमति दी जाए।

56. अतः दिनांक 21 फरवरी, 2012 के अपने निर्देश के माध्यम से भादूविप्रा ने सभी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं तथा यूनीफाइड एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया कि वे दाता प्रचालक के रूप में कार्य करते हुए पोर्टिंग के अनुरोध को रद्द करने अथवा वापस लेने के लिए ग्राहक के किसी अनुरोध पर विचार न करें और दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के विनियम 12 के अंतर्गत उल्लिखित आधारों को छोड़कर किसी अन्य आधार पर पोर्टिंग का अनुरोध अस्वीकार न करें।

(xv) टैरिफ विज्ञापनों के संबंध में निदेश, दिनांक 26 मार्च, 2012

57. अपनी आवश्यकता के अनुसार, सर्वथा उपयुक्त टैरिफ प्लान चुनने हेतु दूरसंचार ग्राहकों की सुविधा के लिए दूरसंचार टैरिफ प्रस्तावों में और अधिक पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने दिनांक 26 मार्च, 2012 को सभी दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं को ''भ्रामक टैरिफ विज्ञापन से बचाव'' के बारे में एक निदेश जारी किया। वैसे टैरिफ विज्ञापन को भ्रामक माना जाता है, जो किसी ग्राहक को ऐसे टैरिफ प्लान अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसका उपयोग उसने पहले नहीं किया हो, तथा जिसके विवरण असत्य हों, जिसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया गया हो, जिसके होने से ग्राहक का निर्णय प्रभावित हो सकता था, तथा जो निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों को प्रकट करने में विफल रहा हो।

58. निदेश के माध्यम से, दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं ने अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्देश दिया कि उनके द्वारा प्रकाशित विज्ञापन पारदर्शी तथा भ्रमरहित एवं स्पष्ट हो, सभी महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से प्रकट करता हो, उसमें दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाता की वेबसाइट का पता तथा ग्राहक सेवा नंबर का उल्लेख हो एवं स्थानीय भाषा में प्रकाशित विज्ञापनों में उसी भाषा में सभी आवश्यक जानकारी का उल्लेख हो।

59. इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक ऐसा विज्ञापन रजिस्टर रखें, जिसमें प्रत्येक टैरिफ संबंधी विज्ञापन के नमूने हों तथा उनकी आंतरिक लेखापरीक्षा हो ताकि निदेश के सभी पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित हो सके तथा इसके अनुपालन की रिपोर्ट हर छह माह के आधार पर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

(v) विचार–विमर्श पत्र

60. वर्ष 2011–12 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने निम्नलिखित विचार–विमर्श पत्र जारी किए :–

i. दिनांक 27 अप्रैल, 2011 को अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार की समीक्षा संबंधी विचार–विमर्श पत्र

ii. दिनांक 21 जुलाई, 2011 को मोबाइल मूल्यवर्धित सेवा संबंधी विचार–विमर्श पत्र।

iii. दिनांक 19 अगस्त, 2011 को ''आईएमटी–एडवांस्ड मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सर्विसेज'' संबंधी विचार–विमर्श पत्र।

iv. दिनांक 8 नवंबर, 2011 को ''आपात स्थिति में ''रेस्पांस एण्ड रिकवरी'' में संलग्न व्यक्तियों के लिए मोबाइल नेटवर्क में प्राथमिकता कॉल रूट'' संबंधी पूर्व–परामर्श पत्र।

v. दिनांक 08 दिसंबर 2011 को ''भारत में एफएम रेडियो सेक्टर में लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम चैनल स्पेंसिंग नियत करने संबंधी मामलों'' के विषय में विचार–विमर्श पत्र।

vi. दिनांक 22 दिसंबर, 2011 को ''डिजिटल एड्रेसेबल केबल प्रणाली के कार्यान्वयन संबंधी मामले'' के बारे में विचार–विमर्श पत्र।

vii. ''आवासीय और उद्यम अंतरा–दूरसंचार अपेक्षाओं/कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणाली (सीटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम संसाधनों का आबंटन'' पर दिनांक 26 दिसंबर, 2011 का परामर्श–पत्र।

viii. विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए निर्गम नीति पर दिनांक 06 जनवरी 2012 का पूर्व–परामर्श–पत्र।

ix. ''लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2012 के मसौदे पर दिनांक 16 जनवरी, 2012 को हितधारकों से राय/सुझाव आमंत्रित करना।

x. ''एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली के लिए दिशा–निर्देशों के मसौदे'' पर दिनांक 16 जनवरी 2012 का परामर्श–पत्र।

xi. ''नीलामी द्वारा 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम का आबंटन'' पर दिनांक 03 फरवरी, 2012 का पूर्व–परामर्श।

xii. ''दूरसंचार टैरिफ में स्थगन की नीति की समीक्षा पर दिनांक 06 फरवरी 2012 का परामर्श–पत्र।

xiii. 'एकीकृत लाइसेंस/क्लास लाइसेंस और विद्यमान लाइसेंसों को स्थानांतरण के लिए मसौदा दिशा–निर्देशों पर दिनांक 10 फरवरी, 2012 का परामर्श–पत्र।

xiv. स्पेक्ट्रम की नीलामी पर दिनांक 7 मार्च, 2012 का परामर्श–पत्र।

xv. आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों को शामिल करने के लिए आईएसपी लाइसेंस करार में संशोधन के लिए दिनांक 25.02.2010 का तथा ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम के प्रयोग पर दिनांक 15 मार्च, 2012 का परामर्श–पत्र।

xvi. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 से संबंधित कतिपय मुद्दों पर दिनांक 15 मार्च 2012 का परामर्श–पत्र।

xvii. ''टीवी चैनलों में विज्ञापनों से संबंधित मुद्दों'' पर दिनांक 16 मार्च, 2012 का परामर्श–पत्र।

xviii. केबल लैंडिंग स्टेशनों पर एक्सेस सरलीकरण प्रभारों और सह–स्थानिक प्रभारों पर दिनांक 22 मार्च, 2012 का परामर्श–पत्र।

xix. विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए निर्गम नीति पर मसौदा प्रतिक्रिया दिनांक 26 मार्च, 2012।

61. परामर्श–पत्रों के विवरणों पर नीचे चर्चा की गई है :–

(i) अंतःसंयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा पर परामर्श–पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2011

62. ''अंतःसंयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा'' पर परामर्श–पत्र 27 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया। इस परामर्श–पत्र के माध्यम से जनता के साथ किए गए परामर्श में अंतःसंयोजन उपयोग प्रभारों के घटकों के निर्धारण के विभिन्न मापदण्डों पर हितधारकों के विचार आमंत्रित किए गए थे। हितधारकों की टिप्पणियों और प्रति–टिप्पणियों को प्राप्त करने के पश्चात् 25 मई, 2011 को खुला मंच चर्चा आयोजित की गई।

63. हितधारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न आउटपुटों तथा उनके साथ–साथ परामर्श–

दिनांक 25 मई, 2011 को नई दिल्ली में "अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार" विषय पर आयोजित खुला मंच चर्चा में प्राधिकरण एवं अधिकारियों के साथ अन्य प्रतिभागीगण।

प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों और प्रति–टिप्पणियों, लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टों तथा भादूविप्रा को प्रस्तुत किए गए तिमाही परिज्ञात आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित आईयूसी अपील में, उसके दिनांक 29 जुलाई, 2011 को दिए गए आदेश के अनुपालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह रिपोर्ट 31 अक्तूबर 2011 को प्रस्तुत की गई।

(ii) मोबाइल मूल्यवर्धित सेवाओं पर परामर्श–पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2011

64. त्वरित प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ, मोबाइल फोन एक साधारण संचार उपकरण से एक ऐसे स्मार्ट फोन में रूपांतरित हो गए हैं, जिनमें अनेकों सूचनाओं और सेवाओं को ग्रहण करने की योग्यता है। मोबाइल फोन पर आज प्रदान की जाने वाली सेवाएं अपने ध्वनि–संप्रेषण की बुनियादी भूमिका से कहीं आगे बढ़ते हुए मूल्यवर्धित सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला तक प्रगति कर चुकी है।

65. मूल्यवर्धित सेवाओं के विकास तथा संभावित अभूतपूर्व विस्तार और उपभोक्ता की जीवन–शैली एवं क्षमता में वृद्धि करने के उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे उपयुक्त तंत्र की आवश्यकता है, जो अनुप्रयोग सेवाओं की क्षमता की प्राप्ति में सहायता प्रदान करे।

66. बीएएस के विकास से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों की पहचान करने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 21 जुलाई, 2011 के परामर्श–पत्र के माध्यम से अपनी ओर से एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की, जिसमें मोबाइल मूल्यवर्धित सेवाओं/अनुप्रयोग सेवाओं के प्रावधान के लिए भविष्य में क्रियान्वित किए जाने वाले विनियामक तंत्र पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

(iii) आईएमटी–उन्नत मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं पर 19 अगस्त, 2011 का परामर्श–पत्र

67. प्राधिकरण ने 19 अगस्त 2011 को आईएमटी–उन्नत मोबाइल वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं पर एक परामर्श–पत्र जारी किया।

68. जबकि वायरलैस उद्योग वॉयस और डाटा सेवाओं के लिए मांग में अत्यधिक वृद्धि का साक्षी रहा है, मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं तथा साथ ही उनके उपयोग की दरों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। बैंडविड्थ गहन सेवाएं तथा प्रयोक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या, मोबाइल नेटवर्कों पर और भी अधिक मांग अधिरोपित कर रही हैं। चूंकि तीसरी पीढ़ी (3जी) प्रणालियां भारत में स्थापित की जा रही हैं, विकसित देशों में अनेक प्रचालक इससे भी अधिक उन्नत प्रणाली नेटवर्क, जिसे आईएमटी–एडवांस्ड कहा जाता है, स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं ताकि डाटा, स्पीड और कंटेट वितरण की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

69. अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार–एडवांस्ड (आईएमटी–एडवांस्ड) प्रणालियां ऐसी मोबाइल प्रणालियां हैं, जिनमें ऐसी नई क्षमताएं शामिल हैं, जो आईएमटी–2000 से भी अधिक सक्षम हैं। ऐसी प्रणालियां एडवांस्ड मोबाइल सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं की एक व्यापक परिधि को एक्सेस प्रदान करती हैं, जो मोबाइल और फिक्स्ड नेटवर्क द्वारा समर्थित होती हैं तथा

उत्तरोत्तर रूप से पैकेट आधारित होती हैं। ऐसी प्रणालियां उच्च बैंडविड्थ, उच्च डाटा दर, निम्न प्रमाणन भार को सरल बनाएंगी और प्रयोक्ता–स्तर अनुकूलन के उच्च स्तर में सहायता प्रदान करेंगी।

70. 10 फरवरी, 2010 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए, इस विषय पर एक पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट पर डाला गया था। प्राप्त टिप्पणियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं पर विचार करते हुए भादूविप्रा द्वारा परामर्श–पत्र जारी किया गया है। परामर्श–पत्र में उठाए गए मुख्य मुद्दें हैं – उपयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के ब्लॉक आकार, बोलीदाता को अनुमति प्रदान किया गया अधिकतम स्पेक्ट्रम बैंड, बोली के लिए पात्रता मानदण्ड, क्रियान्वयन दायित्व, स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार, सेवा–गुणवत्ता मापदण्ड, सुरक्षा मुद्दें और अन्य संबंधित मुद्दे।

(iv) आपातस्थितियों के दौरान ''प्रतिक्रिया और समुत्थान कार्य में संक्षिप्त व्यक्तियों के लिए मोबाइल नेटवर्कों की प्राथमिकता कॉल रूटिंग'' पर दिनांक 8 नवंबर, 2011 को परामर्श–पत्र

71. पिछले कुछ वर्षों में, कुछ शहरों में हुए बम धमाकों के दौरान, सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क में व्यस्तता की समस्याओं के विषय में सूचित किया गया। एक ऐसा तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से, जिसमें ''प्रतिक्रिया और समुत्थान'' कार्य में व्यस्त महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर आपातस्थितियों में कॉलें प्राप्त हो सकें, प्राधिकरण ने 08 नवंबर, 2011 को ''आपातस्थितियों के दौरान ''प्रतिक्रिया और समुत्थान'' कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के लिए मोबाइल नेटवर्कों की प्राथमिकता कॉल रूटिंग पर एक पूर्व परामर्श–पत्र जारी किया।

72. पूर्व–परामर्श पत्र में नेटवर्क की व्यस्तता के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था तथा यह हितधारकों के साथ परामर्श करके ऐसी न्यूनतम बुनियादी व्यवस्थाओं को समझने का एक प्रयास है, जिसका आकलन किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए जिन्हें स्थापित किया जा सकता है कि सरकारी और अन्य संगठनों में कार्य करने वाले कम–से–कम ऐसे व्यक्तियों के लिए नेटवर्क की अतिव्यस्तता संबंधी बाधाओं को कम किया जा सके, जो आपातकालीन स्थितियों के दौरान ''प्रतिक्रिया और समुत्थान'' के लिए उत्तरदायी हैं। इस मुद्दे पर एक परामर्श–पत्र को तैयार करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर हितधारकों के इनपुट/टिप्पणियां/विचार/पत्र आमंत्रित किए गए :–

क. सामान्यतः भारतीय दूरसंचार नेटवर्कों को लोचदार बनाने वाला कोई पहलू ताकि वे आपदा/आपातस्थितियों के दौरान प्रभावी बन सकें।

ख. विशेषतः आपातकालीन स्थितियों में ''प्रतिक्रिया और समुत्थान'' कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के लिए दूरसंचार नेटवर्कों में ''प्राथमिकता कॉल रूटिंग'' के पहलू।

(v) भारत में एफएम रेडियो क्षेत्र में, किसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर न्यूनतम चैनल स्पेंसिंग विनिर्दिष्ट करने से संबंधित मुद्दों'' पर दिनांक 08 दिसंबर, 2011 का परामर्श–पत्र

73. ''भारत में एफएम रेडियो क्षेत्र में, किसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर न्यूनतम चैनल स्पेसिंग विनिर्दिष्ट करने से संबंधित मुद्दों'' पर एक परामर्श–पत्र 08 दिसंबर, 2011 को जारी किया गया। परामर्श–पत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जैसे विभिन्न कारकों–एफएम रेडियो रिसीवरों की चयनात्मकता, निकटतम अवस्थित चैनलों को प्रभावी रूप से संयोजित करने के लिए कम्बाइनर्स की क्षमता, सेवा क्षेत्र के अंदर ट्रांसमिटिंग साइटों की बहुलता तथा ट्रांसमिशन सेटअपों आदि के उन्नयन/सृजन के अपेक्षित होने के मामले में वित्त–पोषण का तरीका आदि के परिप्रेक्ष्य में किसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंदर एफएम चैनलों के मध्य न्यूनतम चैनल स्पेसिंग।

(vi) ''डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों'' पर दिनांक 22 दिसंबर, 2011 का परामर्श–पत्र

74. ''डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों'' पर एक परामर्श–पत्र दिनांक 22.12.2011 को जारी किया गया। परामर्श–पत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जैसे भारत में डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के सरल पारगमन से संबंधित बुनियादी सेवा टियर (बीएसटी) की संरचना और टैरिफ, रिटेल टैरिफ, प्रीपेड बिलिंग, अंतःसंयोजन मुद्दे, एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व साझेदारी, सेवा मानकों की गुणवत्ता और उपभोक्ता शिकायतों का निवारण आदि।

(vii) आवासीय और उद्यम अंतरा–दूरसंचार अपेक्षाओं/कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणाली (सीटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम संसाधनों का आबंटन'' पर दिनांक 26 दिसंबर, 2011 का परामर्श–पत्र

75. पिछले दशक में, जीवन के सभी क्षेत्रों में मोबाइल दूरसंचार की भारी पैठ के कारण भारत के दूरसंचार नेटवर्क के परिदृश्य में भारी बदलाव आया है। तथापि, देश में आवासीय और उद्यम अंतरा–दूरसंचार/कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणाली में ऐसी वृद्धि नहीं देखी गई है। इसका मुख्य कारण, बाजार में सीमित मात्रा में उपलब्ध वायरलैस विकल्प हैं। आवासीय और उद्यमों के लिए अंतरा–दूरसंचार अपेक्षाओं हेतु वायरलैस प्लेटफार्म सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला समाधान है, जो वायरलैस नेटवर्किंग समाधानों के अनुरूप भी है। भारतीय बाजार में उपलब्ध वायरलैस आधारित अधिकांश पीएबीएक्स समाधान 2.4 जीएचजी गैर–लाइसेंस्ड आईएसएम बैंड पर प्रचालन करते हैं, जिसका प्रयोग डाटा अनुप्रयोगों के अन्य मेजबान के लिए (वायलैस लैन आदि) भी किया जा रहा है।

76. 26 दिसंबर, 2011 को प्राधिकरण ने आवासीय और उद्यम अंतरा–दूरसंचार अपेक्षाओं/कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणाली (सीटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम संसाधनों का आबंटन पर एक परामर्श–पत्र जारी किया। इस परामर्श–पत्र में सीटीएस के लिए स्पेक्ट्रम के विद्यमान आबंटन, स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त बैंड की पहचान के लिए अपेक्षाएं, कम पावर के सीटीएस अनुप्रयोग के लिए 1800–1900 एमएच बैंड था। 1910–1920 एमएचजैड बैंड की गैर–लाइसेंसिंग की संभावना तथा समीपवर्ती बैंडों का प्रयोग करते हुए विद्यमान सेल्यूलर प्रणालियों के साथ सह–अस्तित्व वाले मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

(viii) विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए निर्गमन नीति पर दिनांक 06 जनवरी, 2012 का पूर्व–परामर्श पत्र

77. दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 10 अक्तूबर, 2011 और 23 दिसंबर, 2011 के पत्रों द्वारा भादूविप्रा से सभी प्रकार के लाइसेंसिंयों के लिए एक निर्गमन–नीति की सिफारिश करने का अनुरोध किया था, जो किसी लाइसेंस के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान से निर्गम चाहते हैं।

78. इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए निर्गमन–नीति से संबंधित विषयों पर 06 जनवरी, 2012 को एक पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया।

79. पूर्व–परामर्श पत्र में, जिन मुद्दों का समाधान किया गया था, वे हैं :–

- क्या व्यापार से आंशिक निर्गमन (केवल आंशिक या संपूर्ण स्पेक्ट्रम का प्रत्यर्पण) को अनुमति दी जानी चाहिए ?
- निर्गमन के लिए निबंधन और शर्तें क्या होनी चाहिएं ?
- प्रवेश शुल्क के भाग की वापसी की वांछनीयता और व्यवहार्यता;
- बैंक गारंटियों का निर्गमन;
- स्पेक्ट्रम के प्रत्यर्पण पर नीति; क्रियान्वयन दायित्वों के आंशिक/पूर्ण अनुपालन या गैर–अनुपालन के मामले पर नीति;
- व्यापार/सेवा से निर्गमन के लिए समय–सीमा; एक सेवा प्रदाता (जो व्यापार से निर्गमन का इच्छुक है) से अन्य सेवा प्रदाता को ग्राहकों के स्थानांतरण के लिए कार्य–प्रणाली;
- किसी लाइसेंस के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान से निर्गम करने वाले सेवा प्रदाता की देयताओं/दावों का निपटान;

80. भादूविप्रा ने विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए निर्गमन–नीति पर वैयक्तिक लाइसेंसियों से सरकार को तथा समग्र रूप से दूरसंचार क्षेत्र को होने वाले लाभ एवं हानि, उससे जुड़े मुद्दों, विविक्षाओं पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां/राय प्राप्त करने के लिए पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया।

(ix) लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2012 के मसौदे पर दिनांक 16 जनवरी, 2012 को हितधारकों के साथ परामर्श

81. लेखांकन पृथक्करण पर रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2012 का मसौदा, एक परामर्श–पत्र के रूप में हितधारकों की राय/सुझावों/टिप्पणियों के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर डाला गया। बाद में प्राप्त टिप्पणियों का प्रयोग, विनियम को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए किया गया।

(x) एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली के लिए दिशा–निर्देशों के मसौदे पर परामर्श–पत्र दिनांक 16 जनवरी, 2012

82. प्राधिकरण ने दिनांक 11 मई, 2010 की ''स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग तंत्र' पर अपनी सिफारिशों में यह अनुशंसा की थी कि भविष्य के लाइसेंसों को स्पेक्ट्रम के साथ सहयोजित नहीं किया जाएगा। जारी किए जाने वाले लाइसेंस (क) एकीकृत लाइसेंस होंगे, जिनमें

विभिन्न एक्सेस सेवाओं, एनएलडी/आईएलडी, इंटरनेट, आईपीआई को शामिल किया जाएगा; (ख) बीएसएटी सेवाओं को शामिल करने वाले क्लास लाइसेंस होंगे; (ग) प्राधिकार के माध्यम से लाइसेंसिंग होगी और (ध) प्रसारण लाइसेंस होंगे। इसके अलावा, अपने दिनांक 03 नवंबर, 2011 के पत्र में डीओटी को सूचित किया कि यह एक एकीकृत लाइसेंस की विस्तृत शर्तें तैयार कर रहा है तथा एक उपयुक्त परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से दिशा–निर्देश तैयार करेगा। एकीकृत लाइसेंस तथा क्लास लाइसेंस के लिए अंतिम दिशा–निर्देशों के आधार पर संबंधित लाइसेंसों के निबंधन और शर्तें तैयार की जाएंगी।

83. तद्नुसार, एकीकृत लाइसेंस और क्लास लाइसेंस के लिए दिशा–निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया और हितधारकों के साथ परामर्श के लिए 16 जनवरी, 2012 को जारी किया गया।

(xi) ''नीलामी द्वारा 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम का आबंटन'' पर दिनांक 3 फरवरी, 2012 का पूर्व परामर्श–पत्र

84. फरवरी 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह नीलामी द्वारा 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम के आबंटन और लाइसेंस प्रदान करने के लिए नई सिफारिशें करें।

85. माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर, प्राधिकरण ने तत्काल ही इससे संबंधित मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए 03 फरवरी, 2012 को एक पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया।

(xii) दूरसंचार टैरिफ में स्थगन की नीति की समीक्षा पर दिनांक 06 फरवरी, 2012 का परामर्श–पत्र

86. विद्यमान विनियामक तंत्र के अनुसार, ग्रामीण फिक्स्डलाइन सेवाओं, राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं तथा लीज्ड सर्किटों को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ स्थगनाधीन हैं। पिछले कुछ वर्षों में, दूरसंचार टैरिफों में गिरावट का रूझान था। परंतु हाल की प्रवृत्तियों तथा उद्योग और विश्लेषकों से प्राप्त रिपोर्टें, इस रूझान में एक संभावित परिवर्तन होने का संकेत देती हैं। इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि डाटा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, सेवाओं के लिए एक उपयुक्त टैरिफ तंत्र को तैयार करना भी अपेक्षित है। इस संदर्भ में, भादूविप्रा ने टैरिफ स्थगन की विद्यमान प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता की जांच करने का निर्णय लिया है।

(xiii) एकीकृत लाइसेंस/क्लास लाइसेंस और विद्यमान लाइसेंसों के स्थानांतरण के लिए मसौदा दिशा–निर्देशों पर दिनांक 10 फरवरी, 2012 को परामर्श

87. अपनी ''स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग तंत्र'' पर दिनांक 11.05.2010 की सिफारिशों में, भादूविप्रा ने यह सिफारिश की थी कि सभी भावी लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस होने चाहिए तथा स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से सहयोजित नहीं किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से एकीकृत लाइसेंस दिशा–निर्देशों पर सिफारिश करने का अनुरोध किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, प्रवेश/पात्रता, पीबीजी, एफबीजी आदि पर सिफारिशें भी

शामिल हों। भादूविप्रा को आईपी–। प्रदाताओं सहित राष्ट्रीय/सेवा क्षेत्र स्तरीय एकीकृत लाइसेंस में स्थानांतरित होने में समर्थ रहने के लिए विद्यमान यूएएस/सीएमटीएस/आईएसपी/एनएलडी/जीएमपीसीएस हेतु क्रियाविधियों और दिशा–निर्देशों की सिफारिशें कराने का अनुरोध भी किया गया था।

88. हितधारकों की टिप्पणियों के लिए, एकीकृत और क्लास लाइसेंस के लिए मसौदा दिशा–निर्देश 16 जनवरी, 2012 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर डाले गए थे। इसी के अनुक्रम में, विद्यमान लाइसेंसियों की एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली में स्थानांतरण के लिए मसौदा दिशा–निर्देश भी 10 फरवरी, 2012 को जारी किए गए। स्थानांतरण के लिए दिशा–निर्देश तैयार करते समय, एकीकृत और क्लास लाइसेंस के मसौदा दिशा–निर्देशों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों में भी कुछ संशोधन किए गए। अतः हितधारकों की सुविधा के लिए, एक व्यापक दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें एकीकृत और क्लास लाइसेंस के लिए मसौदा दिशा–निर्देश तथा एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली में विद्यमान लाइसेंसों के स्थानांतरण के लिए मसौदा दिशा–निर्देश शामिल थे।

(xiv) स्पेक्ट्रम की नीलामी पर दिनांक 07 मार्च, 2012 का परामर्श–पत्र

89. फरवरी, 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को निदेश दिया कि वह नीलामी द्वारा 22 सेवा क्षेत्रों में 2जी बैंड में स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा लाइसेंस प्रदान करने के लिए नई सिफारिशें दें।

90. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर, प्राधिकरण ने तत्काल ही 03 फरवरी, 2012 को एक पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया। प्राधिकरण ने प्राप्त हुई टिप्पणियों के आधार पर, एक परामर्श–पत्र तैयार किया तथा इसे 07 मार्च, 2012 को जारी किया।

(xv) आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों को शामिल करने के लिए आईएसपी लाइसेंस करार में संशोधन के लिए दिनांक 25.02.2010 का तथा ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम के प्रयोग पर दिनांक 15 मार्च, 2012 का परामर्श–पत्र

91. प्राधिकरण ने ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए दिनांक 25.02.2010 को आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) में उल्लिखित निबंधन और शर्तों को शामिल करने के लिए आईएसपी लाइसेंस करार में संशोधन के लिए एक परामर्श–पत्र जारी किया।

92. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दूरसंचार विभाग से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें ब्रॉडबैंड, वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए दिनांक 25 फरवरी, 2010 को आवेदन आमंत्रण सूचना में उल्लिखित निबंधन और शर्तों को शामिल करने के लिए आईएसपी लाइसेंस करार में संशोधन करने के लिए उसकी सिफारिशें मांगी गई थीं।

93. दूरसंचार विभाग ने एनआईए में उल्लिखित निबंधन और शर्तो के अनुरूप मई–जून 2010 के दौरान बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी। लाइसेंस से संबंधित एनआईए के निबंधन और शर्तें, ऐसे आईएसपी के लाइसेंस करारों में शामिल की जानी हैं, जिन्होंने नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

94. इस परामर्श–पत्र में, इस प्रस्ताव पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई हैं कि एनआईए में उल्लिखित लाइसेंस की शर्तों से संबंधित सभी निबंधन और शर्तों को ऐसे आईएसपी के लाइसेंस करार में अंतर्विष्ट कर लिया जाए, जिन्होंने नीलामी प्रक्रिया में बीडब्ल्यूए सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

(xvi) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 से संबंधित कतिपय मुद्दों पर दिनांक 15 मार्च, 2012 का परामर्श–पत्र

95. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 से संबंधित कतिपय मुद्दों पर एक परामर्श–पत्र हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 15 मार्च, 2012 को जारी किया गया था। यह टॉपअप वाऊचरों की प्रोसेसिंग फीस की सीमा में 2 रुपए से 3 रुपए की वृद्धि करने, जैसा कि सेवा प्रदाताओं की एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया था तथा टीसीपीआर, 2012 के अंतर्गत अनुमति प्रदान किए गए वाऊचरों की तीन श्रेणियों के अलावा वाऊचरों की एक चौथी श्रेणी (कॉम्बो वाऊचर) की अनुमति प्रदान करने, जैसा कि सेवा प्रदाताओं की एक एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया था, से संबंधित है।

(xvii) ''टीवी चैनलों में विज्ञापनों से संबंधित मुद्दों'' पर दिनांक 16 मार्च, 2012 का परामर्श–पत्र

96. ''टीवी चैनलों में विज्ञापन से संबंधित मुद्दों'' पर एक परामर्श–पत्र दिनांक 16.03.2012 को जारी किया गया। यह परामर्श–पत्र टीवी चैनलों में विज्ञापनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है, जैसे पे और एफटीए चैनलों के लिए क्लॉक–आवर आधार पर विज्ञापनों की अवधि के लिए अधिकतम सीमा, सीधे प्रसारित की जा रही खेल स्पर्धाओं के मामले में विज्ञापन अंतरालों का निर्धारण, निरंतर विज्ञापन अंतरालों के बीच समय का अंतर, पार्ट स्क्रीन विज्ञापन तथा शेष कार्यक्रमों की तुलना में विज्ञापनों का श्रव्य स्तर।

(xviii) केबल लैंडिंग स्टेशनों पर एक्सेस सरलीकरण प्रभारों और सह–स्थानिक प्रभारों पर दिनांक 22 मार्च, 2012 का परामर्श–पत्र

97. सामुद्रिक केबल, समूचे देश में तथा राष्ट्रों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संपर्क उपलब्ध कराती हैं। सामुद्रिक केबलों का कोई प्रभावी विकल्प नहीं है। सामुद्रिक केबल, किसी देश में केबल लैंडिंग स्टेशन के माध्यम से ही समाप्त होती हैं। केबल लैंडिंग स्टेशनों में एक्सेस ब्रॉडबैंड सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए एक अनिवार्य इनपुट है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की आवश्यकता है। केबल लैंडिंग स्टेशन पर पहुंच के प्रावधान में लागत शामिल होती है, जिसके लिए केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों को समुचित प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। लागत आधारित एक्सेस सरलीकरण प्रभार तथा संग्रहण प्रभार केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों को, उनके द्वारा एक्सेस सरलीकरण प्रदान करने तथा केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अन्य प्रचालकों को अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उपगत की गई लागतों के लिए पूतिपूर्ति प्रदान करेंगे।

98. एक्सेस सरलीकरण प्रभारों, संग्रहण प्रभारों तथा संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए परामर्श–पत्र 22 मार्च 2012 को जारी किया गया था।

(xix) विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए निर्गम नीति पर मसौदा प्रतिक्रिया दिनांक 26 मार्च, 2012

99. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ''विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए निर्गम नीति'' से संबंधित मुद्दों पर 26 मार्च, 2012 को एक ''मसौदा'' परामर्श–पत्र जारी किया।

100. भादूविप्रा ने पूर्व में ''विभिन्न दूरसंचार लाइसेंसों के लिए निर्गमन–नीति'' पर एक पूर्व–परामर्श पत्र 6 जनवरी, 2012 को जारी किया था। विभिन्न मुद्दों, जैसे व्यक्तिगत लाइसेंसों, सरकारी राजस्व पर तथा समग्र रूप से दूरसंचार क्षेत्र पर विविक्षाओं तथा लाभ और हानियों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियां/राय 24 जनवरी, 2012 तक आमंत्रित की गई थी।

101. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों तथा याचिका सं0 423/2010 और याचिका संख्या 10/2011 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 02 फरवरी 2012 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने सरकार को यह अनुशंसा करने का प्रस्ताव किया है कि एक पृथक निर्गमन–नीति की कोई आवश्यकता नहीं है तथा लाइसेंसियों द्वारा अदा किया जाने वाला प्रवेश शुल्क गैर–वापसी योग्य बना रहना जारी रहेगा। लाइसेंसों के प्रत्यर्पण के संबंध में विभिन्न लाइसेंसों में विद्यमान परिस्थितियां लागू रहेंगी, जिनके द्वारा लाइसेंसी कम–से–कम 60 कैलेंडर दिनों का अग्रिम नोटिस देकर अपना लाइसेंस प्रत्यर्पित कर सकता है।

102. आगे, विशिष्ट नीतिगत तंत्र के प्रसंग में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य एवं प्रचालक, जिनकी पूर्व भागों में चर्चा की गई है, की निम्नांकित पैराग्राफों में समीक्षा की गई है :– (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क, (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, (ग) बुनियादी व मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश, (घ) तकनीकी अनुरूपता तथा सेवा प्रदाताओं के साथ प्रभावी अंतःसंयोजन, (ड) दूरसंचार प्रौद्योगिकी, (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन, (छ) सेवा की गुणवत्ता, तथा (ज) सार्वभौमिक सेवा दायित्व का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :–

(क) और (ख) ग्रामीण टेलीफोन और टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

103. भादूविप्रा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता के प्रति सदैव सतर्क रहा है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, वायरलैस ग्रामीण [मोबाइल और डब्ल्यूएलएल(एफ)] बाज़ार 31 मार्च, 2011 के 273.54 मिलियन की तुलना में बढ़कर 323.27 मिलियन हो गया। निष्पादन संकेतक रिपोर्ट के अनुसार, कुल वायरलैस उपभोक्ता आधार का 35.17 प्रतिशत, आज ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है। ग्रामीण उपभोक्ता आधार में धीरे–धीरे वृद्धि हो रही है। ''राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना'' पर अपनी सिफारिशों के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित करने की सिफारिश की है। यह नेटवर्क एक ओपन एक्सेस ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क होगा, जो कि 500 व इससे अधिक आबादी वाले सभी स्थानों को जोड़ेगा। यह नेटवर्क दो चरणों में स्थापित किया जाएगा। पहले चरण में सभी शहर/शहरी क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतें होंगी तथा यह वर्ष 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा।

दूसरे चरण में 500 व इससे अधिक आबादी वाले सभी क्षेत्रों में नेटवर्क का विस्तार होगा तथा इसे वर्ष 2013 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह नेटवर्क लगभग 66,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसका वित्त पोषण यूएसओ फण्ड और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण/गारंटी के द्वारा किया जाएगा।

(ग) बुनियादी व मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी सेक्टर का प्रवेश

104. वर्तमान में, देश में बेसिक एवं सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदान करने वाले कुल 279 एक्सेस सेवा लाइसेंसधारी हैं। लाइसेंस–वार विवरण निम्न प्रकार है :–

लाइसेंस का प्रकार	लाइसेंसों की संख्या
बेसिक	2 (सार्वजनिक उपक्रम–बीएसएनएल एवं एमटीएनएल)
सीएमटी	37
यूएएस	240

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुरूपता और प्रभावी अंतःसंयोजन

105. संपूर्ण नेटवर्क में बाधारहित दूरसंचार में मदद करने के लिए, यह आवश्यक है कि भिन्न–भिन्न नेटवर्कों में अंतःसंयोजन हो। लाइसेंस की शर्तों में भी यह निर्धारित है कि सभी एक्सेस प्रदाता आपस में व राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों के नेटवर्कों से अंतःसंयोजन करें।

106. अंतःसंयोजन दूरसंचार की जीवन रेखा है। अंतःसंयोजन, एक सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्क पर, दूसरे सेवा प्रदाता के उपभोक्ता, सेवाओं और नेटवर्क को एक्सेस करने की अनुमति देता है। अंतःसंयोजन प्रभार एक दूरसंचार प्रचालक द्वारा अन्य प्रचालक के नेटवर्क में एक कॉल को प्रारंभ करने, समाप्त करने अथवा पारगमन/आगे ले जाने के प्रयोग के लिए, देय प्रभार है। अंतःसंयोजन और अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभार के लिए विनियामक तंत्र की व्यवस्था भादूविप्रा द्वारा जारी विभिन्न विनियमों के द्वारा की गई थी। दिनांक 9 अप्रैल, 2009 का अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से प्रभावी है।

107. प्राधिकरण ने ''अंत'संयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा पर 27 अप्रैल, 2011 को एक परामर्श–पत्र जारी किया। इस परामर्श–पत्र के माध्यम से जनता के साथ किए गए परामर्श में अंतःसंयोजन उपयोग प्रभारों के घटकों को निर्धारित करने के विभिन्न मापदण्डों पर हितधारकों के विचार आमंत्रित किए गए थे। हितधारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न इनपुटों के आधार पर तथा इसके अलावा परामर्श प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों, प्रति–टिप्पणियों और लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टों, भादूविप्रा को प्रस्तुत तिमाही परिज्ञात डाटा को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई तथा उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित आईयूसी अपील में दिनांक 29 जुलाई, 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में 31 अक्तूबर, 2011 को माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया गया।

(ड.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी

108. विनियामक अनुभव समय के साथ किस प्रकार विकसित होते हैं, इस पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी का गहरा प्रभाव पड़ता है। अनुसंधान और

विश्लेषण के माध्यम से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार के क्षेत्र में, विशेषकर विभिन्न अवस्थाओं में अभिसरण में परिवर्तनों को संचालित करने वाले कारकों को समझने का प्रयास करेगा। नेटवर्क, सेवाएं और विनियमों में नए परिवर्धन विशेष महत्व के होंगे। उपयोगी जानकारी का आधार तैयार करने तथा उसका उद्योग के साथ सहभाजन करने के लिए, भादूविप्रा द्वारा एक मासिक प्रौद्योगिकी सार संग्रह, जिसमें आधुनिक अभिरूचि का स्पष्टतः विस्तृत विवरण होता है, एक मासिक प्रौद्योगिकी जर्नल प्रकाशित कर रहा है। भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार प्रौद्योगिकी के नए विकासों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है तथा उद्योग के लाभ हेतु अध्ययन रिपोर्टें जारी की जाती हैं। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्न प्रकार है :–

(i) भावी पीढ़ी नेटवर्क (एनजीएन)

109. भावी पीढ़ी का नेटवर्क (एनजीएन) एक समसामयिक महत्व का क्षेत्र है। वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने इस क्षेत्र में अपने प्रयासों को तेज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर दृष्टि रखने के बाद, भादूविप्रा का परामर्श पत्र तैयार करने में सहायता करने के लिए पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता को अनुबंधित करने का निर्णय लिया गया, ताकि उसकी सेवाओं का उपयोग हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करके भावी पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) के लिए उपयुक्त नीति व विनियामक तंत्र तैयार करने के लिए किया जा सके। ''भावी पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) में स्थानांतरण'' के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया गया। परामर्श कार्य की परिधि में शामिल है, एनजीएन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, एक परामर्श पत्र का मसौदा तैयार करना, उद्योग के लिए एनजीएन पर कार्यशाला का आयोजन करना, मूल्यांकनोत्तर कार्य में भादूविप्रा की सहायता करना। परामर्शदाता ने एक विस्तृत रिपोर्ट का मसौदा तथा परामर्श पत्र का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है और इस विषय पर आगे कार्य किया जा रहा है।

(ii) प्रौद्योगिकी सार–संग्रह का प्रकाशन

110. प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों की पहचान करने तथा उद्योग के साथ इसकी सहभागिता करने के अपने निर्णय के अनुसरण में, भादूविप्रा जुलाई, 2011 से एक मासिक प्रौद्योगिकी सार–संग्रह का प्रकाशन कर रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान, निम्नलिखित विषयों पर प्रौद्योगिकी–सार संग्रह का प्रकाशन किया गया :–

i. सेल्यूलर बैकहॉल प्रौद्योगिकियां, जुलाई, 2011

ii. मशीन–टु–मशीन संप्रेषण मानक, अगस्त, 2011

iii. एडवांस्ड एंटीना प्रणालियां, सितंबर, 2011

iv. भावी पीढ़ी ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क, अक्तूबर, 2011

v. कॉग्नीटिव रेडियो प्रणालियों का मानकीकरण, नवंबर, 2011

vi. वॉयस ओवर एलटीई, दिसंबर, 2011

vii. एलटीई फेक्टो एक्सेस प्वाइंट्स, जनवरी, 2012

viii. भावी पीढ़ी वायरलैस नेटवर्कों में फ्री स्पेस ऑपटिक्स, फरवरी, 2012

ix. एलमपीएलएस ट्रांसपोर्ट प्रोफाइलः भावी पीढ़ी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, मार्च, 2012

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) का कार्यान्वयन

111. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी), 1999 में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नांकित पर ध्यान दिया गया है :–

- नागरिकों के लिए वहनीय और प्रभावी संचार की उपलब्धता;
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित समस्त अपूरित क्षेत्रों में व्यापक सेवा का प्रावधान करने और देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा कर सकने में सक्षम, उच्च स्तरीय सेवा के प्रावधान के बीच संतुलन उपलब्ध कराने का प्रयास करना;
- देश के दूरस्थ, पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करना;
- देश में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को सुदृढ़ करना तथा विश्वस्तरीय निर्माण क्षमताओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना;
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन में दक्षता व पारदर्शिता प्राप्त करना;
- स्पेक्ट्रम का उपयोग दक्षतापूर्वक, किफायती ढंग से, युक्तिपूर्ण तरीके से और अनुकूल रूप से किया जाए;
- संचार सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त मात्रा मे स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की जरूरत है। समुचित आवृत्ति बैंड पहले से (ऐतिहासिक रूप से) रक्षा विभाग व अन्यों को आबंटित की गई हैं और अब इनका पुनर्निधारण करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि स्पेक्ट्रम का अनुकूल उपयोग किया जा सके। पुनर्निधारण की क्षतिपूर्ति स्पेक्ट्रम फीस और सरकार द्वारा उगाहे गए राजस्व हिस्से में से की जाए ;
- घरेलू उपयोग व निर्यात दोनों के लिए देशी दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना;
- सभी सेवा प्रदाताओं के लिए मार्ग के अधिकार के लिए शीघ्र अनुमोदन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

112. उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित मुख्य विषयों पर परामर्श प्रक्रिया शुरू की गईं :–

i. अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण का सामना करने के लिए विस्तृत दृष्टिकोण।

ii. दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति।

iii. दूरसंचार अवसंरचना नीति।

iv. हरित दूरसंचार।

v. अंतःसंयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा।

vi. आवासीय और उद्यम अंतरा–दूरसंचार अपेक्षाओं/कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणाली (सीटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम संसाधनों का आबंटन।

vii. एकीकृत लाइसेंस/क्लास लाइसेंस तथा विद्यमान लाइसेंसों के अंतरण के लिए मसौदा दिशा–निर्देश।

(छ) सेवा की गुणवत्ता

113. प्राधिकरण द्वारा भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 (1)(ख)(V) के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता, के मानक तय किए गए हैं। भादूविप्रा द्वारा तय किए गए विभिन्न पैरामीटरों के लिए निर्देश चिह्नों के संबंध में सेवा की गुणवत्ता के विनियमों के प्रभावशाली ढंग से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता का वस्तुपरक मूल्यांकन

114. बेसिक टेलीफोन, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं की प्रमाणिकता की जांच करने तथा सेवा गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता के विचार जानने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने (1) बेसिक, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता के वस्तुपरक मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों अर्थात् मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल और मैसर्स टीसीआईएल को नियुक्त किया; तथा (2) सेवा के विषय में उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए विषयपरक उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षणों तथा जोन आधार पर दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण तथा शिकायत निवारण विनियम, 2007 के क्रियान्वयन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए मैसर्स स्पेक्ट्रम प्लानिंग, मैसर्स एमडीआरए, मैसर्स वॉयस एवं मैसर्स मार्केट प्लस को नियुक्त किया। इन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों को हितधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर डाला गया है तथा लेखापरीक्षा/सर्वेक्षण से उत्पन्न होने वाले मामलों को सेवा प्रदाताओं के साथ उठाया जा रहा है।

(ii) अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) के नियंत्रण के लिए तंत्र की समीक्षा

115. ''दूरसंचार वाणिज्यिक उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010'' के माध्यम से अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों की समस्या का निवारण करने के लिए अधिसूचित नए तंत्र 27 सितंबर, 2011 से पूरी तरह क्रियान्वित हो गया है। इन विनियमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, अवांछनीय वाणिज्यिक कॉलों/एसएमएस की संख्या में अत्यधिक कमी हुई है। अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए विनियमों में एक ऐसे तंत्र को निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें सेवा प्रदाता द्वारा शिकायत दर्ज होने के सात दिन के अंदर उस पर कार्रवाई की जानी है तथा उपभोक्ता को की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराया जाना है। कॉल अथवा एसएमएस के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु टोल फ्री नंबर 1909 उपलब्ध कराया गया है।

116. प्रोत्साहक एसएमएसों को भेजने का आगे निवारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने 0.05 रुपए (पांच पैसा केवल) का एक ''प्रचालक एसएमएस प्रभार'' दिनांक 25.10.2011 से विनिर्दिष्ट किया है, जो प्रारंभिक एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क से किसी सेवा प्रदाता द्वारा समापन एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क को किसी पंजीकृत टेलीमार्केटर द्वारा भेजे गए प्रत्येक प्रचारक

एसएमएस के लिए किसी प्रारंभिक एक्सेस प्रदाता द्वारा समापन एक्सेस प्रदाता को देय होगा।

117. प्राधिकरण को प्रतिदिन, प्रति सिम 100 एसएमएस की सीमा में वृद्धि करने के लिए कुछ सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए। प्राधिकरण ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया तथा 01 नवंबर, 2011 से प्रतिदिन, प्रति सिम 100 एसएमएस की सीमा में वृद्धि करके, इसे प्रतिदिन प्रति सिम 200 एसएमएस करने का निर्णय लिया।

118. प्राधिकरण को विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें यह कहा गया था कि उपभोक्ताओं से प्राप्त हुए अनुरोध के उत्तर में भेजे गए एसएमएसों की कतिपय श्रेणियों को भी लेन–देन संदेशों की परिभाषा में शामिल किया जाए। इस संबंध में लेन–देन संदेशों के बारे में दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 के निर्देश पर 23 दिसंबर, 2011 को संशोधन जारी किया गया।

119. प्राधिकरण को दूरसंचार उपभोक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें यह कहा गया था कि विनियमों के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिमान रजिस्टर में, उनका पंजीकरण होने के बावजूद उन्हें अवांछनीय वाणिज्यिक एसएमएस प्राप्त हो रहे हैं। शिकायतों की जांच करने पर यह पाया गया कि ऐसे वाणिज्यिक संप्रेषण देश के बाहर स्थित सर्वरों से इंटरनेट के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। ऐसे उल्लंधनों को रोकने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने 28 जनवरी, 2012 को थोक अंतर्राष्ट्रीय एसएमएसों को ब्लॉक करने का निदेश दिया। इन निदेशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, विनियम के उल्लंघन की ऐसी कार्रवाई को रोकने में मदद मिली है।

120. प्राधिकरण को कुछ हितधारकों से ऐसे अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए कि विनिर्दिष्ट सीमा में वृद्धि किए जाने से मशीन–से–मशीन और व्यक्ति–से–मशीन को एसएमएस भेजना संभव नहीं है, जिन्हें उनके द्वारा अपनी प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के लिए प्रक्रिया आरंभ करने अथवा उनका अनुप्रयोग करने के लिए प्रेषित किया जाता है; अतः प्राधिकरण ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को दिनांक 25.01.2012 को निदेश जारी किए कि सभी मशीन–से–मशीन और व्यक्ति–से–मशीन के संदेशों के लिए ऐसी स्थिति में प्रतिदिन, प्रति सिम 200 एसएमएस की सीमा से वर्जित किया जाए, जहां मशीन एक मोबाइल हैंडसेट नहीं है तथा रिसीविंग छोर पर कोई माननीय हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

(iii) उपभोक्ता जागरूकता

121. वर्ष 2011–12 के दौरान, उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने और उनकी क्षमता के निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाईयों के विषय में उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं और बैठकें आयोजित की गईं। प्राधिकरण ने भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता जागरूकता समूहों (सीएजी) द्वारा वर्ष के दौरान जिला/ब्लॉक स्तर की उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुमोदन भी प्रदान किया। इन कार्यक्रमों के विवरण इस प्रकार हैं :–

क) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं क्षेत्रवार आयोजित की गईं, जिनमें पहली 13.5.2011

दिनांक 13 मई, 2011 को हैदराबाद में आयोजित उपभोक्ता समर्थक समूह (सीएजी) कार्यशाला (दक्षिणी क्षेत्र) में प्रतिभागीगण।

को हैदराबाद में, दूसरी 01.08.2011 को नागपुर में, तीसरी 23.9.2011 को रांची में, चौथी 03.11.2011 को आईजोल में, पांचवीं 26.12.2011 को जयपुर में, छठी 30.1.2012 को गुवाहाटी में, सातवीं 16.02.2012 को गोवा में और आठवीं 27.02.2012 को तिरूवनंतपुरम् में आयोजित की गईं।

ख) विभिन्न दूरसंचार उपभोक्ता केन्द्रित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, दिनांक 27 मई, 2011 को शिमला में सभी उपभोक्ता समर्थक समूहों(सीएजी) की बैठक का आयोजन किया गया।

ग) 26 सीएजी को 231 जिला/ब्लॉक स्तरीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं संस्वीकृत की गईं, जिनमें से उन्होंने 194 कार्यशालाएं समूचे देश में विभिन्न जिलों/ब्लॉकों में आयोजित की हैं।

122. वर्ष 2011–12 के दौरान भी, प्राधिकरण द्वारा संचालित किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों/पहलों तथा दूरसंचार क्षेत्र में हुए अन्य विकासों के विषयों में सूचना प्रदान करने वाला एक मासिक समाचार–पत्र सभी सीएजी को परिचालित किया जाना जारी रहा।

123. भादूविप्रा, दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए विभिन्न विनियम और आदेश जारी करता है। प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण विनियमों, निदेशों और आदेशों को अंतर्विष्ट करने वाली, एक अद्यतित पुस्तिका सभी हितधारकों की जानकारी के लिए संकलित की गई तथा इसका अद्यतित संस्करण भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ज) सार्वजनिक सेवा दायित्व (यूएसओ)

124. ''दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें'' विषय पर अपनी अप्रैल, 2011 की

सिफारिशों में प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित सिफारिशें की गईं :–

क) भविष्य में यूएसओ निधि का उपयोग निम्नलिखित तक सीमित किया जाए :–

i. 500 से अधिक/कम आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के प्रावधान; और

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के विस्तार को आगे बढ़ाने व ब्रॉडबैंड के प्रावधान के लिए जिला स्तर से ब्लॉक मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों से गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना ताकि बैकहॉल बैंडविड्थ की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

iii. कोई अन्य उपयोग, यदि किसी प्रतिबद्धता पर पहले ही सहमति बन चुकी हो।

ख) स्थानीय आवश्यकताओं के लिए ई–स्वास्थ्य, ई–बैंकिंग, ई–वाणिज्य, ई–शिक्षा, ई–अधिशासन, ई–मनोरंजन इत्यादि को विकसित करना तथा उपयोग के अनुरूप बनाना।

ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टावर तथा इनसे संबंधित उपकरणों को स्थापित करने से स्थानीय जनता के साथ–साथ कुछ हद तक व्यापारिक संगठनों की जरूरतें पूरी होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा टावर स्थापित करने के लिए भूमि (लगभग 400 वर्गमीटर भूमि) के उपयोग को बदलने की जरूरत को समाप्त किया जाना चाहिए।

घ) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ग्रामीण बीटीएस को अग्रता के आधार पर विद्युत की आपूर्ति की जानी चाहिए।

(छ) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

125. भादूविप्रा में अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों का आगमन :

i. सुश्री अकीताका सैकी, जापानी राजदूत ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए 7 अप्रैल, 2011 को भादूविप्रा का दौरा किया।

ii. डॉ. चिंतन वैष्णव, शोधकर्ता, मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी ने पारस्परिक हितों के क्षेत्रों की पहचान के लिए 11–15 जुलाई, 2011 तक भादूविप्रा का दौरा किया।

iii. श्री दाशो किनले, सचिव, सूचना और संचार मंत्रालय, भूटान के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय शिष्टमंडल ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए 23 अगस्त, 2011 को भादूविप्रा का दौरा किया।

दिनांक 23 अगस्त, 2011 को प्राधिकरण व अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा के दौरान भूटान का छह सदस्यीय शिष्टमंडल।

iv. सुश्री नीले क्रोएस, यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष एवं आयुक्त (मंत्री) ने अपने शिष्टमंडल के साथ 25 नवंबर, 2011 को प्राधिकरण के साथ एक बैठक की।

v. श्री एम.एम. शौकत अली, संयुक्त सचिव, डाक और दूरसंचार मंत्रालय, ढाका, बांग्लादेश के नेतृत्व में एक दस–सदस्यीय शिष्टमंडल ने भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए 15 दिसंबर, 2011 को भादूविप्रा का दौरा किया।

vi. यूएसआईबीसी की इंडिया–ब्रिटिश काउंसिल के एक शिष्टमंडल ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए 15 दिसंबर, 2011 को भादूविप्रा का दौरा किया।

vii. श्री हसनुल हक इनू, अध्यक्ष, डाक और दूरसंचार मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के नेतृत्व में एक पंद्रह–सदस्यीय बांग्लादेशी शिष्टमंडल ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए 18 जनवरी, 2012 को भादूविप्रा का दौरा किया।

viii. श्री फाम हांग, महानिदेशक, वियतनाम दूरसंचार प्राधिकरण (वीएनटीए) ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए 8 फरवरी, 2012 को भादूविप्रा का दौरा किया।

ix. श्री जॉन रक्सेंडल, स्वीडन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी बोर्ड (ईकेएन), स्वीडन के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बारह–सदस्यीय दल ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए 19 मार्च, 2012 को भादूविप्रा का दौरा किया।

x. श्री फारूक अहमद अवान, संघीय सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, पाकिस्तान तथा श्री नईम अनवर, मंत्री (व्यापार) ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ, द्विपक्षीय चर्चा के लिए 24 मार्च, 2012 को भादूविप्रा का दौरा किया।

xi. डॉ. लियोनिडास केनेलोस, ईईटीटी प्रेजीडेंट और बीईआरईसी के वाइस प्रेजीडेंट ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए 28 मार्च, 2012 को भादूविप्रा का दौरा किया।

xii. डॉ. यूसुफ तेराद अल सादोन, सऊदी सरकार के आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों के विदेशी कार्यों के उप मंत्री के नेतृत्व में एक तैंतालीस सदस्यीय युवा शिष्टमंडल ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर चर्चा के लिए 29 मार्च, 2012 को नई दिल्ली, भारत का दौरा किया। भादूविप्रा के अधिकारियों के साथ शिष्टमंडल की बैठक विदेश मंत्रालय द्वारा जवाहर भवन (राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने) के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। इस शिष्टमंडल को प्रधान सलाहकार (एमएस) और सलाहकार (एमएन) द्वारा संबोधित किया गया। भादूविप्रा की भूमिका, कृत्यों आदि पर एक प्रस्तुतीकरण पेश किया गया, जिसके पश्चात् प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया।

126. समझौता ज्ञापन

श्रीलंका के माननीय विदेश मंत्री के दौरे के दौरान, दूरसंचार विनियामक आयोग, श्रीलंका (टीआरसीएसएल) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के बीच 17 जनवरी, 2012 को एक संयुक्त घोषणा/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

127. अंतर्राष्ट्रीय आयोजन

i. भादूविप्रा ने 6–8 सितंबर, 2011 तक नई दिल्ली में ''उभरते दूरसंचार परिवेश के लिए

दिनांक 17 जनवरी, 2012 को कोलंबो, श्रीलंका में भादूविप्रा एवं टीआरसीएसएल के बीच समझौता ज्ञापन के दौरान डॉ0 जे0एस0 शर्मा, अध्यक्ष, भादूविप्रा एवं श्री अनुशा पलपीता, महानिदेशक दूरसंचार विनियामक आयोग (टीआरसीएसएल) श्रीलंका।

विनियामक तंत्र'' पर एशिया प्रशांत टेलीकम्युनिटी (एपीटी) के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री कपिल सिब्बल, माननीय संचार एवं सूचना प्रौधोगिकी मंत्री द्वारा किया गया। इस आयोजन में एपीटी के महासचिव श्री तोशीयुकी यामादा तथा सभी प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के

दिनांक 06 से 08 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में "उभरते दूरसंचार परिवेश के लिए विनियामक तंत्र" विषय पर आयोजित भादूविप्रा–एपीटी की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों की सामूहिक फोटो।

दिनांक 06 से 08 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में "उभरते दूरसंचार परिवेश के लिए विनियामक तंत्र" विषय पर आयोजित भादूविप्रा–एपीटी की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान श्री कपिल सिब्बल, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री तोशीयुकी यामादा, महासचिव, एशिया प्रशांत टेलीकम्युनिटी (एपीटी)। इस अवसर पर डॉ0 जे0एस0 शर्मा, अध्यक्ष, भादूविप्रा, श्री चन्द्रशेखर, सचिव, दूरसंचार विभाग, अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल व प्रमुख संचार सेवा प्रदाताओं के सीएमडी/सीईओ भी उपस्थित थे।

सीएमडी/सीईओ ने भाग लिया। इसमें 41 अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों तथा 26 देशों के वक्ताओं ने भी प्रतिभागिता की। कुल प्रतिभागियों की संख्या (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) 150 के लगभग थी।

ii. भादूविप्रा ने 28–29 दिसंबर, 2011 को नई दिल्ली में भादूविप्रा कार्यालय में दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) के कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक का आयोजन किया। इसके सात सदस्य देशों (अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका) ने भाग लिया।

iii. भादूविप्रा ने आईटीयू एशिया–प्रशांत उत्कृष्टता केंद्र (सीईओ), पुसान नेशनल विश्वविद्यालय,

कोरिया के साथ सहभागिता में ''कन्वर्ज्ड आईपी नेटवर्क प्रौद्योगिकियों'' पर 15–17 फरवरी, 2012 को नई दिल्ली में आईटीयू प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया।

iv. भादूविप्रा ने द्वितीय आईटीयू एशिया–प्रशांत विनियामक राउंड टेबल (आरआर) सम्मेलन का आयोजन किया, जो 30–31 मार्च, 2012 को हैदराबाद में आयोजित की गई। इसमें एशिया और एशिया–प्रशांत क्षेत्र (कुल मिलाकर 20 देश) में विनियामकों/सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रतिभागिता की गई। ये देश हैं – अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, फिजी, किरिबाती, कोरिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सिएरा लियोन, सिंगापुर, श्रीलंका, वनौटू, वियतनाम और आईटीयू थाईलैंड।

दिनांक 30 से 31 मार्च, 2012 को हैदराबाद में आयोजित आईटीयू–भादूविप्रा एशिया प्रशांत विनियामकों के गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभागीगण।

भाग–III

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्य

1. प्राधिकरण ने उद्योग के विकास व उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुसरण में या तो स्वयं की पहल से अथवा सरकार द्वारा इसे संदर्भित मामलों पर अनेक सिफारिश की हैं; इसने अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विनियम अधिसूचित किए हैं; लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों को लागू करने की कार्रवाई की है; तथा अनेक अन्य मुद्दों पर कार्य शुरु किया है। विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कार्यों का निर्वहन करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश भर में दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा प्रसारण व केबल टीवी सेवा क्षेत्र सहित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हुए व्यापक नेटवर्क के रूप में दूरसंचार सेवाओं के विकास में योगदान दिया है । इन सतत् उपायों के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवाओं की कम दरों तथा सेवा की बेहतर गुणवत्ता आदि के संदर्भ में लाभ हुआ है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट विभिन्न मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए गए कुछ विशिष्ट कार्यों को नीचे दिया गया है।

क) भारत के अन्दर और भारत के बाहर दूरसंचार दरें, जिनमें वे दरें भी शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2), प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने की शक्ति

प्रदान करती है, जिन पर भारत के अन्दर और भारत के बाहर, दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा, पे–चैनलों के लिए दरों के निर्धारण के लिए मानदण्ड निर्दिष्ट करने तथा केबल सेवाओं के लिए दरें निर्धारित करने का कार्य भी, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपा गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र और प्रसारण तथा केबल क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के विवरणों पर निम्नलिखित पैराओं में चर्चा की गई है।

3. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है, जिन पर भारत के अन्दर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, जिनमें वे दरें भी शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी भी देश को संदेश भेजे जा सकते हैं । इसमें यह व्यवस्था भी शामिल है कि प्राधिकरण एकसमान दूरसंचार सेवाओं के लिए, विभिन्न व्यक्तियों अथवा श्रेणी के व्यक्तियों हेतु भिन्न–भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए लागू प्रशुल्क व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि बाजार में प्रचलित प्रशुल्क, विनिर्दिष्ट प्रशुल्क व्यवस्था के अनुरूप हों। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण उन दरों की निगरानी करता है, जिन दरों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

4. वर्तमान में, फिक्सड लाइन ग्रामीण उपभोक्ताओं के मामले में किराया, निःशुल्क कॉल छूटों और स्थानीय कॉल प्रशुल्कों, मोबाइल टेलीफोनी में तथा लीज्ड सर्किट के लिए रोमिंग सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क नम्य हैं। सेवा प्रदाताओं को कतिपय विनियामक सिद्धांतों के अधीन, जिनमें आईयूसी अनुपालन भी शामिल है, कोई भी प्रशुल्क पेश करने का लचीलापन प्राप्त है। दिनांक 09.03.1999 के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 के अनुसार, नम्यता का अर्थ है, जहां प्राधिकरण ने कुछ समय के लिए किसी दूरसंचार सेवा अथवा उसके भाग के लिए प्रशुल्क नियतन करना छोड़ दिया हो तथा सेवा प्रदाता के पास ऐसी दूरसंचार सेवाओं के लिए कोई भी प्रशुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।

5. दिनांक 01 अप्रैल, 1999 से लागू प्राधिकरण के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ), 1999 को विनियामक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ता हितों को संरक्षण प्रदान करने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करने के एक अधिदेश के रूप में प्रयोग किया गया है। प्राधिकरण ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 से जुड़े कतिपय मुद्दों के संबंध में एक परामर्श दस्तावेज 15 मार्च, 2012 को जारी किया गया। यह सेवा प्रदाताओं के संघों द्वारा यथा अनुरोधित टॉपअप वाऊचरों की प्रोसेसिंग फीस की उच्चतम सीमा को 2/–रुपए से बढ़ाकर 3/–रुपए करने तथा टीसीपीआर 2012 के तहत अनुमत वाऊचरों की तीन श्रेणियों के अतिरिक्त वाऊचरों की एक चौथी श्रेणी (कोम्बो वाऊचर) अनुमत करने के संबंध में है, जैसाकि

सेवा प्रदाताओं के संघ ने एक अनुरोध किया गया हैं।

6. दूरसंचार उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने प्रशुल्क प्लानों का चयन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रशुल्क पेशकशों में और बेहतर पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने प्रशुल्क प्लानों के संरक्षण के संबंध में सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 16 जनवरी, 2012 को निदेश जारी किए, जिन्हें 3 अप्रैल, 2012 के निदेश के तहत संशोधित किया गया।

7. प्राधिकरण ने दिनांक 26 मार्च, 2012 के अपने निदेश के तहत अन्य बातों के अलावा सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निदेश दिए हैं कि उनके द्वारा प्रकाशित सभी विज्ञापन पारदर्शी तथा गैर–भ्रामक तथा सुस्पष्ट हों; उनमें समस्त महत्वपूर्ण जानकारी सुस्पष्ट तरीके से प्रकट की जाए; उनमें दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाता की वेबसाइट का पता तथा उपभोक्ता सेवा दूरभाष नम्बर हो; तथा स्थानीय भाषाओं में जारी विज्ञापनों में सभी आवश्यक प्रकटन, उसी स्थानीय भाषा में सन्निहित हों। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं को एक विज्ञापन रजिस्टर का अनुरक्षण करने का भी अधिदेश दिया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रशुल्क संबंधित विज्ञापनों का नमूना हो तथा उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा करने का निदेश दिया गया है कि वे निदेश के सभी पहलुओं का अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित है।

8. विद्यमान विनियामक ढांचे के अनुसार, प्रशुल्क ग्रामीण फिक्सड लाइन सेवाओं, राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं तथा लीज्ड सर्किटों को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के लिए नम्य हैं। विगत कुछ वर्षों में, दूरसंचार प्रशुल्क कम होने की ओर प्रवृत्त रहे हैं। तथापि, हालिया रूझान तथा साथ ही उद्योग से रिपोर्टें तथा विश्लेषण इस रूझान में संभावित प्रतिवर्तन का संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त, डाटा सेवाओं के लिए एक उपयुक्त प्रशुल्क ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि डाटा प्रयोग अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। इस संदर्भ में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रशुल्क नम्यता की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता की जांच करने का निर्णय लिया है।

9. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से खुदरा प्रशुल्कों की निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट देने की अपेक्षाओं के अनुसार, सेवा प्रदाता, कार्यान्वयन के सात दिन के अंदर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास प्रशुल्क रिपोर्ट फाइल करते हैं। इस आवश्यकता के अंतर्गत हजारों प्रशुल्क रिपोर्टें फाइल की जा रही हैं तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। यद्यपि, सेवा प्रदाताओं को यह आदेश दिया गया है कि वे स्वतः जांच के पश्चात ही प्रशुल्क लागू करें, तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा फाइल किए गए प्रशुल्कों के साथ ही साथ सेवा प्रदाताओं द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शित प्रशुल्कों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि ये विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुकूल हैं।

10. सभी प्रचालकों से तिमाही आधार पर आय/राजस्व व उपभोक्ताओं के आंकड़े प्राप्त करने के बाद, विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण के परिणाम, "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक" पर तिमाही

रिपोर्टों के माध्यम से प्रकाशित किए जा रहे हैं। ये आवधिक रिपोर्टें, देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास के रूझान पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराती हैं तथा विभिन्न हितधारकों के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करने के लिए दूरसंचार सेवाओं का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत कराती हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं व उनके संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों व शिकायतों के साथ ही साथ मीडिया रिपोर्टें, बाजार में प्रचलित प्रशुल्कों की विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ संभावित असंगति का संकेत भी देती हैं। इस संबंध में सुधारक उपायों का पता लगाने के लिए, इन शिकायतों की विस्तृत जांच की जाती है।

11. उपभोक्ता को लागत प्रभावी प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने समय–समय पर प्रशुल्क आदेशों के रूप में विनियामक रूपरेखा निर्धारित की है। गैर सीएएस क्षेत्रों, अधिसूचित सीएएस क्षेत्रों में तथा डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी इत्यादि जैसे एड्रेसेबल मंचों के लिए प्रशुल्क भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी संबंधित प्रशुल्क आदेशों द्वारा शासित होते हैं। प्रसारण क्षेत्र में एआरपीयू विगत कुछ वर्षों में लगभग 160/–रुपए प्रतिमाह पर एक समान रहा है। तथापि, डीटीएच प्रचालक वर्धनात्मक रूप से मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस), इंटर एक्टिव सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं, जिनमें मांग पर मूवी, खेल, खरीदारी इत्यादि शामिल हैं। एड्रेसेबल डिजिटल केबल टीवी प्रणालियों के क्रियान्वयन के साथ ऐसा रूझान केबल टीवी क्षेत्र में भी प्रतिवलित हो जाएगा।

12. डीटीएच क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक घटनाक्रम एसटीबी की लागत में सुस्थिर गिरावट का होना है। विगत चार वर्षों में एसटीबी की लागत 4000/–रुपए के औसत से गिरकर लगभग 1000/–रुपए हो गई है तथा इस रूझान के जारी रहने की संभावना हैं। इसके कारण, इस क्षेत्र में एक समय अत्यधिक इलाईट मानी जाने वाली सेवा, अब आम आदमी के लिए काफी वहनीय बन गई है।

13. एड्रेसेबल मंचों के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दिनांक 21 जुलाई, 2010 के प्रशुल्क आदेश में थोक के साथ–साथ खुदरा स्तरों पर ए–ला–कार्टे रूप में पे–चैनलों की पेश करना अधिदेशित किया है। इसके अतिरिक्त, थोक मूल्य निर्धारण पर एक उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया है। थोक तथा खुदरा स्तरों पर इन प्रावधानों के साथ एक ऐसा रूझान उभरने की संभावना है, जहां अभिदान पैटर्न सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित पैटर्न के बजाए उपभोक्ता विशिष्ट हो। बाजार में पहले ही यह अवलोकन किया गया है कि 150/– रुपए की न्यूनतम अभिदान राशि के अधिकतम के अंतर्गत, जो उक्त प्रशुल्क आदेश के अनुसार कोई प्रचालक निर्धारित कर सकता है, अधिकांश प्रचालक, पहले ही विभिन्न मासिक पैकेजों की पेशकश कर रहे हैं, जो प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता 132 चैनलों के लिए 90 रुपए प्रति माह से लेकर 186 चैनल पैक के लिए 150/– रुपए प्रतिमाह, प्रति उपभोक्ता के बीच है। उल्लेखनीय रूप से इन पैकेजों में भी काफी अधिक संख्या में पे–चैनल शामिल हैं। इससे उपभोक्ताओं को चैनलों के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं।

14. डिजिटल एड्रेसेबल केबल प्रणालियों के क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा की घोषणा कर दी गई है। यह आशा है कि बहुल–डिजिटल एड्रेसेबल मंचों की उपलब्धता के साथ उपभोक्ता और भी सशक्त हो जाएंगे। उपभोक्ता के पास मंचों तथा साथ ही सेवाओं यथा एचडी, 3डी, चैनल ट्रिप्ल प्ले के अर्थ में कहीं अधिक विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे, जिनमें चुनने के लिए काफी अधिक संख्या में टीवी चैनलों के अतिरिक्त ब्रॉडबैड तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं तथा इंटरएक्टिव सेवाएं शामिल होंगी। इससे इस क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी, जिससे युक्तिसंगत दरों पर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होने की आशा है।

ख) (i) नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश की जरूरत व समय (ii) नए सेवा प्रदाता को लाइसेंस प्रदान करने की निबंधन व शर्तें और (iii) लाइसेंस की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लाइसेंस के प्रतिसंहरण (रीवोकेशन) पर सिफारिशें

15. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (क) के अंतर्गत प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वह या तो स्वयं अपनी ओर से अथवा अनुज्ञप्तिदाता (लाइसेंसप्रदाता) अर्थात् प्रसारण व केबल सेवाओं के मामले में दूरसंचार विभाग या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से अनुरोध पर सिफारिशें दे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान दी गई सिफारिशें नीचे दी गई हैं:–

(i) दूरसंचार अवसंरचना नीति से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें।

(ii) ''दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति'' से संबंधित दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें।

(iii) हरित दूरसंचार की ओर दृष्टिकोण के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें।

(iv) ''राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना'' के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के संदर्भ के बारे में दिनांक 04 मई, 2011 की सिफारिशें।

(v) प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमाओं के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 2011 के संदर्भ पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की दिनांक 03 जून, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

(vi) यूएएस लाइसेंसधारकों की दिनांक 14 जुलाई, 2011 की रोल–आऊट देयताओं के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के विचारों/सिफारिशों पर पुनर्विचार।

(vii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंस प्रदान करने की रूपरेखा के संबंध में 03 नवम्बर, 2011 की सिफारिशें – दूरसंचार संदर्भ संख्या 20–281/2010–एएस–1(खंड–II) (भाग) दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के संबंध में प्राधिकरण की अनुक्रिया।

(viii) ग्रामीण डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों (आर–डीईएल) के लिए वर्तमान आर्थिक

सहायता की समाप्ति पर दिनांक 05 मार्च, 2012 को यूएसओ निधि से सहायता प्रदान किया जाना।

16. इस रिपोर्ट के भाग–II में, इन सिफारिशों के ब्यौरों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

(ग) तकनीकी अनुरूपता तथा प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करना

17. सभी नेटवर्कों में अबाध दूरसंचार सुकर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न नेटवर्कों में अंतःसंयोजन हो। लाइसेंस की शर्त में यह भी विहित किया गया है कि सभी एक्सेस प्रदाता परस्पर एक दूसरे के साथ तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी प्रचालक नेटवर्कों के साथ अंतःसंयोजित हों।

18. अंतःसंयोजन दूरसंचार की जीवन–रेखा है। अंतःसंयोजन एक सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्कों को अन्य सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं, सेवाओं और नेटवर्कों द्वारा एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) वे प्रभार हैं, जो एक दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा कॉल के प्रारंभन, समापन अथवा पारवहन/वहन करने के लिए, दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क का प्रयोग करने के लिए उसे देय होते हैं।

(घ) दूरसंचार सेवा प्रदान करने से प्राप्त, अपनी आय की साझेदारी के बारे में सेवा प्रदाताओं में विनियामक व्यवस्था

19. प्राधिकरण ने ''अंतः संयोजन प्रयोग प्रभारों की समीक्षा'' संबंधी एक परामर्श पत्र 27 अप्रैल, 2011 को जारी किया था। इस परामर्श दस्तावेज के जरिए सार्वजनिक परामर्श द्वारा अंतःसंयोजन प्रयोग प्रभार के संघटक नियत करने के विभिन्न मापदंडों पर हितधारकों के विचार मांगे गए थे। अन्य बातों के साथ–साथ हितधारकों द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत विभिन्न निविष्टियों, जिनमें परामर्श प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रदत्त टिप्पणियां तथा प्रति–टिप्पणियां, लेखाकरण पृथक्करण रिपोर्टें, तिमाही ट्रैफिक डाटा शामिल थे, के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित आईयूसी अपील में 29 जुलाई, 2011 के उनके आदेश के अनुपालन में 31 अक्तूबर, 2011 को दायर किया गया था।

(च) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय एवं लंबी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि

20. पारदर्शिता, पूर्वानुमानिता तथा युक्तिसंगतता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराने तथा गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से डीएलसी/लोकल लीड के प्रावधान की अनुमति देने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 14 सितम्बर, 2007 को डीएलसी विनियम जारी किए। इन विनियमों में, किसी भी माध्यम से अर्थात कॉपर, फाइबर, वायरलैस आदि पर तथा ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उपलब्ध कराए गए डीएलसी और स्थानीय लीड शामिल हैं। ये विनियम सभी सेवा प्रदाताओं, जिनके पास कॉपर, फाइबर अथवा वायरलैस की क्षमता है तथा जिन्हें डीएलसी प्रदान करने के लिए लाइसेंस के तहत अनुमति प्रदान की गई है, के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वे इसकी साझेदारी, अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ करें। प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण से यह पता चला है कि डीएलसी विनियमों के जारी करने के बाद से डीएलसी/स्थानीय लीडों का प्रावधान सरल व कारगर हो गया है।

(छ) लाइसेंस की निबंधन व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

21. यह कार्य, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा बहु–चरणीय दृष्टिकोण से किया जाता है। इनमें से एक दृष्टिकोण, सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण के माध्यम से पूरा किया जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण की उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों, विशेषज्ञों आदि से प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीडबैक)/अभ्यावेदनों के माध्यम से पूर्ति की जाती है। कतिपय मामलों में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी पहल पर लाइसेंस की निबंधन व शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

(i) ''संविदात्मक बाध्यता'' तथा ''बकाया भुगतान देयताएं'' के आधार पर पोर्टिंग के लिए अनुरोध के निरसनों के संबंध में निदेश दिनांक 24 मई, 2011

(ii) मैसर्स वोडाफोन द्वारा ''संविदात्मक बाध्यता'' के आधार पर पोर्टिंग हेतु अनुरोध के निरसनों के संबंध में निदेश दिनांक 4 नवम्बर, 2011

(iii) दाता प्रचालकों द्वारा एमएनपी अनुरोध के निरसन/वापस लिए जाने के संबंध में निदेश दिनांक 21 फरवरी, 2012

(ज) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु की गई पहलें/उठाए गए कदम

22. बेसिक, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित जानकारी की प्रामाणिकता की जांच करने तथा सेवा की गुणवत्ता के बारे में ग्राहक अवधारणा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने स्वतंत्र एजेंसियों नामतः मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, मैसर्स वॉयस, मैसर्स टीसीआईएल तथा मैसर्स मार्केट प्लस को निम्न कार्य के संचालन हेतु नियोजित किया (1) बेसिक, सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन तथा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता का वस्तुनिष्ठ आकलन करने के लिए; तथा (2) सेवा के संबंध में उपभोक्ता अवधारणा का आकलन करने तथा साथ ही दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण विनियम, 2007 के क्रियान्वयन एवं प्रभावात्मकता का आकलन करने के लिए आंचलिक आधार पर विषयपरक उपभोक्ता संतुष्टि का विश्लेषण करने के लिए। इन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को हितधारकों के सूचनार्थ, भारतीय दूरसंचार विनियामक अभिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है तथा लेखापरीक्षा/सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप उत्पन्न चिंता के मामले सेवा प्रदाताओं के साथ उठाए जाते हैं। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए निम्न विनियम भी अधिसूचित किए :–

(i) दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम 2012 दिनांक 05 जनवरी, 2012

(ii) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (2012 का 2) दिनांक 06 जनवरी, 2012

23. वर्ष 2011–12 के दौरान प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करने के लिए तथा उनके क्षमता निर्माण के लिए की गई विभिन्न कार्रवाईयों के बारे में उपभोक्ता

समर्थक समूहों (सीएजी) को जागरूक करने के लिए इसके द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं तथा बैठकों का आयोजन किया गया। प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान जिला/ब्लॉक स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करने को भी अनुमोदित कर दिया है। कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(क) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का निम्नानुसार आरंभ करते हुए क्षेत्रवार आयोजन किया गया।

कार्यशाला	स्थल	तिथि
प्रथम	हैदराबाद	13.5.2011
द्वितीय	नागपुर	1.8.2011
तृतीय	रांची	23.9.2011
चौथी	आइजोल	3.11.2011
पांचवीं	जयपुर	26.12.2011
छठी	गुवाहाटी	30.1.2012
सातवीं	गोवा	16.2.2012
आठवीं	तिरूवनंतपुरम	27.2.2012

(ख) विभिन्न दूरसंचार उपभोक्ता केन्द्रित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, दिनांक 27 मई, 2011 को शिमला में सभी

दिनांक 27 मई, 2011 को शिमला में आयोजित उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) की अर्धवार्षिक बैठक में प्राधिकरण, अधिकारी एवं प्रतिभागीगण।

उपभोक्ता समर्थक समूहों(सीएजी) की बैठक का आयोजन किया गया।

(ग) 26 सीएजी के लिए 231 जिला/ब्लॉक स्तरीय उपभोक्ता शिक्षा कार्यशालाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से उन्होंने देश भर के विभिन्न जिलों/ब्लॉकों में 194 कार्यशालाएं आयोजित कर ली हैं।

24. वर्ष 2011–12 के दौरान भी प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों/पहलों तथा अन्य घटनाक्रमों को संसूचित करते हुए, मासिक न्यूज़लेटर सभी सीएजी को परिचालित किए जाते रहे।

25. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए समय–समय पर कई विनियम और आदेश जारी किए जाते हैं। प्राधिकरण ने समस्त हितधारकों की जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण विनियमों, निदेशों और आदेशों की एक पुस्तिका/हैंडबुक का संकलन किया है तथा इसका अद्यतित संकलन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(झ) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम ताकि ऐसी सेवाओं का विकास किया जा सके

26. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सदैव ही ऐसी नीतियां स्थापित करने का प्रयास किया है, जो समसामयिक विकास के अनुरूप और सरल–सहज व व्यावहारिक हों। इनका प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, राजस्व/आय तथा उपभोक्ता कल्याण पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा है। यह इस तथ्य के प्रति सतर्क है कि उपयुक्त व्यापारिक कार्य–नीतियां तैयार करने, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक निश्चितता महत्वपूर्ण है और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अभिनवता के लाभ प्राप्त होते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने गंभीरता के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को सुकर बनाने के लिए कार्य किया है। सिफारिशों/विनियमों/प्रशुल्क आदेशों/निदेशों आदि के रूप में किए गए उपाय, उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

27. दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए हैं:–

(i) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण ग्राहक अधिमान विनियम, 2010 जो 27 सितम्बर, 2011 से प्रवृत्त हुआ।

(ii) दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012 दिनांक 05 जनवरी, 2012

(iii) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 दिनांक 06 जनवरी, 2012

28. इस रिपोर्ट के भाग–2 में, इन विनियमों के विवरणों पर चर्चा की गई है ।

(ट) ऐसी अमुक सेवाओं के संबंध में शुल्क व अन्य प्रभारों की ऐसी दरों पर उगाही, जैसी कि विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएं

29. इस अवधि के दौरान, संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों का निर्णय करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने 15 मार्च, 2012 को ''दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 से जुड़े कतिपय मुद्दे'' के संबंध

में एक परामर्श पत्र जारी करके हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की।

30. उक्त परामर्श पत्र में प्रशासनिक तथा प्रोसेसिंग शुल्क पर उच्चतम सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर निम्न विशिष्ट प्रश्न उठाए गए थे :–

- क्या सेवा प्रदाता संघों द्वारा यथा अनुरोधित टॉपअप वाऊचरों पर प्रोसेसिंग शुल्क संबंधी उच्चतम सीमा को 2/– रुपए से बढ़ाकर 3/– रुपए करने के लिए पर्याप्त औचित्य है?

- यदि हां, तो क्या प्रोसेसिंग शुल्क में उक्त वृद्धि केवल पेपर वाऊचर के संबध में ही अनुमत की जानी चाहिए?

(ठ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) के प्रभावशाली अनुपालन के लिए उठाए गए कदम

31. अप्रैल, 2011 में जारी ''दूरसंचार अवसंरचना नीति से जुड़े मुद्दों पर सिफारिशों'' में की गई, अपनी सिफारिशों में प्राधिकरण ने अनुशंसा की है :–

क. भविष्य में, यूएसओ निधि का अनुप्रयोग निम्न तक सीमित होगा :–

(i) 500 से कम की आबादी वाले आवास स्थलों में दूरसंचार सुविधा की व्यवस्था करने के लिए; तथा

(ii) जिला से ब्लॉक मुख्यालय तथा ब्लॉक मुख्यालयों से ग्रामों तक ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाने के लिए ताकि ब्रॉडबैंड की व्यवस्था हेतु बैकहॉल बैंड विड्थ अपेक्षा को पूरा किया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संवृद्धि सुकर हो सके।

(iii) कोई अन्य प्रयोग, यदि किसी वचनबद्धता पर पहले ही सहमति हो चुकी है।

ख. ई–स्वास्थ्य, ई–बैंकिंग, ई–वाणिज्य, ई–शिक्षा, ई–अभिशासन, ई–मनोरंजन इत्यादि जैसे अनुप्रयोगों का विकास किया जाना तथा उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के समनुरूप बनाया जाना आवश्यक है।

ग. ग्रामीण क्षेत्रों में टावरों तथा संबंधित उपकरण की संस्थापना स्थानीय आबादी तथा कुछ सीमा तक व्यवसाय संगठनों के प्रयोजनों की पूर्ति करती है। अतः दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टावर लगाने के लिए भूमि के रूपांतरण (लगभग 400 वर्ग मीटर भूमि) की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(ड) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में तथा दूरसंचार उद्योग से संबंधित किसी अन्य सामान्य प्रासंगिक मामले में केन्द्रीय सरकार को प्रदान की गई सलाह के विवरण

32. दूरसंचार और प्रसारण केबल क्षेत्रों के विकास के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को दी गई सलाह के विवरण नीचे दिए गए हैं:–

(i) दूरसंचार अवसंरचना नीति से जुड़े मामलों के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें।

(ii) दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें।

(iii) हरित दूरसंचार की ओर दृष्टिकोण के संबंध में दिनांक 12 अप्रैल, 2011 की सिफारिशें।

(iv) ''राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना'' के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के संदर्भ के बारे में दिनांक 04 मई, 2011 की सिफारिशें।

(v) प्रसारण क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश सीमाओं के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 2011 के संदर्भ पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की दिनांक 03 जून, 2011 की संशोधित सिफारिशें।

(vi) यूएएस लाइसेंसधारकों की दिनांक 14 जुलाई, 2011 की रोल–आऊट देयताओं के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के विचारों/सिफारिशों पर पुनर्विचार।

(vii) स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंस प्रदान करने की रूपरेखा के संबंध में 3 नवम्बर, 2011 की सिफारिशें – दूरसंचार संदर्भ संख्या 20–281/2010–एएस–1(खंड–II) (भाग) दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के संबंध में प्राधिकरण की अनुक्रिया।

(viii) ग्रामीण डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों (आर–डीईएल) के लिए वर्तमान आर्थिक सहायता की समाप्ति पर दिनांक 05 मार्च, 2012 को यूएसओ निधि से सहायता प्रदान किया जाना।

33. इन सिफारिशों के ब्यौरे, रिपोर्ट के भाग–II में दिए गए हैं।

(ढ) सेवा की गुणवत्ता का अनुवीक्षण तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए संवर्धनात्मक सर्वेक्षणों का विवरण

34. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा बेसिक और सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं का अनुवीक्षण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों से तुलना करके उक्त निदेशों के अनुसरण में सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन अनुवीक्षण रिपोर्टों (पीएमआर) के माध्यम से किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) से प्राप्त मासिक रिपोर्टों के जरिए पीओआई संकुलन का अनुवीक्षण भी किया जाता है। सेवा गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन में सुधार लाने हेतु उनके साथ अनुवर्तन बैठकें भी की गईं।

35. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2006 को जारी ब्रॉडबैंड की सेवा गुणवत्ता विनियम के माध्यम से निर्दिष्ट मानकों की तुलना में सेवा प्रदाताओं की ब्रॉडबैंड सेवा के निष्पादन का अनुवीक्षण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है ताकि सेवा गुणवत्ता मानकों के संबंध में उनके निष्पादन का आकलन किया जा सके। जहां कहीं भी सेवा मानकों की पूर्ति में कमियां

संज्ञान में आती हैं, वहां उस मामले को एक समयबद्ध आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सेवा प्रदाता के साथ उठाया जाता है।

36. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिसम्बर 2001 में डायल–अप तथा लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस की सेवा गुणवत्ता पर विनियम जारी किए थे, जिसमें इंटरनेट डायल–अप एक्सेस के लिए मानक निर्धारित किए गए थे। इन्हें आईएसपी द्वारा 6 माह के भीतर प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। तद्नुसार, आईएसपी के लिए सेवा गुणवत्ता विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को आईएसपी से तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं तथा सेवा गुणवत्ता मानकों के संबंध में उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है।

37. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई पर संकुलन (कंजेशन) के स्तर की मासिक आधार पर निगरानी कर रहा है। यह मापदण्ड उस सहजता को इंगित करता है, जिसके द्वारा किसी एक नेटवर्क का उपभोक्ता किसी अन्य नेटवर्क के उपभोक्ता के साथ संपर्क स्थापित करने में समर्थ होता है। यह मापदण्ड यह भी प्रतिबिंबित करता है कि दो नेटवर्कों के बीच अंतःसंयोजन कितना प्रभावी है। इस मापदण्ड के लिए सेवा गुणवत्ता विनियमों में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित मानक <0.5 प्रतिशत है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सेवा गुणवत्ता मानकों के संबंध में बेसिक तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के निष्पादन का आकलन करने के लिए उनसे मासिक पीओआई संकुलन रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

भाग-IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन

क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन

1. इस भाग में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामलों पर और विशेष रूप से संगठन, वित्त–पोषण, मानव संसाधन, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण और संगोष्ठी के क्षेत्र शामिल हैं, और कुछ सामान्य मामलों से संबंधित विस्तृत सूचना निम्नांकित पैराग्राफों में दी गई है।

(क) संगठन

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) उपर्युक्त नाम द्वारा निगमित एक निकाय है, जिसके पास उत्तरोत्तर उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा है, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन चल एवं अचल, दोनों ही प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने व निपटान करने तथा उसका अनुबंध करने की शक्ति प्राप्त है तथा वह उक्त नाम से वाद कर सकेगा अथवा उस पर वाद किया जा सकेगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना दिनांक

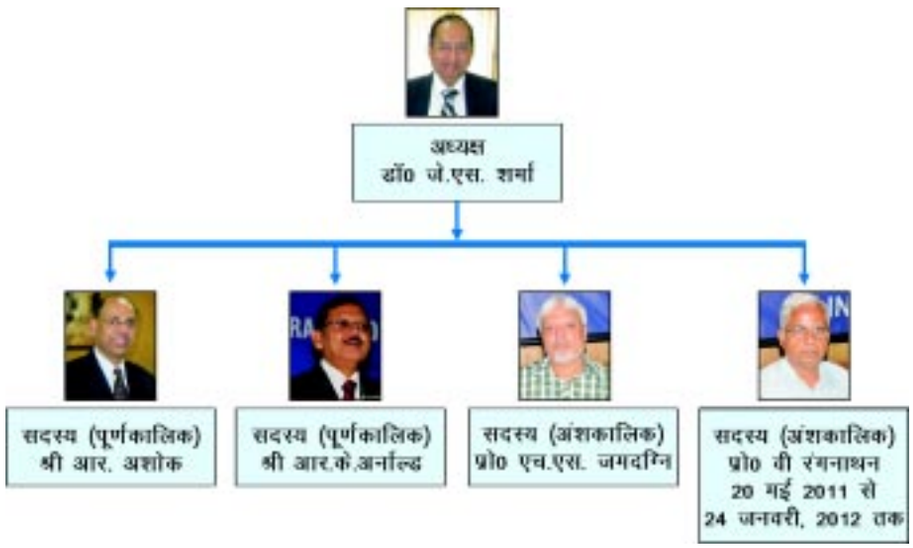

28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। अब प्राधिकरण में शामिल हैं – एक अध्यक्ष तथा अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण का गठन निम्नवत है :–

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का सचिवालय

3. प्राधिकरण का सचिवालय, सचिव के अंतर्गत कार्य करता है और उसकी सहायता के लिए तेरह प्रभाग प्रमुख होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:–

(i) प्रशासन व मानव संसाधन (एचआर) एवं विनियामक प्रवर्तन (आरई); (ii) ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण; (iii) प्रसारण एवं केबल सेवाएं; (iv) प्रसारण एवं नीति विश्लेषण; (v) उपभोक्ता मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध; (vi) आर्थिक विनियमन; (vii) वित्त विश्लेषण एवं आंतरिक वित्त; (viii) अंतःसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क; (ix) विधि मामले; (x) मोबाइल नेटवर्क; (xi) मोबाइल स्पेक्ट्रम; (xii) सेवा गुणवत्ता; (xiii) प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान एवं विश्लेषण।

प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं विनियामक प्रवर्तन प्रभाग

4. प्रशासन और मानव संसाधन प्रबंधन व विनियामक प्रवर्तन प्रभाग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में मानव संसाधन विकास की योजना और नियंत्रण के साथ–साथ, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी समस्त विनियमों/निदेशों/आदेशों के प्रवर्तन सहित समस्त प्रशासनिक व कार्मिक प्रकार्यों के लिए उत्तरदायी होगा । प्रशासन, मानव संसाधन प्रबंधन व विनियामक प्रवर्तन प्रभाग पर, सामान्य प्रशासन अनुभाग, जन सम्पर्क अनुभाग, विनियामक प्रवर्तन अनुभाग, राजभाषा अनुभाग, एम0आर0 अनुभाग और सूचना का अधिकार अनुभाग के प्रबंधन व इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व है। विनियमन प्रवर्तन के मोर्चे पर, यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी समस्त विनियमों/निदेशों/आदेशों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है ।

ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण (बीबी एंड पीए) प्रभाग

5. ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण प्रभाग, दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अभिसरण से संबंधित तकनीकी मुद्दों के निपटान के लिए उत्तरदायी होगा । यह प्रभाग ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, इंटरनेट टेलीफोनी और वीओआईपी, आईपीवी6, आईपीटीवी से संबंधित मुद्दों का निपटान करता है तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के उपभोक्ताओं में वृद्धि के निष्पादन का, तिमाही व मासिक आधार पर अनुवीक्षण करता है। यह प्रभाग, सूचना प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना के निर्माण और रख–रखाव सहित कार्यालय की सूचना तकनीकी से संबंधित आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी है। इस प्रभाग द्वारा दूरसंचार से संबंधित विभिन्न नीतिगत मुद्दों का निपटान भी किया जाता है ।

प्रसारण एवं नीति विश्लेषण (बी एण्ड पीए) तथा प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एण्ड सीएस) प्रभाग

6. प्रसारण एवं केबल सेवाएं(बी एण्ड सीएस) प्रभाग का उत्तरदायित्व प्रसारण व केबल टी0वी0 क्षेत्र के लिए समग्र नियामक ढांचे का निर्धारण करना, अंतःसंयोजन, सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ के पहलू सम्मिलित करते हुए सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावशाली अंतःसंयोजन सुनिश्चित करना, सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता व प्रशुल्क मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा सेक्टर के लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। प्रसारण व केबल सेवा प्रभाग, प्रसारण व केबल टीवी सेक्टर के आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने और उनके संबंध में सिफारिशे देने, निर्धारित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार शिकायतों की निगरानी व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने, नई प्रसारण व केबल टी0वी0 सेवाओं को प्रारम्भ करने के मामलों की जांच करने व सिफारिशों के प्रस्ताव बनाने तथा उद्योग के समस्त हितधारकों के हितों के संरक्षण के उपाय करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

उपभोक्ता मामले(सीए) एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आईआर) प्रभाग

7. उपभोक्ता मामलों का प्रभाग, दूरसंचार सेक्टर में उपभोक्ताओं के पक्ष में समर्थन विकसित करने और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न उपायों के संबंध में, उपभोक्ताओं में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। उपभोक्ता प्रभाग, संपूर्ण देश से उपभोक्ता संगठनों व गैर–सरकारी संगठनों के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के संबंध में, उनके साथ अन्योन्यक्रिया करता है। उपभोक्ता मामलों के प्रभाग के अन्य कर्तव्यों में सम्मिलित है, देश के समस्त क्षेत्रों के उपभोक्ता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की जिला और ब्लॉक स्तर पर उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने में सहायता करना तथा उपभोक्ताओं की सामान्य शिकायतों का निपटान करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध(आईआर) प्रभाग द्वारा समस्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी), विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी), आर्थिक सहयोग व विकास संगठन (ओईसीडी) तथा अन्य देशों के विनियामक निकायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किया जाता है।

आर्थिक विनियमन (ईआर) प्रभाग

8 आर्थिक विनियमन प्रभाग, प्राधिकरण को समय–समय पर दूरसंचार सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रशुल्क नीति तैयार करने, भारत में ऐसी विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क का नियतन करने के लिए उत्तरदायी है, जो प्रशुल्क विनियमन के अधीन हैं, जिनमें शामिल हैं घरेलू लीज्ड सर्किटों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट लीज्ड सर्किटों और सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं में राष्ट्रीय रोमिंग के लिए प्रशुल्क। आर्थिक विनियमन प्रभाग प्राधिकरण को लागत आधारित अंतःसंयोजन प्रभारों के निर्धारण से संबंधित

मामलों पर तथा भारत में दूरसंचार सेवाओं के बाजार में विभिन्न सेगमेंटों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों पर भी परामर्श देता है। यह प्रभाग "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतन रिपोर्ट" का भी संकलन करता है तथा इसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है।

वित्त विश्लेषण (एफए) एवं आंतरिक वित्त सलाह (आईएफए) प्रभाग

9. वित्त विश्लेषण (एफए) एवं आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफए), दूरसंचार सेवाओं की लागत क्रियाविधियों तथा लागतों से संबंधित सभी पहलुओं, लेखांकन पृथकीकरण, और सेवा प्रदाताओं के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। प्रधान सलाहकार (एफए) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आंतरिक वित्तीय सलाहकार भी हैं तथा वे सभी वित्तीय मामलों, आय एवं व्यय लेखों, वित्तीय लेखापरीक्षा तथा वित्तीय संव्यवहारों की छानबीन से संबंधित मामलों पर प्राधिकरण को सलाह देते हैं।

अंतःसंयोजन एवं स्थिर नेटवर्क (आई एण्ड एफएन) प्रभाग

10. आई एण्ड एफएन प्रभाग अंतःसंयोजन के लिए निबंधन और शर्ते निर्धारित करने, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने, अंतःसंयोजन प्रयोग के प्रभार(आईयूसी) का निर्धारण करने सहित, अंतःसंयोजन से संबंधित सभी मुद्दों का निपटान करने और उसके बाद इनकी नियमित समीक्षा करने, ऑप्टिकल एक्सेस मुद्दों व केबिल लैडिंग स्टेशन से संबंधित एक्सेस प्रभारों से संबंधित मुद्दों के लिए उत्तरदायी है। अंतःसंयोजन व स्थिर नेटवर्क प्रभाग, बुनियादी (बेसिक) राष्ट्रीय सुदूर (एनएलडी) और अंतर्राष्ट्रीय सुदूर (आईएलडी) लाइसेंसों की शर्तों और साथ ही साथ प्रभाग द्वारा जारी विनियमों/निदेशों/आदेशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

विधि प्रभाग

11. विधि प्रभाग, सभी विनियामक मामलों पर प्राधिकरण को विधिक सलाह प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग उन सभी वादों से संबंधित मामलों का प्रबंधन करता है, जिनमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक पक्ष होता है।

मोबाइल नेटवर्क (एमएन) प्रभाग

12. मोबाइल नेटवर्क प्रभाग मोबाइल प्रचालकों को जारी विभिन्न लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों के अनुपालन, मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) सहित बेतार सेवा के विविध मुद्दों/पहलुओं से संबंधित सिफारिशों, सार्वभौमिक सेवा दायित्वों से संबंधित मामलों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा दूरसंचार सेवाओं के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम के प्रभावी प्रबंधन करने मोबाइल सेवाओं से संबंधित तिमाही पीएमआर तैयार करने तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)/एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी (एपीटी) के अध्ययन समूहों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से संबंधित मामलों का निपटान करता है।

मोबाइल सेवा (एमएस) प्रभाग

13. मोबाइल सेवा प्रभाग, अन्य बातों के साथ–साथ, स्पेक्ट्रम का प्रबंधन करने, इसका कुशल उपयोग और इसमें सुधार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नई वायरलैस प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करने और उससे संबंधित विनियामक मुद्दों से संबंधित मामले भी देखता है।

सेवा गुणवत्ता(क्यूओएस) प्रभाग

14 सेवा गुणवत्ता प्रभाग, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करने के लिए उत्तरदायी है ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। सेवा गुणवत्ता प्रभाग अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर अनुरक्षित करने तथा ऐसे अन्य सभी मामलों का निपटान करने के लिए भी उत्तरदायी है जो विनियम में उपबंधित किए जाएं। सेवा गुणवत्ता प्रभाग रेडियो पेजिंग, पीएमआरटीएस तथा वीएसएटी सेवा से संबंधित मामलों का भी निपटान करता है।

प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान एवं विश्लेषण (टीडीआरए) प्रभाग

15. विनियामक अनुभव समय के साथ किस प्रकार विकसित होते हैं, पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी का गहरा प्रभाव पड़ता है। नए प्रकार के नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए एक प्रोत्साहन देने वाली विनियामक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जोकि लम्बे समय के लिए निश्चितता प्रदान करती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान व विश्लेषण प्रभाग, दूरसंचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की प्रवृत्तियों को समझने और उनकी पहचान करने, उनके उपयोग व संभावित उपयोगिता की पहचान करने के उद्देश्य से दूरसंचार में तकनीकी अनुसंधान के लिए क्षमता निर्माण करने का कार्य करता है ताकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, संचार बाजारों के विनियमन से सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं और नागरिकों को होने वाली उलझनों के संबंध में जानकारी प्राप्त करके, सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम हो सके। अनुसंधान के माध्यम से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार के क्षेत्र में, विशेषकर विभिन्न अवस्थाओं में अभिसरण में परिवर्तनों को संचालित करने वाले कारकों को समझने का प्रयास करेगा। विनियमों के कारण नए परिवर्तन तथा वे क्षेत्र जिनके लिए नई अथवा भिन्न विनियामक अथवा गैर–विनियामक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, विशेष महत्व के होंगे। प्रभाग द्वारा, एक मासिक प्रौद्योगिकी सार संग्रह, जिसमें आधुनिक अभिरूचि का स्पष्टतः विस्तृत विवरण होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ सर्वश्रेष्ठ लेखों के लिए, संदर्भ सामग्री के रूप में एक त्रैमासिक प्रौद्योगिकी जर्नल का प्रकाशन किया जाता है। प्रभाग द्वारा भावी पीढ़ी के नेटवर्क और मामलों का संचालन भी किया जाता है।

(ग) मानव संसाधन प्रबंधन

(i) भादूविप्रा की स्टाफ नफरी (31 मार्च, 2012 को)

16. 190 कर्मियों का स्टाफ (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार) सचिवालय में कार्य का निष्पादन कर रहा है, जो अपने कृत्यों के निर्वहन में इन्हें प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्यों का निपटान करता है। जब भी आवश्यक होता है, परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जाती हैं। परामर्शदाताओं को अस्थायी आधार पर स्थानांतरण या नियत कार्य आधार पर संलग्न किया जाता है।

17. दिनांक 31 मार्च, 2012 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्टाफ नफरी अगले पृष्ठ पर दी गई है।

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	वास्तविक
1.	सचिव	01	01
2.	प्रधान सलाहकार/सलाहकार	14	12
3.	संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	35	25
4.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
5.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	37	28
6.	प्रधान निजी सचिव	02	02
7.	तकनीकी अधिकारी	12	09
8.	अनुभाग अधिकारी	19	16
9.	निजी सचिव	14	07
10.	पुस्तकालाध्यक्ष	1	--
11.	सहायक	48	41
12.	वैयक्तिक सहायक	18	17
13.	आशुलिपिक 'घ'	01	--
14.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	--
15.	अवर श्रेणी लिपिक	07	06
16.	चालक	15	14
17.	पीसीएम प्रचालक	02	02
18.	डिस्पैच राइडर	01	01
19.	परिचारक	08	06
	कुल	**239**	**190**

सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार का विवरण

क्रम सं.	अधिकारी का नाम / धारित पद	
1.	श्री राजीव अग्रवाल सचिव	
2.	श्री आर0के0 मिश्रा प्रधान सलाहकार (प्रशा0, मासप्र0 एवं विप्र0)	

क्रम सं.	अधिकारी का नाम / धारित पद	
3.	श्री सुधीर गुप्ता प्रधान सलाहकार (मोबाइल नेटवर्क)	
4.	श्री लव गुप्ता प्रधान सलाहकार (प्रौद्योगिकी विकास)	

क्रम सं.	अधिकारी का नाम / धारित पद	
7.	श्रीमती अनुराधा मित्रा प्रधान सलाहकार (वित्त विश्लेषण एवं आंतरिक वित्त)	
6.	श्री एन0 परमेश्वरन प्रधान सलाहकार (उपभोक्ता मामले एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	
7.	श्री वसी अहमद सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं)	
8.	श्री राज कुमार उपाध्याय सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण)	
9.	श्री संजीव बांझल सलाहकार (मोबाइल नेटवर्क)	
10.	श्री अरविंद कुमार सलाहकार (अंतःसंयोजन एवं फिक्सड नेटवर्क)	
11.	अमित मोहन गोविल सलाहकार (विधि)	
12.	श्री राजपाल सलाहकार (आर्थिक विनियमन)	

क्रम सं.	अधिकारी का नाम / धारित पद	
13.	श्री ए. राबर्ट जेरार्ड रवि सलाहकार (सेवा गुणवत्ता)	

18. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में कार्मिकों को आरम्भ में सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। ये प्रतिनियुक्त व्यक्ति जोकि दूरसंचार, आर्थिक, वित्त, प्रशासन इत्यादि के क्षेत्र से संबंधित अनुभव रखते हैं, को आरम्भ में दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों को अनुरोध भेजा जाता है। विद्यमान प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया अक्सर जटिल सिद्ध होती है। एक ओर जहां प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र, परिधि एवं जटिलता में बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है, वहीं प्राधिकरण को विद्यमान प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों के उनके पैतृक विभाग में निरंतर प्रत्यावर्तन के कारण खोने की समस्या का लगातार सामना करना पड़ता है। अतः, प्राधिकरण ने, विशेषज्ञता, कार्यकुशलता एवं दक्षतायुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भादूविप्रा में स्थायी रूप से शामिल होने के विकल्प युक्त एक संवर्ग गठित किया है।

(ii) भर्ती

19. प्राधिकरण ने, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों के आमेलन से अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना संवर्ग गठित किया है। तथापि, अधिकांश प्रतिनियुक्त व्यक्ति, विशेषतः वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के

अधिकारियों द्वारा स्थायी आमेलन का विकल्प नहीं दिया जाता है। अतः, प्राधिकरण के सचिवालय हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी है। यह दो कारणों से है। प्रथम, प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले स्वतंत्र प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को वर्तमान पारिश्रमिक पैकेज आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। द्वितीय, सरकारी कर्मियों में से संबंधित विशेषज्ञ मुख्यतः मंत्रालयों या सरकार द्वारा शासित दूरसंचार प्रचालकों के पास उपलब्ध होते हैं। अतः प्राधिकरण को अनाकर्षक सेवा शर्तों के कारण विशेषज्ञ मानव शक्ति की भर्ती करने में बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं।

(iii) प्रशिक्षण

20. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को दूरसंचार एवं प्रसारण विशेषकर प्रशुल्कों व सेवा गुणवत्ता से संबंधित क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता संबंधी अन्य मामलों का सर्वेक्षण करने के लिए विशेषज्ञता और क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अपनी मानव संसाधन विकास पहल को अधिक महत्व देता है। यह पहल, परामर्श पत्र तैयार करने व उस पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने तथा खुला मंच (ओपन हाउस) चर्चाओं का आयोजन करने के जरिए प्राधिकरण के लिए परामर्श प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने में इसके अधिकारियों और स्टाफ के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। इससे दूरसंचार क्षेत्र का नियमन करने में उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों का निराकरण करने के लिए नीतिगत ढांचा विकसित करने में भी सहायता मिली है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन व कार्यशालाओं की रूपरेखा तैयार करते समय, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का प्रयास होगा, नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित, वृहत स्तर पर नीति निर्धारण करना और व्यापक तकनीकी–आर्थिक परिचालन विवरणों का संचालन करने के लिए, विविध कौशल प्रदान करना। चूंकि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ स्टाफ के नियत कार्यों की विविध व विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए, विशेष कार्यक्रम की पहचान करने व उनकी रूपरेखा बनाने की जरूरत है, अतः, प्राधिकरण कई संस्थानों और संगठनों जैसे कि, भारतीय प्रबंधन संस्थान(आईआईएम), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद(एनपीसी), सचिवालय एवं प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान(आईएसटीएम), एडवांस लेवल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र(एएलटीटीसी) इत्यादि, के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा संगठन के भीतर अपनी विशेषज्ञता को और अधिक विकसित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उन्हें, "संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना" के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

21. वर्ष के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अधिकारियों ने मूल्यवान जानकारी प्राप्त की है तथा इन जानकारियों ने विनियामक कार्य के उनके संबंधित क्षेत्र में उनके कौशल में संवृद्धि की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 63 अधिकारियों/कार्मिकों को देश के भीतर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया।

22. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की घरेलू

प्रणाली भी विद्यमान है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञों को दूरसंचार क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियों के बारे में, इसके अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये वे कदम हैं जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए उठाए गए हैं।

(घ) संगोष्ठी/कार्यशालाएं

23. समूचे विश्व में हो रहे विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने अपने कर्मियों को, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की जानकारी हासिल करने तथा अपनी स्वयं की नीति तैयार करने के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया/योगदान (फीडबैक/इनपुट) प्राप्त करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय

दिनांक 25 अगस्त, 2011 को नई दिल्ली में "भावी पीढ़ी नेटवर्क" विषय पर आयोजित सेमिनार का उद्घाटन करते हुए श्री आर0 चन्द्रशेखर, सचिव, दूरसंचार विभाग। इस अवसर पर प्राधिकरण, अधिकारी एवं अन्य प्रतिभागीगण भी उपस्थित थे।

दिनांक 15 सितम्बर, 2011 को हैदराबाद में "क्लाउड कम्प्यूटिंग" विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री ए0 राबर्ट जे0 रवि, सलाहकार, भादूविप्रा। इस अवसर पर प्राधिकरण, अधिकारी एवं अन्य प्रतिभागीगण भी उपस्थित थे।

समारोहों, बैठकों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए नामित किया। वर्ष 2011–12 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 संगोष्ठियों में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की प्रतिभागिता ने, न केवल उन मुद्दों, जो वर्तमान में भारत में, विनियमात्मक संबंधी चिंता का मुख्य विषय है, पर केन्द्रित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है, बल्कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से भी अवगत कराया है।

(च) कार्यालय आवास

24. भारत सरकार की नीति के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सरकारी पूल से कार्यालय के भवन हेतु पात्र कार्यालय है। लेकिन 1997 में इसकी शुरूआत से 'भादूविप्रा' किराए के भवन में कार्यरत है। विगत में 'भादूविप्रा' ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से अपना कार्यालय भवन प्राप्त करने हेतु जोरदार प्रयास किए थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण' दूरसंचार सेक्टर और

प्रसारण तथा केबल सेवा के मामलों में विनियमन हेतु एक स्वायत्त निकाय होने के कारण, अपने स्वायत्त स्वरूप को वास्तव में बनाए रखने के लिए इसे अपने कार्यालय भवन की आवश्यकता है। वर्तमान में 'भादूविप्रा' का कार्यालय किराया आधार पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के भवन में अवस्थित है।

(छ) भादूविप्रा के स्टाफ हेतु रिहायशी आवास

25. भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार इस प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को, प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए जाने वाले विशेष लाइसेंस फीस पर, सामान्य पूल का आवास रखने की अनुमति दी गई है जो कर्मचारियों से सामान्य लाइसेंस फीस की वसूली करता है। आवास रखने की अनुमत्य अवधि, कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की तारीख या प्राधिकरण में उनके प्रतिनियुक्ति पर रहने की अवधि, दोनों में से जो पहले हो, तक होगी। जनरल पूल के रिहायशी आवास के लिए आवंटन की पात्रता सम्पदा निदेशालय को ''भादूविप्रा'' द्वारा विशेष लाइसेंस फीस के भुगतान पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दिल्ली में प्राधिकरण के सचिवालय में पदस्थ उन अधिकारियों तक सीमित रहेगी, जोकि इस प्राधिकरण में आने से पूर्व सामान्य पूल के आवास आवंटन हेतु पात्र थे। अतः पूर्ववर्ती स्थिति के मद्देनजर, सम्पदा निदेशालय 'दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में आमेलन होने के बाद अधिकारियों और स्टाफ को न तो जनरल पूल का आवास आबंटित कर रहा है और न ही उन्हें पहले से आबंटित सामान्य पूल का आवास रखने की अनुमति दे रहा है।

(ज) वित्त–पोषण

26. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी निकाय है और इसका पूर्णतः वित्त–पोषण भारत की संचित निधि से प्राप्त अनुदान द्वारा होता है। वर्ष 2011–12 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण पर कुल व्यय लगभग 44.18 करोड़ रुपए (लगभग) था जिसमें से 6.75 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2011–12 के दौरान 'संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना' के अंतर्गत व्यय की गई, जिसमें कतिपय परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।

27. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का यह मत है कि एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, उसका वित्त–पोषण उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं से प्रशासनिक लागत के रूप में वसूल किए गए लाइसेंस शुल्क के एक छोटे भाग से होना चाहिए तथा इसे अपने कर्मचारियों की सेवा–शर्तों के निर्धारण में लचीली शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं, ताकि यह वरिष्ठ तथा अन्य स्तरों पर गैर–सरकारी स्रोतों से भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों/प्रोफेशनलों को भर्ती कर सके। यहां, यह उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक निकाय जैसे 'इर्डा' और 'सेबी' उसी क्षेत्र से वसूल किए गए शुल्क से वित्त–पोषित होते हैं, जिसे वे विनियमित करते हैं तथा इन प्राधिकरणों को, अपने कामकाज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार वसूली गई निधियों का उपयोग करने का लचीलापन प्राप्त है।

(झ) भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

28. प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 10 (दस) क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी दी है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति तथा उनके द्वारा कवर किए जाने वाले लाइसेंस–सेवा क्षेत्रों का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:–

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान	कवर किए गए लाइसेंस–सेवा क्षेत्र
1	कोलकाता	(i) पश्चिम बंगाल (ii) कोलकाता (iii) ओडीसा
2	पटना	(i) बिहार
3	लखनऊ	(i) उत्तर प्रदेश (पूर्व) (ii) उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
4	चंडीगढ़	(i) हिमाचल प्रदेश (ii) पंजाब (iii) जम्मू एवं कश्मीर
5	हैदराबाद	(i) आंध्र प्रदेश (ii) तमिलनाडु
6	भोपाल	(i) मध्य प्रदेश
7	बंगलुरु	(i) कर्नाटक (ii) केरल
8	मुम्बई	(i) महाराष्ट्र (ii) मुम्बई (iii) गुजरात
9	गुवाहाटी	(i) असम (ii) पूर्वोत्तर
10	जयपुर	(i) राजस्थान (ii) हरियाणा

29. उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) की भूमिका एवं कार्य निम्नलिखित हैं :–

(i) प्रशुल्कों से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं को खुदरा प्रशुल्क की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना;

(ii) विनियामक एवं विपणन पहलुओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं के साथ समुचित समन्वय करना;

(iii) सेवा गुणवत्ता की निगरानी करना तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करना;

(iv) भादूविप्रा को उपभोक्ता परामर्शी समूह (सीएजी) की बैठकें/खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित करना;

(v) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा लेखापरीक्षा एवं सर्वेक्षण का समन्वय एवं निगरानी करना;

vi) सीएजी का जिला/ब्लॉक स्तर पर विकास करना और सीएजी के साथ सघन अन्योन्यक्रिया करना;

(vii) उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करना;

(viii) दूरसंचार विभाग के टीईआरएम प्रकोष्ठ के साथ सघन अन्योन्यक्रिया करना;

(ix) मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) विनियमों एवं अवांछित वाणिज्यिक सम्प्रेषण (यूसीसी) विनिमयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना; और

(x) वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों सहित अन्य ऐसे कार्य करना जो भादूविप्रा मुख्यालय द्वारा उनको सौंपे गए हों या भादूविप्रा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए अनिवार्य हों।

(ण) सूचना का अधिकार अधिनियम

30. 12 अक्तूबर, 2005 से प्रभावी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण पर भी लागू होता है। तद्नुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के सामंजस्य में, प्राधिकरण ने भादूविप्रा में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी निर्दिष्ट किया है, जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रधान सलाहकार के स्तर के अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा वह सूचना जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है और यह जानकारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी गई है।

31. वर्ष 2011–12 के दौरान, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 603 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन सभी आवेदन पत्रों पर तत्काल कार्रवाई की गई और निर्धारित अवधि के अंदर उनका उत्तर दिया गया।

(ट) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन

32. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा दिसम्बर 2004 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्रदान किया गया था। इसका तीन वर्ष की वैधता अवधि के साथ वर्ष 2007 एवं 2010 में, दो बार नवीनीकरण किया गया । भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को आईएसओ मानकों की वर्तमान श्रृंखला आईएस/आईएसओ 9001:2008 नवम्बर, 2013 तक की वैध अवधि के लिए प्रदान की गई है । भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के क्रियान्वयन और प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए, बीआईएस ने दिसम्बर, 2004 से प्रतिवर्ष एक बार निगरानी लेखा परीक्षा तथा दो नवीकरणीय लेखापरीक्षाएं भी आयोजित की हैं। गुणवत्ता लेखापरीक्षकों ने क्यूएमएस कार्यकरण को संतोषजनक माना है तथा बीआईएस द्वारा जारी लाइसेंस को जारी रखने की सिफारिश की है।

33. तिमाही आधार पर आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षा संचालन ने भी प्रणाली में अनवरत सुधार सुनिश्चित किया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास इस उद्देश्य के लिए 53 आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षक हैं। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की सचिव द्वारा भी मासिक आधार पर और उच्च प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। अंतिम प्रबंधन समीक्षा बैठक का आयोजन दिसम्बर, 2011 में किया गया।

(ठ) भादूविप्रा का प्रतीक चिह्न (लोगो)

34. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए प्रतीक चिह्न (लोगो) को मार्च, 2012 में

अंतिम रूप दिया गया। इस लोगो का डिजाइन आईआईटी कानपुर के एक छात्र श्री हिमेश सिंह द्वारा तैयार किया गया था। इस लोगो में उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं को वृत्त (सर्कल) के रूप में दर्शाया गया है। भादूविप्रा को पट्टियों के रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये पट्टियां भादूविप्रा के मजबूत हाथों को दर्शाती हैं, जो उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की संरक्षा करते हैं।

(ङ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

35. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा इस विषय पर समय–समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सचिव के पर्यवेक्षण में राजभाषा अनुभाग कार्यरत है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के भादूविप्रा द्वारा सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी विनियम, प्रेस विज्ञप्तियां, निविदा सूचनाएं, राजपत्र, अधिसूचनाएं, तथा अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, तब यह विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

36. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सभी प्रभागों तथा अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति पर निगरानी प्रधान सलाहकार (प्रशा0, मा0सं0प्र0) एवं वि0प्र0 की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा, बैठकों में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा इस संबंध में भावी कार्यनीति तय की जाती है। राजभाषा से संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए समिति के सदस्यों से उनके बहुमूल्य सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 27 जून, 2011; 28 सितम्बर, 2011; 30 दिसम्बर, 2011 और 27 मार्च, 2012 को आयोजित की गईं।

37. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 01 से 14 सितम्बर, 2011 तक ''हिंदी पखवाड़ा'' आयोजित किया गया, जिसके दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध लेखन, कविता पाठ, भाषण, टिप्पण/प्रारूपण, नारा लेखन, वाद–विवाद आदि आयोजित की गईं। संयुक्त सलाहकार स्तर तक के अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर, 2011 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का संदेश अधिकारियों/कार्मिकों के मध्य परिचालित किया गया जिसमें उन्होंने राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अध्यक्ष,

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 22 सितम्बर, 2011 को आयोजित समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए। सरकारी कामकाज में हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने की भावना को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की दिशा में सितम्बर 2011 के दौरान मनाया गया ''हिंदी पखवाड़ा'' सफल सिद्ध हुआ।

38 सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, पिछले चार वर्ष से एक ''वार्षिक प्रोत्साहन योजना'' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, योजना की अवधि के दौरान अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना कार्मिकों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है तथा इसने स्टाफ को समूचे वर्ष उनका अधिकाधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

39. अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण लिखने में सहायता प्रदान करने तथा उन्हें संघ सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, प्रतिभागियों को शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावलियां, सहायक/संदर्भ पुस्तिकाएं आदि वितरित की जाती हैं, जो उन्हें उनका सरकारी कामकाज हिंदी में करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान करती हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 17 से 18 अगस्त, 2011 तथा 09 नवम्बर, 2011 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

40. द्विभाषी पत्रिका ''ट्राई दर्पण'' भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की प्रतिनिधिक गृह–पत्रिका है तथा इसे छमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान ट्राई दर्पण के दो अंकों (अंक 8 और 9) का प्रकाशन किया गया। इन अंकों की प्राधिकरण में तथा दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है।

ख) वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित लेखे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखे पर 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत

बयानी से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में शामिल है – परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा साथ ही वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आंकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

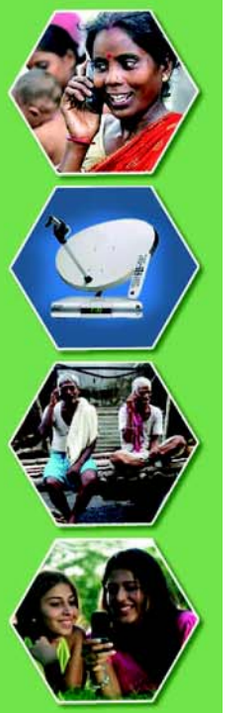

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं किः–

(i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय के लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत महालेखा–नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लेखाबहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :–

सहायता अनुदानः–

वर्ष के दौरान प्राप्त 38.79 करोड़ रु0 (पूर्व वर्ष के सहायता अनुदान में से अव्ययित 0.89 करोड़ रु0 (योजनेत्तर) की शेष राशि सहित) के सहायता अनुदान (योजनेत्तर) में से भादूविप्रा केवल 36.71 करोड़ रु0 की राशि (योजनेत्तर) का ही उपयोग कर सका, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2012 को उपयोग न किए गए अनुदान के रूप में 2.08 करोड़ रु0 (योजनेत्तर) की राशि शेष रह गई।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्राप्त 6.15 करोड़ रु0 के सहायता अनुदान (योजना) (जिसमें पिछले वर्ष के अनुदान (योजना) में से भादूविप्रा के पास पड़ी 0.15 करोड़ रु0 (योजना) की अव्ययित शेष राशि भी शामिल है) में से 31 मार्च, 2012 तक, भादूविप्रा केवल 5.50 करोड़ रु0(योजना) ही व्यय कर सका तथा 0.65 करोड़ रु0 (योजना) की राशि अव्ययित अनुदान के रूप में शेष रह गयी है ।

(v) पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार है।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण मामलों एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध–I** में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में

स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

(क) जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के व्यवसाय की स्थिति के दिनांक 31 मार्च, 2012 (योजना और योजनेत्तर दोनों) के तुलन पत्र से संबंधित है, और

(ख) जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखे (योजना और योजनेत्तर दोनों) से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रेवती बेदी)
महानिदेशक –लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 04 अक्तूबर, 2012

अनुलग्नक–I

(भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4(vi) में यथानिर्दिष्ट)

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:–

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:–

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है। परन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है (संगठन प्रमुख के बजाए वित्तीय विभाग के प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं) तथापि पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की आपत्ति के आधार पर, दिनांक 03/05/2012 से आंतरिक लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रभाग के प्रमुख की बजाए, सचिव, भादूविप्रा को रिपोर्ट करना, शुरू कर दिया गया है।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:–

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(3) अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:–

संगठन की अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(4) भण्डार के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:–

भण्डार के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(5) सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता:–

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य सांविधिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

<u>अस्वीकरण :–</u> "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
दिनांक 31.3.2012 को तुलन–पत्र

(राशि रु0 में)

	अनुसूची	योजनेत्तर		योजना	
		चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
कोष/पूंजीगत निधि	1	(4,30,03,291)	(2,10,72,360)	24,06,55,674	14,81,92,501
रिजर्व एवं अधिशेष	2				
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	3				
प्रतिभूत ऋण तथा उधार	4				
अप्रतिभूत ऋण तथा उधार	5				
आस्थगित ऋण देयताएं	6				
चालू देयताएं और प्रावधान	7	11,92,62,176	10,74,53,040	4,26,56,706	2,52,17,504
कुल		**7,62,58,885**	**8,63,80,680**	**28,33,12,380**	**17,34,10,005**
परिसंपत्तियां					
अचल परिसंपत्तियां	8	2,40,77,623	2,54,01,358	1,50,668	2,02,114
निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9				
निवेश–अन्य	10				
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	5,21,81,262	6,09,79,322	28,31,61,712	17,32,07,891
विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाली गई अथवा समायोजित न की गई)					
कुल		**7,62,58,885**	**8,63,80,680**	**28,33,12,380**	**17,34,10,005**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25				

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
दिनांक 31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

(राशि रु0 में)

	अनुसूची	योजनेत्तर		योजना	
		चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
आय					
बिक्री/सेवाओं से आय	12				
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	35,00,00,000	29,00,00,000	16,00,00,000	13,00,00,000
शुल्क/अंशदान	14				
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में से किए गए निवेश से हुई आय को निधियों में अंतरित)	15				
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16				
अर्जित ब्याज	17	4,67,929	3,17,827		
अन्य आय	18	19,242	1,67,385		
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) तथा निर्माणाधीन कार्य	19				
कुल (क)		**350487171.**	**29,04,85,212**	**16,00,00,000**	**13,00,00,000**
व्यय					
स्थापना व्यय	20	16,93,21,278	12,98,22,824		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	19,93,09,389	20,71,38,686	6,75,45,381	7,34,13,506
अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	22				
ब्याज	23				
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)		57,38,718	58,13,356	51,446	51,446
कुल (ख)		**37,43,69,385**	**34,27,74,866**	**6,75,96,827**	**7,34,64,952**

	अनुसूची	योजनेत्तर		योजना	
		चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
व्यय पर आय के अधिशेष के रूप में शेष (क–ख)					
विशेष रिजर्व को अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)					
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण					
अधिशेष/(घाटा) जो शेष था, कोष/पूंजीगत निधि में ले जाया गया		(2,38,82,214)	(5,22,89,654)	9,24,03,173	5,65,35,048
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25				

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31.3.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची–1–कोष/पूंजीगत निधि

(राशि रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	(2,10,72,360)	2,84,12,319	14,81,92,501	9,16,57,453
जोड़ें/घटाएं: कोष/पूंजीगत निधि में योगदान	19,51,283	2,804,975	60,000	
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खाते में अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष आय और व्यय लेखा	(2,38,82,214)	(5,22,89,654)	9,24,03,173	5,65,35,048
वर्ष की समाप्ति पर तुलन–पत्र	(4,30,03,291)	(2,10,72,360)	24,06,55,674	14,81,92,501

अनुसूची–2–रिजर्व और अधिशेष

(राशि रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1. पूंजी रिजर्व :	-		-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-		-
वर्ष के दौरान जमा	-		-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व :	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व :	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 3 – निधार्रित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रु0 में)

	निधिवार ब्यौरा				कुल			
					योजनेत्तर		योजना	
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
क) निधि का प्रारंभिक शेष								
ख) निधि में जमा राशियां								
i. दान/अनुदान								
ii. निधियों में से किए निवेश से आय								
iii. अन्य प्राप्तियां (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)								
योग (क+ख)								
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय								
i. **पूंजीगत व्यय**								
- अचल परिसंपत्तियां					शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अन्य								
कुल								
ii. **राजस्व व्यय**								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि								
- किराया								
- अन्य प्रशासनिक व्यय								
कुल								
योग (ग)								
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)								

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1. केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-
क) सावधी–ऋण	-	-	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
ख) अन्य–ऋण	-	-	-	-
- ब्याज प्रोद्भूत और देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि

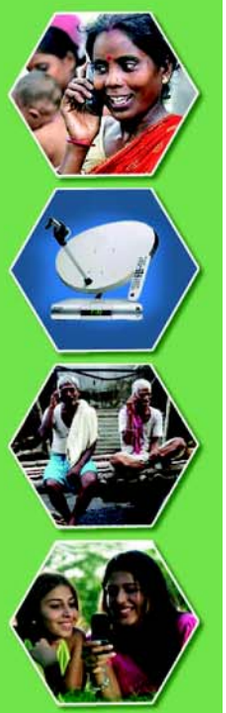

अनुसूची 5 – प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1. केन्द्रीय सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं		-		-
4. बैंक		-		-
क) सावधी–ऋण		-		-
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		-		-
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बॉण्ड		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
योग		-		-

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
क) पूंजीगत उपस्करों के गिरवी द्वारा ली गई स्वीकृति तथा अन्य परिसंपत्तियां	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-

टिप्पणी :– एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
क. चालू देयताएं				
1) स्वीकृतियां				
2) विविध ऋणदाता				
क) वस्तुओं के लिए				
ख) अन्य				
3) प्राप्त अग्रिम				
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:				
क) प्रतिभूत ऋण/उधार				
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार				
5) सांविधिक देयताएं				
क) बाकी				
ख) अन्य				
6) अन्य चालू देयताएं				
1) ट्राई सामान्य निधि के लिए	9,03,000	21,86,000	48,00,000	6,00,000
2) टेलीमार्केटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	96,000	6,70,000		
3) ग्राहक जागरूकता शुल्क के लिए	1,28,88,337	97,76,062		
4) टेलीमार्केटर्स से जुर्माना	52,33,705			
कुल (क)	**1,91,21,042**	**1,26,32,062**	**48,00,000**	**6,00,000**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
2. ग्रेच्युटी	1,50,06,101	1,25,17,450		
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. संचित अवकाश नकदीकरण	1,81,20,507	1,42,53,725		
5. व्यापार वारंटी/दावे				
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
व्ययों के लिए प्रावधान	6,70,14,526	6,80,49,803	3,78,56,706	2,46,17,504
कुल (ख)	10,01,41,134	9,48,20,978	3,78,56,706	2,46,17,504
कुल (क+ख)	11,92,62,176	10,74,53,040	4,26,56,706	2,52,17,504

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 8 – अचल परिसंपत्तियां – योजनेत्तर

(राशि–रु0 में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क. अचल परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट / परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना जो संस्था से संबंधित नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनें और उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	64,85,438			64,85,438	28,39,312	4,27,363		32,66,675	32,18,763	36,56,126
5. फर्नीचर, जुडनार	1,82,89,829	4,01,207		1,86,91,036	92,40,192	14,41,272		1,06,81,464	80,09,572	90,49,636

(क्रमशः...)

अनुसूची 8 – अचल परिसंपत्तियां – योजनेत्तर *(क्रमशः.....)*

(राशि–रु0 में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
6. कार्यालय उपस्कर	1,08,51,038	5,80,119	10,000	1,14,21,157	80,28,805	6,92,606	4,117	87,17,294	27,03,863	28,22,233
7. कंप्यूटर / पेरिफेरल	2,60,65,018	32,27,924		2,92,92,942	2,10,62,292	23,97,590		2,34,59,882	58,33,060	50,02,726
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन	62,22,948	59,492		62,82,440	16,93,474	6,17,775		23,11,249	39,71,191	45,28,974
9. पुस्तकालय पुस्तकें	35,89,997	1,52,124		37,42,121	32,38,835	1,62,112		34,00,947	3,41,174	3,51,162
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य अचल परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग	7,15,04,268	44,20,866	10,000	7,59,15,134	4,61,02,910	57,38,718	4,117	5,18,37,511	2,40,77,623	2,54,10,857
पिछला वर्ष	6,85,02,947	69,83,874	39,82,553	7,15,04,268	4,42,72,107	58,13,356	39,82,553	4,61,02,910	2,54,01,358	2,42,30,840
ख. पूंजीगत कार्य – प्रगति में										
योग										

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची–8 अचल परिसंपत्तियां – योजना

(राशि–रु0 में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क. अचल परिसंपत्तिया										
1. भूमि -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
क) फ्रीहोल्ड		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना जो संस्था से संबंधित नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनें और उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन										

(क्रमशः...)

अनुसूची–8 अचल परिसंपत्तियां – योजना *(क्रमशः.....)*

(राशि–रु0 में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
5. फर्नीचर, जुडनार										
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर / पेरिफेरल										
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन										
9. पुस्तकालय पुस्तकें	3,64,407	-	-	3,64,407	1,62,293	51,446	-	2,13,739	1,50,668	2,02,114
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य अचल परिसंपत्तियां	-				-			-		
चालू वर्ष का योग	**3,64,407**	**-**	**-**	**3,64,407**	**1,62,293**	**51,446**	**-**	**2,13,739**	**1,50,668**	**2,02,114**
पिछला वर्ष	**3,64,407**	**-**	**-**	**3,64,407**	**1,10,847**	**51,446**	**-**	**1,62,293**	**2,02,114**	**2,53,560**
ख. पूंजीगत कार्य – प्रगति में										
योग										

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची – 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

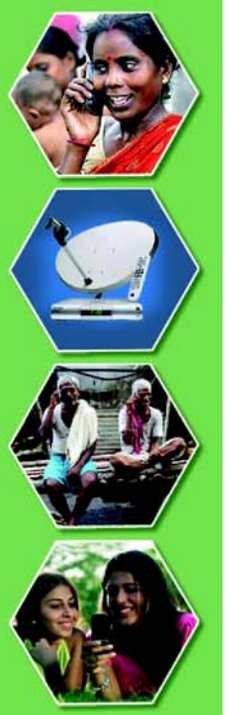

अनुसूची–10 – अन्य निवेश

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	-	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि का विवरण

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1. भण्डार				
क) स्टोर्स और स्पेयर्स				
ख) लूज टूल्स				
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड				
तैयार माल				
कार्य प्रगति पर				
कच्चा माल				
2. विविध ऋणदाता:				
क) छह माह की अवधि से अधिक लंबित देनदारी				
ख) अन्य				
3. हाथ में नकदी (चैक/ ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	89,739	90,640		
4. बैंक में शेष:				
क) अनुसूचित बैंक के साथ				
– ट्राई सामान्य निधि के चालू खाते में	2,26,93,590	1,19,06,421	1,12,98,897	20,93,027
– पंजीकरण शुल्क के चालू खाते में	96,000	6,70,000		
– टेलीमार्केटर्स से जुर्माना	52,33,705			
– ग्राहक जागरूकता शुल्क बचत खाते से	1,28,88,337	97,76,062		
ख) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ				
– चालू खाते में				
– जमा खाते में				
– बचत खाते में				
5. डाकघर–बचत खाता				
कुल (क)	**4,10,01,371**	**2,24,43,123**	**1,12,98,897**	**20,93,027**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि का विवरण

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण				
क) स्टाफ	31,54,631	33,83,771		
ख) संस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं				
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टॉफ को टीए, एलटीसी तथा त्योहार अग्रिम)	18,21,142	2,30,700	4,91,015	1,14,864
2. अग्रिम और अन्य राशि जिसकी वसूली नकद अथवा इस प्रकार अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में की जानी है				
क) पूंजीगत खाते पर	26,00,000	3,16,00,000	27,10,00,000	17,10,00,000
ख) पूर्व भुगतान				
ग) अन्य	10,78,544	11,72,165	3,71,800	
3. प्रोद्भूत आय				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर				
ख) निवेश पर – अन्य				
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	20,37,939	16,58,643		
घ) अन्य (देय आय में अवसूलीय धनराशि शामिल है)				
4. प्राप्त होने वाले दावे	4,87,635	4,90,920		
कुल (ख)	**1,11,79,891**	**3,85,36,199**	**27,18,62,815**	**17,11,14,864**
कुल (क+ख)	**5,21,81,262**	**6,09,79,322**	**28,31,61,712**	**17,32,07,891**

ह0/–
उप सलाहकार

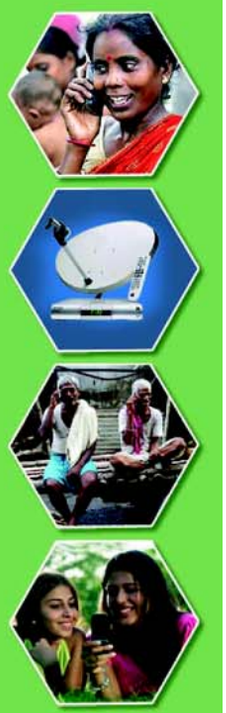

अनुसूची–12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1. बिक्री से आय	-	-	-	-
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री	-	-	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-
ग) स्क्रैप से बिक्री	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-	-	-
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं	-	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची–13 – अनुदान/सहायता

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
(अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त सहायता)				
1) केन्द्रीय सरकार	35,00,00,000	29,00,00,000	16,00,00,000	13,00,00,000
2) राज्य सरकार (रे)				
3) सरकारी एजेंसियां				
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय				
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन				
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल	**35,00,00,000**	**29,00,00,000**	**16,00,00,000**	**13,00,00,000**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–14 – शुल्क/अंशदान

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1. प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-	-	-
3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणीः–प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए।

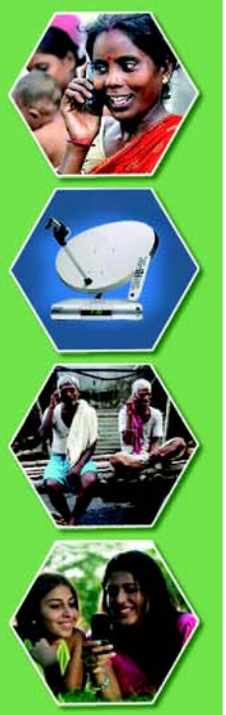

अनुसूची–15–निवेश से आय

(राशि–रु0 में)

	निर्धारित निधि से निवेश			
	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से किए गए निवेश से हुई आय का निधि में अंतरण)				
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2) लाभांश	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-		-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल				
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित				

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची–17 – अर्जित ब्याज

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1) सावधि जमा पर				
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-		-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-		-
घ) अन्य	-		-	-
2) बचत खाते पर				
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-		-
घ) अन्य	-	-	-	-
3) ऋणों पर	-	-	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ	4,67,929	3,17,827	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-	-	-
कुल	**4,67,929**	**3,17,827**	**-**	**-**

टिप्पणी :– स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–18 – अन्य आय

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ				-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		1,12,600		-
ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां				-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन				-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क				-
4. विविध आय	19,242	54,785		-
कुल	**19,242**	**1,67,385**		**-**

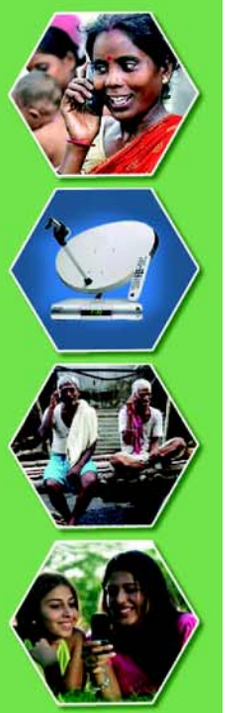

अनुसूची–19–निर्मित माल के स्टॉक एवं चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
क) अंतिम स्टॉक				
– तैयार माल	-	-		-
– चल रहे कार्य	-		-	-
ख) घटाएं प्रारंभिक स्टॉक				
– तैयार माल	-	-	-	-
– चल रहे कार्य	-	-	-	-
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)		-		-

अनुसूची–20–स्थापना व्यय

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
क) वेतन और मजदूरी	13,65,48,216	10,74,54,388	-	-
ख) भत्ते और बोनस	2,77,221	2,71,678	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	36,70,657	33,35,995	-	-
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)			-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	3,86,123	3,21,738	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाहित लाभ	1,77,78,906	1,02,20,440	-	-
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टॉफ को एलटीसी, चिकित्सा तथा स्टॉफ को ओटीए)	1,06,60,155	82,18,585	-	-
कुल	**16,93,21,278**	**12,98,22,824**	**-**	**-**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 21–अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
क) क्रय				
ख) मजदूरी तथा प्रसंस्करण व्यय				
ग) कार्टेज एवं कैरिएज प्रभार				
घ) विद्युत एवं पावर	9,75,604	13,72,422		
ङ) जल प्रभार				
च) बीमा	1,11,615	1,69,647		
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	23,76,159	34,03,255		
ज) सीमा शुल्क				
झ) किराया, दर और कर	11,76,43,636	11,07,42,133		
ञ) वाहन चालन एवं अनुरक्षण	33,17,004	22,41,168		
ट) डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	80,82,217	74,52,217		
ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	76,92,856	52,94,186		
ड) यात्रा एवं किराया प्रभार	1,96,56,912	1,65,18,050		
ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय	9,99,980	39,02,739		
ज) अंशदान व्यय	5,55,793	5,36,808		
त) शुल्क पर व्यय				
थ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	1,04,200	1,12,700		
द) अतिथि सत्कार व्यय	23,07,647	18,93,672		
ध) वृत्तिक व्यय	2,15,39,180	2,87,60,976		
ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान				
प) वसूल न होने वाले शेष–बट्टे खाते में डाला गया				
फ) पैकिंग प्रभार				
व) मालभाड़ा और अग्रेषण व्यय				
भ) वितरण व्यय				
म) विज्ञापन और प्रचार	42,41,263	1,38,17,357		
य) अन्य				
(i) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग इत्यादि को भुगतान)	97,05,323	1,09,21,356		
(ii) क्षमता निर्माण पर व्यय			6,75,45,381	7,34,13,506
एसएटीआरसी मीटिंग खर्च और फीस				
कुल	**19,93,09,389**	**20,71,38,686**	**6,75,45,381**	**7,34,13,506**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची–22– अनुदानों, सहायता इत्यादि पर व्यय

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता	-	-	-	-
कुल				

टिप्पणीः– अनुदान/सहायता की राशि के साथ संस्था का नाम, उनके क्रियाकलाप प्रकट किए जाएंगे।

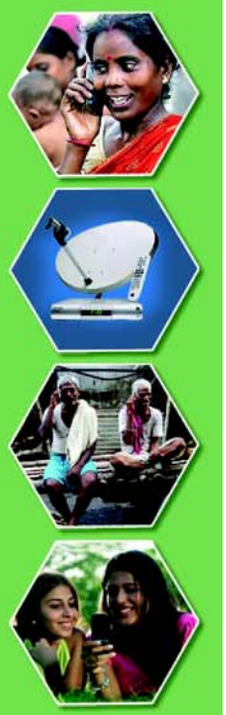

अनुसूची 23–ब्याज

(राशि–रु0 में)

	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
क) अचल ऋणों पर	-	-	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-		-	-
कुल	-	-		-

ह0/–
उप सलाहकार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दिनांक 31.3.2012 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि–रु0 में)

प्राप्तियां	योजनेत्तर		योजना		भुगतान	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11		चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
I. अथशेष					**I. व्यय**				
क) हाथ में रोकड़	90,640	92,415			क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	16,05,35,326	12,56,42,776		
i) चालू खाते में	1,19,06,421	1,70,86,623	20,93,027	48,98,572	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	20,09,79,878	21,00,19,432	5,42,46,179	5,83,15,108
ii) जमा खाते में					**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**				
iii) बचत खाते में					(प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान के विवरणों के साथ निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)				
iv) पंजीकरण शुल्क चालू खाते में	6,70,000				**III. किए गए निवेश और निक्षेप**				
iv) ग्राहक जागरूकता शुल्क बचत खाते में	97,76,062								
II. प्राप्त अनुदान					क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से				
क) भारत सरकार से	37,90,00,000	33,50,00,000	6,00,00,000	5,50,00,000	ख) स्वयं की निधि से (निवेश–अन्य)				
ख) राज्य सरकार से					**IV. अचल परिसंपत्तियों पर व्यय तथा चल रहा पूंजीगत कार्य**				
ग) अन्य स्रोतों से (अलग से विवरण दें)					क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	42,44,890	76,00,448		
III. निम्न से निवेश पर आय					ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय				
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां					**V. अधिक राशि/ऋणों की वापसी**				
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)					क) भारत सरकार को				
IV. प्राप्त ब्याज					ख) राज्य सरकार को				
क) बैंक जमा पर									

(क्रमशः...)

प्राप्तियां	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
ख) ऋण एवं अग्रिम	88,633	4,363		
ग) विविध				
V. अन्य आय से (निर्दिष्ट करें)				
विविध आय को	19,242	54,785		
VI. उधार ली गई राशि				
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)				
शुल्क से				
प्रतिभूति जमा से		16,36,000	42,00,000	6,00,000
परिसंपत्तियों की बिक्री से	5,883	1,12,600		
ऋण एवं अग्रिम तथा प्रतिभूति जमा से	96,906	12,72,931		
पंजीकरण शुल्क से	96,000	6,70,000		
ग्राहक जागरूकता शुल्क से	1,28,68,275	97,76,062		
ग्राहक से जुर्माना से	52,33,705			
कुल	41,98,51,767	36,57,05,779	6,62,93,027	6,04,98,572

भुगतान	योजनेत्तर		योजना	
	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	चालू वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
ग) निधियों के अन्य प्रावधान (उपभोक्ता संरक्षण निधि)				
घ) डीओटी को टेलीमार्केटर्स पंजीकरण शुल्क हेतु	6,70,000			
च) डीओटी को ग्राहक जागरूकता शुल्क हेतु	97,56,000			
VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)				
VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)				
ऋण और अग्रिम तथा प्रतिभूति जमा	26,64,302		7,47,951	90,437
VIII. अंत शेष				
क) हाथ में रोकड़	89,739	90,640		
ख) बैंक में शेष				
1) ट्राई सामान्य निधि के चालू खाते में	2,26,93,590	1,19,06,421	1,12,98,897	20,93,027
ii) पंजीकरण शुल्क के चालू खाते में	96,000	6,70,000		
2) जमा खाते में				
i) ग्राहक जागरूकता शुल्क के बचत खाते में	1,28,88,337	97,76,062		
ii) टेलीमार्केटस जुर्माना बचत खाते में	52,33,705			
कुल	41,98,51,767	36,57,05,779	6,62,93,027	6,04,98,572

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपराएं :–

(क) वित्तीय विवरण, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र सं0 एफ.सं. 19(1)/मिस./2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान फॉर्मेट'' में योजनेत्तर तथा योजना, दोनों ही क्रियाकलापों के लिए समुचित रूप से और स्पष्टतः तैयार किए गए हैं।

(ख) वर्तमान वर्ष, अर्थात 2011–12 के लिए लेखे प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं – लेखांकन पद्धति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है।

(ग) लेखा बहियों में समस्त अविवादित और ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया गया है।

(च) तथ्यों और कानूनी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया गया है।

2. अचल परिसंपत्तियां :–

अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख, अर्जन की लागत पर किया गया है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क एवं कर तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

3. मूल्यह्रासः–

(क) अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची (XIV) में विनिर्दिष्ट दरों पर ''स्ट्रेट लाइन पद्धति'' के अनुसार लगाया है, सिवाए नीचे उल्लिखित श्रेणियों के, जिनके संबंध में मूल्यह्रास की ऊँची दरें लागू की गई हैं, जैसाकि पिछले वर्षों के लेखों में किया गया थाः–

श्रेणी	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार न्यूनतम निर्दिष्ट मूल्यह्रास दर	लागू की गई मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	4.75%	10.00%
फर्नीचर और जुडनार	6.33%	10.00%
विद्युत उपकरण	4.75%	10.00%
एयरकन्डीशनर	4.75%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	4.75%	20.00%

कार्यालय उपस्करों में, शासकीय प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को प्रदान किए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2007 के आदेश सं0 2–1/97–लैन के माध्यम से

दूरसंचार विभाग की ही तर्ज पर तीन वर्ष के अंदर इन हैंडसेटों को देने/बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार वर्ष 2007–08 से इससे आगे मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.03.2009 के आदेश सं0 23–24/2008/जीए (एलटी) के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया था कि भादूविप्रा अधिकारियों को जारी लैपटॉप का उपयोग–काल आगे चार वर्ष होगा। तद्नुसार, चालू वित्तीय वर्ष में लैपटॉप पर मूल्यह्रास 25 प्रतिशत की दर से आकलित किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में योजित वस्तुओं के संबंध में, मूल्यह्रास पर यथानुपात आधार पर विचार किया गया है।

(ग) 5,000/– रु0 अथवा उससे कम लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति को पूर्णतः उपलब्ध कराया गया है।

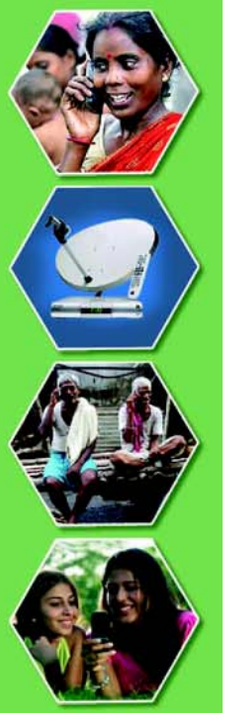

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहारः–

विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को लेन–देन के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा की दर पर अभिलेखित किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति लाभः–

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में 31.03.2012 तक अवकाश वेतन और पेंशन योगदान के लिए लेखा बहियों में प्रावधान भारत सरकार द्वारा मूल नियमावली के तहत समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर उपलब्ध कराया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, भादूविप्रा ने वर्ष 2011–2012 के लिए अवकाश नकदीकरण और उपदान के लिए प्रावधान बीमांकक (ऐक्चूएरी) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6. सरकारी अनुदानः–

(क) चालू वर्ष के दौरान विर्निदिष्ट अचल परिसंपत्तियों के संबंध में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) संस्वीकृत राशि के आधार पर सरकारी अनुदानों को खाते में लिया जाता है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और लेखे पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएंः–

संस्था के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – चालू वर्ष (शून्य), पिछला वर्ष (शून्य)।

2. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमः–

प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में वसूली पर, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कम–से–कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई सकल राशि के समान है।

3. कराधानः–

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के खंड 32 के अनुसार, भादूविप्रा को संपत्ति और आय पर कर से छूट प्राप्त है।

4. अचल परिसंपत्तियों में शामिल हैं :–

दूरसंचार विभाग (डीओटी) से 1997–98 के दौरान 14,71,692/– रुपए में खरीदे गए चार वाहनों में से, दो कारें, अक्तूबर 2000 में, टीडीसेट को अंतरित कर दी गई थी। इन दो कारों की कीमत 7,35,846/– रुपए थी और अंतरण के दिन तक संचयित मूल्यह्रास 2,48,211/– रु0 था। अंतरण के दिन तक, इन कारों की डब्ल्यूडीवी राशि 4,87,635/–रु0 थी, जिसे टीडीसेट/डीओटी से वसूली योग्य दावों के नामे किया गया है। मामला दूरसंचार विभाग के पास लम्बित है ।

5. अनुदानः–

लेखांकन वर्ष 2011–12 के दौरान ट्राई सामान्य निधि में योजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत अंतरण हेतु स्वीकृत अनुदान 35.00 करोड़ रु0 था, इसके बदले में 37.90 करोड़ रु0 की राशि अनुदान के रूप में दूरंसचार विभाग से प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 26.00 लाख रु0 की राशि को अनुसूची–11 में ''अग्रिम तथा नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अन्य राशियां'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, योजना लेखा शीर्ष के अंतर्गत ट्राई सामान्य निधि में अंतरण हेतु 16.00 करोड़ रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 6.00 करोड़ रु0 की राशि दूरसंचार विभाग से प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग से प्राप्त होने वाली 27.10 करोड़ रु0 की राशि को अनुसूची–11 में दर्शाया गया है।

6. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान अधिनियम, 2010 से संबंधित लेन–देनः–

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, भादूविप्रा ने कॉर्पोरेशन बैंक में पंजीकरण फीस, ग्राहक जागरूकता फीस, टेलीमार्केटर जुर्माना व वित्तीय निरूत्साहन के लिए चार खाते खोले हैं। दिनांक 31/03/2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकरण फीस, ग्राहक जागरूकता फीस तथा टेलीमार्केटर जुर्माने के लिए क्रमशः 96,000/–रु0, 1,28,68,275/–रु0 तथा 52,33,705/–रु0 की धन राशि प्राप्त हुई। इस राशि को अनुसूची–7 (चालू देयताएं एवं प्रावधान) के शीर्ष अन्य देयताएं में दर्शाया गया है।

7. पिछले वर्ष के आंकड़ेः–

पिछले वर्ष के तद्नुरूप आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष से संबंधित व्यय/आय अर्थात पूर्व अवधि के व्यय/आय को पूंजीगत निधि के माध्यम से ले जाया गया है।

8. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारः–

विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहारों को लेन–देन के समय प्रचलित विदेशी मुद्रा की दर पर अभिलेखित किया गया है।

9. अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग बनाने के लिए संलग्न किया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफए/आईएफए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

ग) वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखे पर 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 में नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, श्रेष्ठ लेखांकन पद्धति, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा का आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत

आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में शामिल हैं – परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आंकलन तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

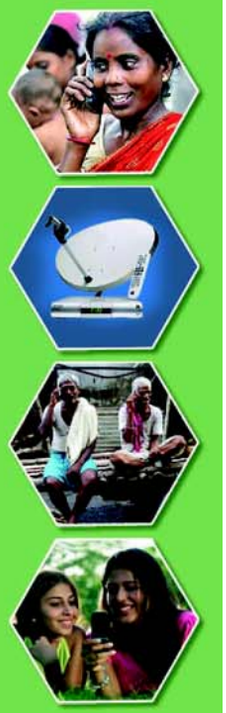

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं किः–

i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 के अंतर्गत महालेखा–नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक सामान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा द्वारा लेखे की बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

(iv) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणी के अधीन, हम यह भी सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार हैं।

(v) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त उल्लिखित मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध–I** में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैंः

(क) जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के व्यवसाय की स्थिति के दिनांक 31 मार्च, 2012 – अंशदायी भविष्य निधि लेखा के कार्यों के तुलन–पत्र से संबंधित हैं; और

(ख) जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रेवती बेदी)
महानिदेशक–लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 04 अक्तूबर, 2012

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबन्ध–I

(भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4(vi) में यथानिर्दिष्ट)

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:–

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:–

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है। परन्तु आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा एकक, कार्यक्षेत्र एवं आपत्तियों के निवारण के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है ।

(2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:–

हमारी राय में, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

अस्वीकरण :– **"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण– अंशदायी भविष्य निधि लेखा
दिनांक 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि–रु0 में)

कोष/पूंजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ट्राई–सीपीएफ सदस्य खाता	1	55671067.00	55969295.00
रिजर्व एवं अधिशेष	2		-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां	3		-
प्रतिभूत ऋण तथा उधार	4		-
अप्रतिभूत ऋण तथा उधार	5		-
आस्थगित ऋण देयताएं	6		-
चालू देयताएं और प्रावधान	7		-
कुल		**55671067.00**	**55969295.00**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8		-
निवेश–निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		-
निवेश–अन्य	10	48100924.79	49937216.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	7570142.21	6032079.00
विविध व्यय – निवेशों के मूल्यों में कमी के कारण (बट्टे खाते में न डाली गई अथवा समायोजित न की गई)			-
कुल		**55671067.00**	**55969295.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री जे. एस. भाटिया	श्री एस.डी. शर्मा	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री आर.के. मिश्रा
संयुक्त सलाहकार	उप सलाहकार	संयुक्त सलाहकार	वैयक्तिक सहायक	प्रधान सलाहकार
(लेखा)	(एचआर एवं ओएस)	(विधि)	(बी एंड सीएस)	(प्र. एवं का.)
पदेन न्यासी	पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण– अंशदायी भविष्य निधि लेखा
दिनांक 31.3.2012 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय व व्यय लेखा

(राशि–रु0 में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सहायता	13	-	-
शुल्क/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से आय–निधियों में अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	3580777.64	2632661.20
अन्य व्यय	18	881468.57	1012005.80
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) तथा निर्माणाधीन कार्य	19	-	-
कुल (क)		**4462246.21**	**3644667.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	67348.00	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	427.00	50.00
अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	4366788.00	3627507.00
म्यूचुअल फंडों में निवेश के मूल्य में कमी		27683.21	17110.00
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग–अनुसूची 8 के अनुरूप)			
कुल (ख)		**4462246.21**	**3644667.00**

(क्रमशः...)

व्यय से अधिक आय के अधिशेष का शेष (क–ख)		**0.00**	**0.00**
निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमा तक अंतरित परंतु बट्टे खाते में नहीं डाला गया।			-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण			-
अधिशेष/(घाटा) जो शेष था को पूंजीगत निधि में ले जाया गया		0.00	0.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

ह0/– श्री जे. एस. भाटिया संयुक्त सलाहकार (लेखा) पदेन न्यासी	ह0/– श्री एस.डी. शर्मा उप सलाहकार (एचआर एवं ओएस) पदेन न्यासी	ह0/– श्री एस.बी. सिंह संयुक्त सलाहकार (विधि) न्यासी	ह0/– श्रीमती पूनम खुराना वैयक्तिक सहायक (बी एंड सीएस) न्यासी	ह0/– श्री आर.के. मिश्रा प्रधान सलाहकार (प्र. एवं का.) पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखा
दिनांक 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची–1–भादूविप्रा–सीपीएफ सदस्य लेखा

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	55969295.00	45396949.00
जोड़ें: सदस्यों के खाते में अंशदान	-298228.00	10572346.00
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/व्यय का शेष आय और व्यय लेखा		
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**55671067.00**	**55969295.00**

अनुसूची–2–रिजर्व और अधिशेष

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजी रिजर्व :		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष रिजर्व :		लागू नहीं
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य रिजर्व		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
कुल		

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 3 – निधार्रित/बंदोबस्ती निधि

(राशि–रु0 में)

	निधिवार ब्यौरा				पिछला वर्ष	चालू वर्ष
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड		
क) निधि का प्रारंभिक शेष						
ख) निधि में जमा राशियां						
i. दान/अनुदान						
ii. निधियों से किए गए निवेश के कारण आय				लागू नहीं		
iii. अन्य प्राप्तियां (प्रकृति निर्दिष्ट करें)						
योग (क+ख)						
ग) निधियों के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय						
i. **पूंजीगत व्यय**						
- अचल परिसंपत्तियां						
- अन्य						
कुल						
ii. **राजस्व व्यय**						
- वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि						लागू नहीं
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल						
योग (ग)						
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)						

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संलग्न शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण प्रासंगिक शीर्षों के आधार पर किया जाना चाहिए।

2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां अलग निधियों के रूप में दर्शाई जाएं तथा अन्य किसी निधि में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधी–ऋण		लागू नहीं
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
योग		

टिप्पणीः– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 5 – अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधी–ऋण		लागू नहीं
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		
ख) अन्य–ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत और देय		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
योग		

टिप्पणीः– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजीगत उपस्करों तथा अन्य परिसंपत्तियां की आडमान द्वारा स्वीकार्यता		लागू नहीं
ख) अन्य		

टिप्पणीः– एक वर्ष के अंदर देय राशि।

अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं		
क) प्रतिभूत ऋण/उधार		लागू नहीं
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार		
5) सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
कुल (क)		
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन		लागू नहीं
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी/दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल (ख)		
कुल (क+ख)		

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 8 – अचल परिसंपत्तियां

(राशि–रु0 में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
क) अचल परिसंपत्तियां										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़होल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीजहोल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट / परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना जो संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीने और उपस्कर										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, जुडनार										

(क्रमशः...)

अनुसूची 8 – अचल परिसंपत्तियां *(क्रमशः.....)*

(राशि–रु0 में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति पर मूल्य / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पिछले वर्ष की समाप्ति पर
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर / पेरिफेरल										
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन										लागू नहीं
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. टयूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य अचल परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. चालू पूंजीगत कार्य										
योग										

(टिप्पणी :– उपर्युक्त सहित क्रय–विक्रय आधार पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए।)

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में से निवेश

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		लागू नहीं
4. डेबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 10 – अन्य निवेश

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर	14422323.79	14450007.00
4. डेबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा)	33678601.00	35487209.00
कुल	**48100924.79**	**49937216.00**

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसंपत्तियां		
1. भण्डार		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध ऋणदाता		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवम् अग्रदाय सहित)		

(क्रमशः...)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि *(क्रमशः.....)*

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
4. बैंक में शेष		
क) अनुसूचित बैंक के साथ		
- चालू खाते पर	-	-
- जमा खाते पर (मार्जिन धनराशि सहित)	-	-
- बचत खाते पर	2264876.41	825953.40
ख) गैर–अनुसूचित बैंक के साथ		
- चालू खाते पर	-	-
- जमा खाते पर	-	-
- बचत खाते पर	-	-
5. डाकघर–बचत खाता		
कुल (क)	**2264876.41**	**825953.40**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		-
ख) संस्था के समान कार्यकलापों / उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाए		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
2. अग्रिम और अन्य (नकद में या उस प्रकार वसूलीय अग्रिम या अन्य राशि या प्राप्त होने वाली राशि)		
क) पूंजीगत खाते पर		-
ख) पूर्व भुगतान		-
ग) अन्य		-
3. प्रोद्भूत आय		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		-
ख) निवेश पर – अन्य	4424214.04	4194119.41
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य – (देय आय में वसूली न गई धनराशि शामिल है)		
4. प्राप्त होने वाले दावे – (0.19 - 417 + 881468.57)	881051.76	1012006.19
कुल (ख)	**5305265.80**	**5206125.60**
कुल (क+ख)	**7570142.21**	**6032079.00**

ह0 / –
उप सलाहकार

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप से बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		लागू नहीं
ख) वृत्तिक/परामर्श सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 13 – अनुदान/सहायता

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अवसूलीय अनुदान एवं प्राप्त सहायता)		
1) केन्द्रीय सरकार		
2) राज्य सरकार (रें)		
3) सरकारी एजेंसियां		लागू नहीं
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 14 – शुल्क/अंशदान

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान		
3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क		लागू नहीं
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी:– प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

निर्धारित निधि से निवेश

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निर्धारित/बन्दोबस्ती निधियों में से किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर		
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेंचर		लागू नहीं
2) लाभांश		
क) शेयरों पर		
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3) किराया		
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित		

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		लागू नहीं
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमा पर		
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	540463.49	311139.00
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ		-
ग) संस्थाओं के साथ	2836697.14	2225275.20
घ) अन्य		
2) बचत खातों पर		
क) अधिसूचित बैंकों के साथ	203617.01	96247.00
ख) गैर–अधिसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	**3580777.64**	**2632661.20**

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		-
ख) अनुदानों अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		-
4. विविध आय	881468.57	1012005.80
कुल	881468.57	1012005.80

अनुसूची 19 – निर्मित माल एवं चल रहे कार्य में वृद्धि/कमी

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल		
- चल रहा कार्य		लागू नहीं
ख) घटाएं शुरू का स्टॉक		
- तैयार माल		
- चल रहा कार्य		
कुल वृद्धि/(कमी) (क–ख)		

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी		
ख) भत्ते और बोनस		
ग) भविष्य निधि में अंशदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाहित लाभ		
छ) अन्य – डीएलआईएस *67,348/-* रु0	67348.00	-
कुल	67348.00	-

ह0/–
उप सलाहकार

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि–रु0 में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) क्रय	-	-
ख) मजदूरी तथा प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज एवं कैरिएज प्रभार	-	-
घ) विद्युत एवं पावर	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	-
ज) सीमा शुल्क	-	-
झ) किराया, दर और कर	-	-
ञ) वाहन चालन एवं मरम्मत	-	-
ट) डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	-	-
ठ) मुद्रण एवं लेखन–सामग्री	-	-
ड) यात्रा एवं किराया प्रभार	-	-
ठ) सम्मेलन/कार्यशाला पर व्यय	-	-
ज) अंशदान व्यय	-	-
त) शुल्क पर व्यय	-	-
थ) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
द) अतिथि सत्कार पर व्यय	-	-
ध) वृत्तिक व्यय	-	-
ण) बुरे तथा संदेहप्रद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
प) अवसूलनीय न होने वाले शेष जो बट्टे खाते में डाला गया हो	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-
व) मालभाड़ा और अग्रेषण व्यय	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन और प्रचार	-	-
य) अन्य (निर्दिष्ट करें) *- बैंक प्रभार (428 - 1 = रु0 427/-)*	427.00	50.00
कुल	**427.00**	**50.00**

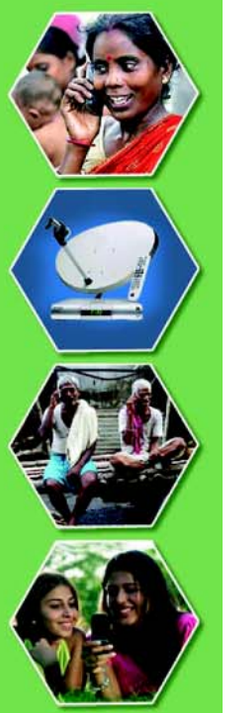

अनुसूची 22 – अनुदानों, सहायता आदि पर व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता		लागू नहीं
कुल		

टिप्पणीः– संस्थाओं के नाम उनको दिए गए अनुदानों/सहायताओं के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख किया जाए।

अनुसूची 23 – ब्याज

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अचल ऋणों पर		-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – *सदस्यों को देय ब्याज*	4366788.00	3627507.00
कुल	**4366788.00**	**3627507.00**

ह0/–
उप सलाहकार

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखे
दिनांक 31.3.2012 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. अथशेष			**I. व्यय**		
क) हाथ में रोकड़		-	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	67348.00	-
ख) बैंक में			ख) प्रशासनिक व्यय (अनसुची 21 के अनुरूप)	428.00	50.00
i) चालू खाते में		-			
ii) जमा खाते में		-			
iii) बचत खाते में	825953.40	1174760.44			
II. प्राप्त अनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
क) भारत सरकार से			(प्रत्येक परियोजनाओं के लिए किए गए भुगतान के विवरणों के साथ निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी एवं राजस्व व्यय को अलग–अलग दर्शाया जाए)					
III. निम्न से निवेश पर आय			**III. किए गए निवेश और निक्षेप**		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियां			क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से		
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)			ख) स्वयं की निधि से		
			(निवेश–अन्य)	9500000.00	14835361.00
			(निवेश–फ्लेक्सी खाते से)	1511861.00	
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. अचल परिसंपत्तियों तथा चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय**		
क) बैंक जमा पर – *(अनुसूची 'क')*	579248.01	329716.00	क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद		

(क्रमशः...)

दिनांक 31.3.2012 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण *(क्रमशः.....)*

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम इत्यादि			ख) चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय		
ग) विविध – *(अनुसूची 'ख')*	2771436.00	959729.96			
V. अन्य आय से (निर्दिष्ट करें)			**V. अधिक राशि/ऋणों की वापसी**		
विविध आय को			क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		
VI. उधार ली गई राशि			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
VII. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)			**VI. ऋण प्रभार (ब्याज)**		
शुल्क से					
पूंजीगत निधि से			**VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
प्रकाशन की बिक्री से			अंतिम भुगतान	4820969.00	4052420.00
परिसंपत्तियों की बिक्री से			निकासी एवं अग्रिम	15158680.00	6484120.00
सदस्यों का अंशदान	10816224.00	10553240.00			
भादूविप्रा का अंशदान	3604801.00	3331417.00	**VIII.अंत शेष**		
शेष राशि का अंतरण	0.00	2986267.00	क) हाथ में रोकड़		
अग्रिमों की पुनर्अदायगी	893608.00	610455.00	ख) बैंक में शेष		
एफडी की परिपक्वता/म्यूचुअल फंडों का नकदीकरण	11308608.00	5537959.00	i) चालू खाते में ii) जमा खाते में		
भादूविप्रा सामान्य निधि से ब्याज की कमी की वसूली	1012006.00	714360.00	iii) बचत खाते में (7,38,009.40 + 15,006.01)	753015.41	825953.40
भादूविप्रा से अधिशेष अंशदान	417.00	-			
योग	**31812301.41**	**26197904.40**	**योग**	**31812301.41**	**26197904.40**

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री जे. एस. भाटिया	श्री एस.डी. शर्मा	श्री एस.बी. सिंह	श्रीमती पूनम खुराना	श्री आर.के. मिश्रा
संयुक्त सलाहकार	उप सलाहकार	संयुक्त सलाहकार	वैयक्तिक सहायक	प्रधान सलाहकार
(लेखा)	(एचआर एवं ओएस)	(विधि)	(बी एंड सीएस)	(प्र. एवं का.)
पदेन न्यासी	पदेन न्यासी	न्यासी	न्यासी	पदेन अध्यक्ष

अनुसूची 24 –महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपराएं :–

i) वित्तीय विवरण, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.07.2007 के पत्र संख्याः– एफ.सं. 19(1)/मिस./2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक सामान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखे वर्तमान वर्ष, 2011–12 के लिए प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन पद्धति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है।

iii) अनुसूची–10 (निवेश–अन्य) में वर्णित निवेशों में 1,44,22,323.79 रु0 की अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां तथा 3,36,78,601.00 रु0 की अन्य (बैंकों/पीएसयू में एफडी) की दीर्घावधि निवेश, जिन्हें कि उनके निवेश की तिथि से एक या अधिक वर्ष के लिए निवेशित किया गया है, शामिल हैं।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और लेखे पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएंः–

1. संस्था के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया – शून्य

लेखों पर टिप्पणियांः–

1. निवेश, वित्तीय मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2008 की अधिसूचना, 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी है, में निर्दिष्ट पैटर्न पर किए गए हैं।

2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, किए गए निवेशों पर अर्जित ब्याज तथा उपभोक्ताओं को देय ब्याज के बीच ब्याज की कमी, यदि कोई है, को भादूविप्रा सामान्य निधि से वहन किया जाएगा। तद्नुसार, इस वर्ष भादूविप्रा सामान्य निधि से वसूले जाने वाली 8,81,051.76/–रु0 की राशि हिसाब में ली गई है।

3. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)–13 की अपेक्षाओं के अनुपालन में तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के एसएआर में लेखापरीक्षा दल द्वारा सुझाए गए अनुसार, 31.03.2012 को कुछ म्यूचुअल फंडों में किए गए निवेशों के मूल्य में कमी के रूप में 27,683.21/– रु0 की राशि को सम्यक रूप से लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
श्री जे. एस. भाटिया	**श्री एस.डी. शर्मा**	**श्री एस.बी. सिंह**	**श्रीमती पूनम खुराना**	**श्री आर.के. मिश्रा**
संयुक्त सलाहकार	**उप सलाहकार**	**संयुक्त सलाहकार**	**वैयक्तिक सहायक**	**प्रधान सलाहकार**
(लेखा)	**(एचआर एवं ओएस)**	**(विधि)**	**(बी एंड सीएस)**	**(प्र. एवं का.)**
पदेन न्यासी	**पदेन न्यासी**	**न्यासी**	**न्यासी**	**पदेन अध्यक्ष**

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची	
2जी	दूसरी पीढ़ी
3डी	त्रि आयामी
3जी	तीसरी पीढ़ी
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीसी	एक्सेस डेफिसिट प्रभार
एजीआर	समायोजित सकल राजस्व
एएमएफआई	भारतीय म्युचुअल फंड संघ
एपीटी	एशिया पैसेफिक टेलीकम्युनिटी
एआरपीयू	एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र
एयूएसपीआई	एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया
बीआईएस	भारतीय मानक संघ
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसओ	बुनियादी सेवा प्रचालक
बीएसटी	बुनियादी सेवा टियर
बीडब्ल्यूए	ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस
सी एण्ड एस	केबल एवं सैटेलाइट
सीएजी	उपभोक्ता समर्थक समूह
सीएएस	सर्शत उपागम प्रणाली
सीडीएमए	कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
सीएलएस	केबल लैंडिंग स्टेशन
सीएमटीएस	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा
सीओएआई	सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
सीपीजीआरएएमएस	एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीपी	कॉलिंग पार्टी पे
सीटीएस	कॉर्डलैस दूरसंचार प्रणाली
सीयूटीसीईएफ	दूरसंचार उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण निधि संबंधी समिति
डीएएस	डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएलसी	घरेलू लीज्ड सर्किट

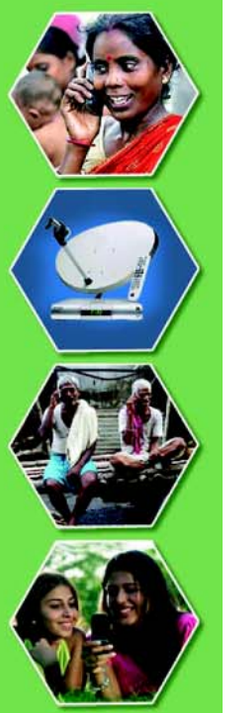

डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीएसएल	डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
डीटीएच	डायरेक्ट–टु–होम
ईबीआईटीडीए	ब्याज, कर, मूल्यह्रास एवं परिशोधन पूर्व आय
ईईटीटी, ग्रीस	हैलेनिक टेलीकम्युनिकेशंस एंड पोस्ट कमीशन
ईकेएन	स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी बोर्ड
एफडीआई	फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट
एफएम	फ्रीक्वेंसी माड्युलेशन
एफटीए	फ्री–टु–एयर
जीएमपीसीएस	ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम
जीएसएम	ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स
एचडी	हाई डेफिनेशन
एचआईटीएस	हैडइंड–इन–द–स्काई
आईबीएस / डीएएस	इंडोर भवन सामधान एवं वितरित एंटीना प्रणाली
आईसीओ	स्वतंत्र केबल ऑपरेटर
आईसीटी	इंफॉर्मेशन्स एंड कम्युनिकेशन्स टेक्नॉलॉजी
आईआईएस	भारतीय विज्ञान संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान
आईएलडी	इंटरनेशनल लॉंग डिस्टेंस
आईएमटी–एडवांस	अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार – उन्नत
आईएन	आसूचना नेटवर्क
आईपी– ।	अवसंरचना प्रदाता
आईपीटीवी	इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
आईपीवी6	इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6
आईआरडीए	बीमा विकास प्राधिकरण
आईएसपी	इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
आईटीएसपी	इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदाता
आईटीयू	इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन
आईयूसी	अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार
आईएक्सपी	इंटरनेट विनिमय केन्द्र

जेएनएनयूआरएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय ग्रामीण नवीनीकरण मिशन
एलएएन	स्थानीय एरिया नेटवर्क
एलसीओ	स्थानीय केबल प्रचालक
एलटीई	दीर्घावधि मूल्यांकन
एम एण्ड ए	विलयन एवं अधिग्रहण
एम/ओ आई एडं बी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
एमसीएक्स	भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमएनपी	मोबाइल नम्बर सुवाह्यता
एमओयू	मिनट्स ऑफ यूज़ेज़
एमपीएलएस	बहुल्य – प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग
एमएसओ	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स
एमटीएनएल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमवीएनओ	मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर
एमडब्ल्यू	मीडियम वेव
एनसीडीईएक्स	नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड
एनसीपीआर	राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिमान रजिस्टर
एनजीएन	नेक्स्ट जेनेरेशन नेटवर्क
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईए	आवेदन आमंत्रण सूचना
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएलडी	राष्ट्रीय लंबी दूरी
एनटीपी'99	नई दूरसंचार नीति' 1999
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओएचडी	खुला मंच चर्चा
पीएबीएक्स	प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज
पीसीओ	पब्लिक कॉल ऑफिस
पीएमआर	निष्पादन निगरानी रिपोर्ट
पीओआई	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन
पीओपी	प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस

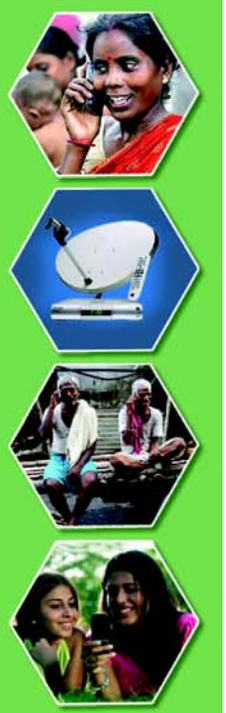

पीएसयू	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम
क्यूएमएस	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
क्यूओएस	सेवा गुणवत्ता
आरएएन	रेडिया एक्सेस नेटवर्क
आर–डीईएल	रूरल–डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन
आरआईओ	संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव
आरटीआई एक्ट	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसएटीआरसी	दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड
एसआईएम	सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल
एसएमएस	शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस
एसटीबी	सेट टॉप बॉक्स
एसटीवी	विशेष प्रशुल्क वाउचर
एसयूके	स्टार्ट अप किट
एसडब्ल्यू	शार्ट वेव
टीएएम	टेलीविजन दर्शक मापन
टीसीईपीएफ	दूरसंचार उपभोक्ता जागरूकता एवं संरक्षण निधि
टीसीओ	परीक्षण एवं प्रमाणन संगठन
टीसीपीआर, 2012	दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012
टीडीएसएटी	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण
टीईसी	दूरसंचार इंजीनियरी सेंटर
टीईएमओ	दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण संगठन
टीएमएफ	दूरसंचार विनिर्माण निधि
टीआरएआई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीआरसीएसएल	दूरसंचार विनियामक आयोग श्रीलंका
टीआरडीएफ	दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास निधि
टीएसओ	दूरसंचार मानक संगठन
टीएसपी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
टीटीओ	दूरसंचार टैरिफ आदेश
यूएएसएल	यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस लाइसेंस

यूसीसी	अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण
यूएसआईबीसी	यूनाईटेड स्टेट – इंडिया व्यवसाय परिषद्
यूएसओएफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यूएसएसडी	गैर–अवसंरचनात्मक अनुपूरक सेवा आंकडे
वीएएस	मूल्यवर्धित सेवा
वीएनटीए	वियतनाम दूरसंचार प्राधिकरण
वीपीटी	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
वीएसएटी	वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल
डब्ल्यूएलएल	वायरलैस इन लोकल लूप
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन